तृतीय माला, खण्ड १६—अंक ३५

शुक्रवार, ५ अप्रैल, १९६३
१५ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

(खण्ड १६ में अंक ३१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**पृष्ठ**
तारांकित प्रश्न *संख्या ७२१, ७२२, ७२५, ७२६ और ७२८ से ७४०	३४६१——८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२३, ७२४ और ७२७	३४८८——९०
अतारांकित प्रश्न संख्या १४५६ से १४७९ और २४८१ से १५१२ .	३४९०——३५१५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३५१५–१६
विधेयक पर राय ——	
राज्यों की विधान परिषदें विधेयक	३५१६
प्राक्कलन समिति	
उन्तीसवां प्रतिवेदन	३५१६–१७
सदस्य द्वारा वक्तव्य के बारे म	
समिति के लिये निर्वाचन	
नारियल जटा बोर्ड . . .	३५१७
अनुदानों की मांगें . .	३५१८——४६
प्रतिरक्षा मंत्रालय——	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	३५१८——२१
श्री रंगा . . .	३५२१——२६
श्री रघुनाथ सिंह	३५२६–३०
श्रीमती शारदा मुकर्जी	३५३०–३१
श्री मानवेन्द्र शाह . . .	३५३१——३२
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	३५३२——३५
श्री श्यामलाल सर्राफ़ . . .	३५३५——३७
डा० मेलकोटे	३५३७——३९
श्री दी० चं० शर्मा . . .	३५४०
श्री रामेश्वरानन्द	३५४१——४६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——	
अट्ठारहवां प्रतिवेदन	३५४७

---

*किसी नाम पर अंकित +यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, ५ अप्रैल, १९६३

१५, चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

पेनिसिलीन का निर्यात

+

*†७२१. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व एशिया अथवा पूर्व अफ्रीका देशों को पेनिसिलीन का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों को ; और

(ग) क्या अब तक इस का कोई निर्यात किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** (क) से (ग) जी, हां। हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड मध्यपूर्व तथा अन्य एशियाई देशों को अपने उत्पादों को निर्यात करने की संभावनाओं की जांच की जा रही है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** प्रश्न के भाग (क) का जो उत्तर दिया गया है क्या उससे हम यह समझ लें कि हम अपने देश में पेनिसिलीन के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है ?

†मूल अंग्रेजी में

199 (ai) LSD—1.

†**श्री कानूनगो :** जी नहीं ; अभी तक नहीं । फिर भी हम निर्यात करना चाहते हैं क्योंकि हम भविष्य में निर्यात के लिए मण्डी बनाना चाहते हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** यदि सरकार भारतीय पेनिसिलीन को मध्य पूर्व तथा अन्य एशियाई देशों कोभेजने का विचार करती हैं, तो क्या में जान सकता हूं कि उन देशों में भारतीय पेनिसिलीन को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

†**श्री कानूनगो :** ठीक इसी बात का हम अध्ययन कर रहे है। सब से पहले मण्डी संबंधी सर्वेक्षण किये जा रहे हैं और संपर्क स्थापित किये जा रहे हैं । यह भेषज विक्रय सम्बन्धी सामान्य प्रणाली है और उसका अनुसरण करना ही होगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या हम विभिन्न प्रकार की पेनिसिलीन का निर्माण कर सके है अथवा कुछ प्रकार की पेनिसिलीन का आयात कर रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो :** हम अनेक प्रकारों की पेनिसिलीन का आयात कर रहे हैं । मूल प्रकार की पेनिसिलीन को छोड़कर हमने सभी प्रकार की पेनिसिलीन का निर्माण नहीं किया है ।

†**श्री ब० कु० दास :** क्या यह कार्य राज्य व्यापार निगम के द्वारा किया जा रहा है अथवा अन्य किसी संस्था के द्वारा ?

†**श्री कानूनगो :** हम राज्य व्यापार निगम के द्वारा इस का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री कपूर सिंह :** हमारी स्वदेशी मण्डी में जो मूल्य चल रहे हैं उनकी तुलना मैं निर्यात की जाने वाली पेनिसिलीन के मूल्य कैसे है ?

†**श्री कानूनगो :** अभी तक निर्यात नहीं किये गये हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या निर्यात के समय उचित किस्म नियंत्रण के लिए कोई व्यवस्था कर दी गई है ?

†**श्री कानूनगो :** किस्म नियंत्रण बहुत ही कठोर है । निर्यात अथवा आंतरिक उपभोग के बीच इस में कोई भेदभाव नहीं किया जाता । क्योंकि यह बहुत ही नाजुक वस्तु है अतः निर्माण अवस्था में ही एक बार ही नहीं किन्तु दो बार किस्म पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है ।

आन्ध्र प्रदेश को सीमेंट का कोटा

†*७२२. { + **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** **श्री लक्ष्मी दास :** }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६२-६३ और १९६३-६४ के लिये आंध्र प्रदेश को सीमेंट का कोटा कम कर दिया गया है ;

(ख) इस में कितनी कटौती की गई है और इस के क्या कारण है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस कटौती का नागार्जुनसागर परियोजना पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो किस सीमा तक?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) और (ख): राष्ट्रीय आपात के कारण उत्पन्न हुई भारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये, १९६३ की पहली दो तिमाईयों में राज्यों तथा केन्द्रीय प्राधिकारों को सामान्य रूप से किये जाने वाले तिमाही आबंटनों में सरकार को कटौती करनी पड़ी। ६९ हज़ार ६०० टन के सामान्य तिमाही आबंटन के विरुद्ध, आंध्र प्रदेश को निम्नलिखित आबंटन किया गया था :

१९६३ की पहली तिमाही	५२,४२५ टन
१९६३ की दूसरी तिमाही	६३,४१५ टन

(ग) जी, नहीं, नागार्जुनसागर परियोजनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा की जाती है और आबंटनों में सामान्य कटौती के किये जाने पर भी आयोग की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

†**श्री पें० वेंकटा सुब्बया**: क्या यह सच है कि यद्यपि नागार्जुन सागर परियोजना के लिये पृथक आबंटन कर दिया गया है फिर भी आंध्र प्रदेश को सीमेंट के संभरण में की गई कटौती से अनेक मध्यम तथा छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं पर प्रभाव पड़ा है, और यदि हां तो क्या आबंटन को करने का तथा आंध्र प्रदेश को पहला वाला ही कोटा देने का सरकार का विचार है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : श्रीमन्, जब कटौती की गई है तो इस का कुछ परियोजनाओं पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। पूर्ववर्तितायें राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जानी हैं और मुझे विश्वास है कि वे उपलब्धि को ध्यान में रखेंगी और तब दी जाने वाली पूर्ववर्तिताओं को निर्धारित करेगी। परन्तु जहां तक नागार्जुन सागर परियोजना का सम्बंध है मेरे सहयोगी ने यह आश्वासन दिया है कि इस के लिये कोई कटौती नहीं की गई थी और वास्तव में तो जितनी मात्रा में सीमेंट उन्हें आबंटित किया था वह भी परियोजना प्राधिकारियों द्वारा नहीं उठाया गया है।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या सच है कि राज्य सरकार की मांग में विभिन्न परियोजनाओं के सीमेंट के सम्भरण के सम्बंध में पूर्ववर्तिताओं के तय किये जाने के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार ने उस पर सहानभूतिपूर्वक विचार नहीं किया है, और यदि ऐसा है तो क्या केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि वह अपने निर्णय पर पुर्नविचार करेगी तथा यह देखेगी कि आंध्र में सिंचाई परियोजनाओं के लिये अब तक जो आबंटन किये गये हैं वह पुनरीक्षित किये जाते हैं और जैसे कि उचित कोटा पहले आबंटित किये गये थे वह पुनः दिये जाते हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : सभी राज्यों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना होगा और जो सीमेंट उपलब्ध है वह समान आधार पर वितरित किया जायेगा। अतएव, मैं केवल अकेले एक ही राज्य के साथ ही सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार नहीं कर सकता।

†**श्री बाल कृष्णन्** : प्रत्येक राज्य को आबंटित किये गये सीमेंट का कोटा कितना कितना है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : प्रत्येक राज्य के सम्बंध में मैं इस समय आंकड़े नहीं बता सकता।

श्री रामेश्वर टांटिया : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में सीमेंट की कमी है, क्या मैं जान सकता हूं कि कितने नये कारखानों को लाइसस दिये जाने वाले हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक व्यापक प्रश्न है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में सीमेंट की भारी कमी चल रही है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने सीमेंट के निर्यात कोटाओं में कुछ कटौती करने की वांछनीयता पर विचार कर लिया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : अब अधिक मात्रा में सीमेंट निर्यात नहीं किया जाता है ।

†**डा० क० ला राव** : क्या यह सच है कि सीमेंट के लिये चूने का पत्थर तथा कोयला जैसी बहुत अच्छी अच्छी सामग्री आंध्र प्रदेश में बहुतायत से मिलती है ; और यदि हां, तो सीमेंट के निर्माण के लिये इन सामग्रियों का पूर्व उपयोग करने के सम्बंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: हमने आंध्र प्रदेश के लिये कुछ नई सीमेंट परियोजनाओं को लाइसेंस दिये हैं और हमें आशा है कि उन्हें शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित किया जायेगा ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यह कट इसलिये किया गया है कि हमारे सीमेंट के प्रोडक्शन में कमी आ गई है ? यदि हां, तो किस लिये ?

श्री प्र० चं० सेठी : सीमेंट के उत्पादन में कमी उस की मांग के हिसाब से है, और इसलिये २५ फी सदी की कटौती की गई थी । लेकिन उस कटौती में से कुछ रेस्टोर की गई है ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : राष्ट्रीय आपात के कारण सीमेंट की कुल कितनी कमी हुई है ? क्योंकि जनता को इस मामले में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कोई कदम उठा रही है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : १९६१-६२ के दौरान ९२ लाख ५० हज़ार टन की मांग का अनुमान लगाया गया था जब कि उत्पादन लगभग ८२ लाख ८० हज़ार टन का हुआ था । राष्ट्रीय आपात के कारण भी कमी का अनुभव कर रहे हैं ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : इस कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : परियोजनाओं की क्रियान्विति में हम शीघ्रता कर रहे हैं ।

असैनिक तथा प्रतिरक्षा उत्पादन का समन्वय

†७२५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय** मंत्री दिनांक १५ नवम्बर, १९६२ के राष्ट्रपति के आदेश से संलग्न परिशिष्ट के भाग (ख) मद २ के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में उनको और कौन-कौन से विषय सौंपे गए ; हैं और

(ख) इस अवधि में असैनिक तथा प्रतिरक्षा उत्पादन तथा सम्भरण के समन्वय के क्षेत्र में क्या सुधार किये गये हैं ?

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **(पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १०७२।६३)**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : सिंचाई तथा विद्युत के केन्द्रीय बोर्ड की एक बैठक में बोलते हुए माननीय मंत्री निराशा तथा व्यथा की भावनायें व्यक्त की थी जिन से यह पता लगता था उनके अपने मंत्रालय को मिला कर सभी मंत्रालयों में जिस ढंग से कार्य किया जा रहा है वह उस से पूर्वतः असंतुष्ट हैं। क्या मेरी यह धारणा ठीक है ? यदि हां, तो माननीय मंत्री ने किन किन कठिनाइयों का सामना किया है ? क्या उनके सम्बंध में उन्होंने प्रधान मंत्री से बातचीत की है और उन्हें हल करने का प्रयत्न किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या एक ही प्रश्न के लिये सभी उत्तर देना सम्भव है ? प्रश्न है उन्होंने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया हो ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैंने अभी प्रश्न का संदर्भ भी बताया है । ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य मंत्रालयों तथा स्वयं उनके भी मंत्रालय के सम्बंध में अपने कार्य का निर्वहन करने में माननीय मंत्री कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं । यह कठिनाइयां क्या हैं ? वह उन्हें जीतने का किस प्रकार प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : श्रीमन्, आपकी यह टिप्पणी ठीक ही थी कि क्षेत्र बहुत बड़ा है । यह जो बात मैंने बताई थी कि जो परियोजनाओं सरकार द्वारा अपने हाथ में ले ली जाती हैं उन पर तीव्र गति से कार्य नहीं किया जाता यह मुझे केवल इस समन्वय यूनिट के कार्य करने के कारण ही ज्ञात थी जहां कि हमें सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं एवं उनके कार्यकलापों के सम्बंध में कुछ आंकड़े मिलते रहते हैं और मेरा विचार है कि जहां तक इन कठिनाइयों के सम्बंध में हमने विभिन्न मंत्रालयों तथा सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के प्रबन्धकों को बताया है वहां तक हमारा प्रयोजन पूरा हो गया है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या इतने महीनों तक कार्य करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि कुछ सुधार किया जाता है तो कुछ आमूल परिवर्तन आवश्यक है और यदि हां, तो क्या इस सम्बंध में उन्होंने कोई सिफारिश की है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : हमारे जैसी अर्थ व्यवस्था में जिस का कि निरन्तर विस्तार किया जा रहा है और जिस पर प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के कारण भारी बोझ लद गया है, यदि सरकार के कार्यकलापों की छानबीन की जाती है तो अवश्य ही कमियां प्रकट होती हैं और यह कमियां निरन्तर ही केवल प्रधान मंत्री को ही नहीं अपितु अनेक मंत्रालयों को भी बताई जाती हैं ।

†**श्री त्यागी** : क्योंकि मंत्रालय गो–बिटवीन के रूप में कार्य करता है जहा तक कि असैनिक तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय ......

†**अध्यक्ष महोदय** : जो शब्द उन के लिये प्रयोग किया जाता है उसी का प्रयोग किया जाना चाहिये ।

†**श्री त्यागी** : श्रीमन्, मुझे खेद है, परन्तु मेरा अंग्रेजी का ज्ञान इतना ही कम है । तदापि, यदि मैं कहूं कि "इन्टरमिडयरी" एक (मध्यवर्ती) के रूप में कार्य करता है" तो क्या काम चल जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनके लिये 'कोआर्डिनेशन (समन्वय) शब्द है । उन्हें इस शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री त्यागी** : क्या मैं यह कह सकता हूं, "क्योंकि मंत्रालय एक 'कोआर्डिनेटर' (समन्वयकर्ता) के रुप में कार्य करता है" ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हमने प्रायः माननीय सदस्य को नवीन शब्द गढ़ते हुए देखा है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : यह त्यागी इंगलिश है ।

†**श्री त्यागी** : यह मालूम करने की दृष्टि से की किन किन उद्योगों में प्रतिरक्षा उत्पादन की सहायता करने की सम्भावित क्षमता है क्या माननीय मंत्री ने गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का सर्वेक्षण किया है ? क्या ऐसा कोई सर्वेक्षण समस्त भारत में किया गया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : प्रतिरक्षा उत्पादन की समस्त आवश्यकताओं का एक सामान्य चित्र मेरे सम्मुख है । विशिष्ट आवश्यकतायें मुझे प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा बताई जाती हैं । वास्तव में, उन्होंन बताया है कि दस विन्निभ मदों के लिए अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था की जानी चाहिये । इस मामले की जांच की जा रही है । जब प्रतिरक्षा मंत्रालय से गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी भी दिशा में क्षमता का विकास करने के लिए एक विशिष्ट प्रार्थना प्राप्त होती है तो उस मामले की जांच की जाती है

†**श्री त्यागी** : मैं यह जानना चाहता था कि क्या भारत की सम्भावित क्षमता का पूर्ण सर्वेक्षण कर लिया गया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमचारी** : जी नहीं, इस कार्य को प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है क्योंकि मैं यह ही नहीं जानता की यह कहां प्रारम्भ होगा तथा कहां समाप्त होगा । समय समय पर प्रतिरक्षा मंत्रालय पर द्वारा जितनी मांगें भजी जाती हैं उस सीमा तक देश में विद्यमान क्षमताओं का पता लगाने का, उस क्षमता में वृद्धि करने के लिए जिस उपकरण की व्यवस्था करनी होगी उसे संतुलित करने का, उससे पर्याप्त सेवा लेने का और इस प्रयोजन के लिये उनकी प्रविधिक सेवाओं में वृद्धि करने का भी हम प्रयत्न कर रहे हैं । दस विभिन्न मद आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय को बताये गये हैं और मामले की जांच की जा रही है ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : अन्य मंत्रालयों से किस स्तर पर परामर्श विया जाता है और माननीय मंत्री ने कितनी बार उन मंत्रालयों से परामर्श किया है जिनके साथ वह अपने कार्यों को समन्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे दिया जाय, दूसरे का नहीं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : परामर्श करने के लिये साधन रूप में तीन समितियां है : सचिवों की दो समितियां--उत्पादन समिति तथा सेवा (सर्विस्ज) समिति और प्रतिरक्षा मंत्रालय व आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय के बीच परामर्श करने के लिये मंत्रिमंडल की एक विशष समिति । समय समय जो प्रश्न तथा विषय उठते हैं उनमें से अधिकांश पर इन समितियों द्वारा विचार किया जाता है और स्वाभाविक रूप से ही , यह सूचना मुझे भज दी जाती है कि इन समितियों में क्या कार्य किया गया है ।

†**श्री दाजी** : माननीय मंत्री लगभग एक वर्ष से अपना यह कार्य कर रहे हैं । मैं यह जाना चाहूंगा कि उनके अपने विभाग में , सामान्य प्रशासन में अथवा अन्य किसी विभाग में उनके

†मूल अंग्रेजी में

विभाग द्वारा किये गये कार्य के परिणाम स्वरूप क्या वह भूल चूक के संबंधी किसी ऐसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन की ओर संकेत कर सकते हैं जिसे उनकी मत्रणा, कार्य अथवा सुझाव के परिणाम स्वरूप किया हुआ माना जा सके।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : समस्याओं की पहचान करना आसान नहीं है। **(अन्तर्बाधायें)**

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे आश्चर्य है कि क्या ऐसे प्रश्नों को इस रूप में पूछा जाना चाहिये और क्या एसी परिस्थितयों में हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।

†**श्री कपूर सिंह** : माननीय मंत्री अपने ही कार्यों की स्वयं परख नही कर सकते।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात भी ठीक है। ऐसे प्रश्नों से हमें कोई लाभ नहीं होता। यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं उस मंत्रालय पर कुछ चर्चा की जानी चाहिये तो यह बिल्कुल ही भिन्न बात होगी।

†**श्री दाजी** : मैं इस प्रश्न को अलग से पूछूंगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: इन प्रश्नों के उत्तर में दी गई सूचना से इस मंत्रालय की मांगों पर उचित चर्चा की जा सकेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं ; प्रश्न काल में हम इतनी अधिक और विस्तृत चर्चा नहीं कर सकते।

कुछ माननीय वसदस्य उठे –

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अब और प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा। यदि माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि उत्तर पर्याप्त नहीं है और व उस पर और चर्चा करना चाहते हैं तो वे अन्य उपाय करें।

†**श्री हिरश्चन्द्र माथुर** : हम और आगे चर्चा करने के इच्छुक नहीं हैं।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : इस बात के आधार पर . . . . . **(अन्तर्बाधायें)**

†**अयक्ष महोदय** : मैं अब और आग प्रश्न करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री महेश्वर नायक।

†**श्री महेश्वर नायक** : प्रश्न संख्या ७२६।

†**श्री त्यागी** : यह हमारा दुर्भाग्य है कि माननीय मंत्री अभी तक किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये नहीं आये थे। पहली बार ही उन्हें कसौटी पर रखा जा रहा है . . . . **(अन्तर्बाभायें)**।

†**अध्यक्ष महोदय** : वास्तव में वे चर्चा करने के लिये कह सकते हैं और यदि इसकी सूचना नियमानुकूल है तो अवश्य ही मैं इसकी अनुमति दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं चर्चा करना नहीं चाहता। प्ररन्तु प्रश्न काल में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें जानना पड़ता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां, होती है। परन्तु मानमीय सदस्यों को यह अनुभाव करना चाहिये कि मैंने इस प्रश्न के लिये दस मिनट का समय दिया है। फिर मेरा विचार है कि मंत्रालय के प्राक्कलन भी सदन के सामने आ रहे हैं। उन्हें वहां भी अवसर मिलेगा ही। जब उस मंत्रालय के आबंटन पर चर्चा की जायेगी तो मैं एक घन्टे का अधिक समय दे दूंगा । श्री महेश्वर नायक।

†**श्री दाजी** : बिना किसी सामग्री के हम उस पर उचित चर्चा नहीं कर सकेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप सामग्री कहीं और से प्राप्त कर लें। श्री महेश्वर नायक ।

†**श्रीमती रेणुका राय** । उस मंत्रालय से कोई भी प्रतिवदन नहीं आया है। और हमें प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दिया जाता।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उस मंत्रालय का कोई प्रतिवदन नहीं है ?

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मन्त्रालय में सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी)** : वह परिचालित की जा चुकी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतिवेदन दिया जा चुका है।

†**श्री त्यागी** : एक छोटा सा प्रतिवदन दिया गया है।

†**श्रीमती रेणुका राय** : यदि आप उस प्रतिवेदन को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उसमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह दूसरी बात है। उसे उसी समय उठाना चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यदि आपने एक प्रश्न की अनुमति दी होती तो उससे बहुत सी बातों का स्पष्टीकरण हो गया होता। **(अन्तर्बाधायें)**

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। श्री महेश्वर नायक।

मिलों में रूई की खपत

†७२६. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के कुछ महीनों में मिलों में रूई की खपत बहुत कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई कार्यवाही करने का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) : भारत की सूती कपड़ा मिलों में महीना प्रति महीना उत्पादन के अनुसार रूई की खपत में थोड़ी कमी अथवा वृद्धि होती रही है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री महेश्वर नायक : क्या यह सच है कि कपड़ा मिलों में रखे जाने वाले स्टाकों में भारी कमी हो गई है उसके परिणाम स्वरूप रूई बाजार में मन्दी जैसी आ गई है ?

†श्री मनुभाई शाह : रूई बाजार में कोई मंदी नहीं है। तरन्तु जैसा कि सभा को ज्ञात हैं, आक्रमण के पश्चात् अन्य वस्तुओं की भांति सूती वस्त्रों की खपत में भी कुछ कमी आ गई थी। उस सीमा तक, कुछ महीनों तक खपत के लिये कम रूई उठाई गई थी। खपत फिर बढ़ रही है। सामान्य उत्पादन चल रहा है।

†श्री महेश्वर नायक : क्या यह सच है कि कपड़ा मिलें स्वदेशी रूई की तुलना में आयात की गई रूई को लेना अधिक पसंद करती है ?

†श्री मनुभाई शाह : मैं सभा के सूचनार्थ यह आंकड़े दे सकता हूं कि सन् १९६१-६२ के पहले पांच महीनों में २४ लाख गांठों की खपत की तुलना में हमने १९६२-६३ को उसी अवधि में २३ लाख ४० हजार गांठों की खपत की है और यह हो सकता है कि कुछ महीनों में हम उस संख्या तक पहुंच जायें अथवा इससे भी अधिक बढ़ जायें।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जब मिल वाले रूई का कपड़ा बना ही रहे हैं तो क्यों रूई का दाम गिर गया ?

श्री मनुभाई शाह : कहां गिर गया है, वह तो आसमान पर जा रहा है।

श्री विभूति मिश्र : पहले गिर गया था।

†श्री मनुभाई शा : यदि माननीय सदस्य रूई की हाजिर कीमतें[1] को तथा इसके वायदा बाजार के सौदों की भी जांच करें तो उन्हें पता वगेगा कि जरिल्ला किस्म की कीमत उच्चत मूल्य से भी अधिक हो रही है।

†श्री पें० वेंकटासु ब्बया : जहां तक इस देश में रूई के उत्पांदन का संबंध है हम किस समय तक आत्म-निर्भर हो जायेंग ?

†श्री मनुभाई शाह : निकट भविष्य में,तो नहीं क्योंकि एक उष्ण कटिबन्ध य देश होन के कारण यहां की खपत बढ़ती जाती है और उत्पादन उसकी गति के अनुसार अधिक नहीं हो रहा है।

श्री कछवाय : क्या गए साल में कपड़ा मिलों में कपड़ का उत्पादन कम हुआ ? यदि हां तो कितना ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने बताया कि ४९४.....

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

श्री दाजी : लगभग एक महीने पहले माननीय मंत्री ने कहा था कि सरकार को यह बात ज्ञात है कि कपड़ा मिलें जान बूझकर रूई के स्टाक नहीं उठा रही हैं। उत्पादकों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए बाजार में अनकों मुसीबतें थीं। क्या वह कठिनाई पूर्णतः समाप्त हो गई हैं ? क्या सरकार ने इस के लिये कुछ कदम उठाये हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : कौन सी कठिनाइयां ? कोई भी कठिनाई नहीं थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

Satprice.

†**श्री दाजी** : कठिनाई यह थी कि कपड़ा मिलें जानबूझकर बाजार से रूई के कम स्टाक उठा रही थी और आपने प्रतिज्ञा की थी कि इस दिशा में कुछ कदम उठाय जायेंग तथा कहा था कि सरकार स्थिति का अध्ययन कर रही है। क्या सरकार ने इस कठिनाई को दूर करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य ने मेरे संबंध में एक धारणा बना ली है जो कि स्वयं ही ठीग नहीं है। सरकार ने यह निश्चय कभी नहीं किया कि जान बूझ कर कम माल उठाया जा रहा है। आक्रमण के पश्चात् पहले कुछ महीनों में—नवम्बर दिसम्बर में—कम रूई उठाई गई थी। इसलिए रूई के तथा कपड़ के भी उत्पादन में कुछ गिरावट आ गई थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, यह कमी अब तक पूरी हो गई है।

+ **आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार**

*७२८. { **श्री सरजू पाण्डेय** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सेच है कि पश्चिमी आस्ट्रेलिया से एक सद्भावना मंडल अभी हाल में ही भारत आया था तथा उसने भारत और आस्ट्रेलिया के बीच व्यापार बढ़ाने के कुछ प्रस्ताव रखे थे ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन वस्तुओं के आदान-प्रदान का प्रस्ताव किया था तथा उसेका क्या निर्णय किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) और (ख) एक सद्भावना व्यापार तथा विकास शिष्टमंडल एयर इंडिया की दूसरी जेट उद्घाटन उड़ान द्वारा पर्थ से बम्बई आया था और ८ से १२ मार्च, १९६३ तक भारत में रहा। इस शिष्टमंडल द्वारा की गई दिल्ली की गैर-सरकारी यात्रा के अवसेर पर भारत और पश्चिमी आस्ट्रेलिया के बीच व्यापार संबंधी मामलों पर कुछ अनौपचारिक बातचीत की गई थी।

श्री सरजू पाण्डेय : क्या मैं जान सेकता हूं कि मुख्य रुप से किन वस्तुओं के ऐक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के संबंध में आस्ट्रेलिया के डेलीगेशन से बातचीत हुई है ?

श्री मनुभाई शाह : आस्ट्रेलिया वाले यह चाहते थे कि हम ज्यादा उनका वूल लें, प्रौसेस करें और दुनिया के बाजारों में वह तैयार किया हुआ माल बेचा जाय जबकि हम चाहते थे कि यहां से वे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्से ले लें और टेक्सटाईल गुड्स और ज्यादा लें। हम आशा रखते हैं कि उसेका कुछ परिणाम निकलेगा।

श्री सरजू पाण्डेय : इस संबंध में क्या यह भी सही है कि इस ऐक्सपोर्ट इम्पोर्ट के व्यापार को कुछ व्यक्तियों के हाथों में सौंपने का सेरकार विचार कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : सारा व्यापार ही निजी तौर का है। सरकार व्यापार नहीं करती। क्योंकि यह मलटीलेदल ट्रेडिंग कंट्री हैं और पार्टनर हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इन बातचीत के परिणामस्वरुप क्या आस्ट्रेलिया की पटसन के बोरे का निर्यात, जो हाल ही में कुछ कम हो गया था, को बढ़ाने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : यह नहीं बताया जा सकता है कि ऐसा इस कारण हुआ है। सेभा जानती है कि श्री बाम के नेतृत्व में पहले शिष्टमंडल के परिणामस्वरुप चालू वर्ष में ४० लाख किलोग्राम चाय हमने बेची थी ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तरह के व्यापार में हिन्दुस्तान और आस्ट्रेलिया के बीच में कितने रुपये का व्यापार होगा और क्या इंडिया को इस व्यापार से फायदा होगा, यदि हां, तो कितना होगा ?

श्री मनुभाई शाह : काफी बड़ा व्यापार है। हमारा उन के साथ व्यापार जो है वह कोई १५ करोड़ रुपये का तो इम्पोर्ट है और कोई २१ करोड़ का ऐक्सेपोर्ट है। कोई २ करोड़ का इधर या उधर चलता है ।

†**श्री शिवर्मात स्वामी** : क्या भारत में छोटे पैमाने पर स्थापित होने वाले उन उद्योग के बारे में कोई चर्चा हुई थी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह बिल्कुल अलग बात है ।

†**अध्यक्ष महोदयः** : इसका प्रश्न से बिल्कुल संबंध नहीं है ।

†**श्री राम सहाय पाण्डेय** : यहां से किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात होता है तथा आस्ट्रेलिया से आयात होता है ?

† **ी मनुभाई शाह** : मैंने अभी बताया......

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी, अभी ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या चाय बोर्ड का हमारा शिष्टमंडल आस्ट्रेलिया गया था और यदि हां, तो उस देश में चाय निर्यात बढ़ाने के संबंध में उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

†**श्री मनभाई शाह** : मैं चाय बोर्ड के प्रतिवेदन को परिचालित कर चुका हूं। शिष्टमंडल के दौरे के परिणामस्वरुप हमारी चाय की बिक्री काफी बढ़ गई है तथा और बढ़ जाने की आशा है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : चाय बोर्ड के अधीन आस्ट्रेलिया को भेजे गये शिष्टमंडल के अतिरिक्त क्या भारत सरकार का विचार आस्ट्रेलिया को और कोई शिष्टमंडल भेजने का है जो वहां पर निर्यात व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं की जांच करे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रश्न काफी लम्बा है। चाय के बारे में बता चुका हूं कि बढ़ोत्तरी अच्छी है। हम आस्ट्रेलिया को अपना बड़ा अच्छा व्यापार केन्द्र समझते हैं क्योंकि हमारा उनसे भौगोलिक संबंध है तथा हमें आशा है कि हम इसे और बढ़ा सकेंगे ।

जापान के साथ व्यापार

†*७२९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सेच है कि दिसेम्बर, १९६२ को समाप्त होने वाली छिमाही में जापान के साथ भारत का व्यापारान्तर प्रतिकूल रहा था ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक, तथा इस से पहली तीन छमाहियों से संबंधित आंकड़े क्या थे ; और

(ग) जापान के साथ व्यापारान्तर अधिक अनुकूल बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) जापान से भारत के व्यापार के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

	(करोड़ों में रुपये) आयात	निर्यात तथा पुनः निर्यात
अप्रैल—सितम्बर १९६२ . .	३६	२२
अक्तूबर, '६१—मार्च १९६२ . .	२३	१८
अप्रैल—सितम्बर, १९६२ . .	२८	१५
अक्तूबर, '६२—जनवरी, १९६३ . .	२३	१०

गत कई वर्षों में अन्तर १३ करोड़ का था। जापान में लोहा तथा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग में घाटा आ जाने के कारण लोहा तथा इस्पात स्क्रैप का कच्चे लोह का आयात एकदम बन्द हो गया था तथा कच्ची कपास आदि का भारत से निर्यात कम हो गया है। जापान के निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या जापान से वर्तमान व्यापार करार का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो किस आधार पर ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कई देशों से व्यापार करने वाले देशों से हम इस प्रकार के व्यापार करार नहीं करते हैं। व्यापार वार्तायें होती हैं। ये शिष्टमंडलों तथा वस्तुओं पर होती हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या जापान से कपड़े का मुख्यतः आयात किया जाता है तथा यदि यह सच है तो क्या सरकार इन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा रही है जो देश में पर्याप्त मात्रा में बनते हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह तो हमारी सामान्य नीति है। हमने जापान से कपड़े का आयात नहीं किया परन्तु केवल वस्त्र मशीनों का आयात किया था।

†**श्री हेम राज** : क्या चीन हमें बौद्धों द्वारा औषधि के रुप में प्रयोग के लिये वहां पर कुछ की जड़ों का निर्यात किया जा रहा था तथा यदि हां, तो क्या इन कुथ की जड़ों का निर्यात जापान, जो कि बौद्ध देश है, को किया जा सकता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कुथ की जड़ों के बारे में मेरी माननीय सदस्य से बातचीत हुई थी। कुथ की जड़ों का निर्यात औषधि के लिये चीन को हो रहा है। अन्य कोई देश इसेका प्रयोग नहीं करता है। हम इसलिये नये बाजार खोज रहे हैं।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि जापान को निर्यात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तु लौह अयस्क है। देश में विभिन्नखान मालिकों को खनन पट्टे देने के लिये

†मूल अंग्रेजी में

प्रशासन को तैयार करने के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे जापान की मांग को हम पूरा कर सेकें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुपूरक प्रश्न इतने लम्बे नहीं होने चाहिये ।

†**श्री मनुभाई शाह** : लौह अयस्क के खनन पट्टे रोके नहीं जाते हैं। हमारा उत्पादन बहुत अधिक है। प्रश्न बाजार ढूंढने का है। मुख्यत: जापान हमारा खरीदार है। यत्न किये जा रहे हैं तथा इस पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। परसों ही एक उच्चाधिकार युक्त शिष्टमंडल तोक्यो गया है जो यहां पर ग्यारह दिन रहा था और अब अग्रेतर बातचीत तोक्यो में होगी।

ी अचल सिंह : क्या इस बात की कोशिश की जा रही है कि जापान ज्यादा रुई या आयरन ओर ले ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन्होंने बतला दिया है।

श्री रामेश्वरानन्द : गत वर्ष की वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ने से प्रतीत होता है कि भारत को २ अरब ३७ करोड़ रुपये का घाटा व्यापार में हुआ है, निर्यात थोड़ा हुआ और आयात अधिक हुआ तो मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार इस आयात के बदले सोना देती है या और कुछ देती है ।

श्री मनुभाई शाह : स्वामी जी ने यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। २३५ करोड़ रुपये का ऐडवर्स बैलेंस आफ ट्रेड है। अब उनको स्वयं मुकाबला करना चाहिये कि पहले यह २८६ करोड़ था इसलिये जाहिर है कि ऐडवर्स बैलेंस घटा है क्योंकि ऐक्सपोर्ट कुछ बढ़ा है।

श्री रामेश्वरानन्द : मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी है उसमें यह लिखा हुआ है कि ६ अरब और ८२ करोड़ रुपये का आयात हुआ और ४ अरब और ५० करोड़ रुपये का निर्यात हुआ तो उस के आधार पर जो भी घाटा रहा है उसेके लिये आप स्वर्ण देते हैं या क्या देते हैं, प्रश्न इतना ही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह जापान से है ?

श्री मनुभाई शाह : जापान का नहीं बल्कि सारी दुनिया का ले लिया है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस व्यापार में कितना बार्टर बेसिस पर है और कितना फौरेन ऐक्सचेंज है ?

श्री मनुभाई शाह : जापान के साथ आयरन ओर में थोड़ा सा बार्टर करते हैं और कुछ व्हीट ब्रान में बार्टर करते हैं। बाकी का फी फौरेन ऐक्सचेंज इनक्रेडिट के साथ है।

रूस के साथ व्यापार करार

\+

†*७३०. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च १९६३ के तीसरे सप्ताह में भारत तथा रूस के बीच दीर्घकालीन करार तथा व्यापार विस्तार के लिये बातचीत हुई थी ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख) रूस के विदेश व्यापार मंत्रालय के विभाग के प्रधान श्री बी० बी० स्वाड्रयान के नेतृत्व में रूस से अधिकारियों का दल गत तीन सप्ताहों में बातचीत करता रहा है कि भारत और रूस में पंचवर्षीय व्यापार करार हो। व्यापार करार पर जून के आरम्भ में मास्को में हस्ताक्षर होंगे। इन बातचीतों के परिणामस्वरूप आशा है कि दोनों देशों में व्यापार आगामी तीन वर्षों में दुगना हो जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** गत वर्ष रूस से कितना व्यापार हुआ था तथा इस व्यापार के लिए हमने तथा रूस सरकार ने किस प्रकार भुगतान किया था ?

†**श्री मनुभाई शाह :** प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर में मैं बताना चाहता हूं कि यह शेष व्यापार है तथा इसलिए इस को रुपया करार कहा जाता है या आगामी तीन वर्षों में १०० करोड़ रु० के बनाने का प्रस्ताव है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** व्यापार की किन मदों पर बातचीत हुई थी। क्या उनमें से अफीम भी है।

†**श्री मनुभाई शाह :** अफीम भी एक है। यह समाचार पत्रों में आया था। ४३ प्रतिशत निर्मित वस्तुयें हैं तथा ५७ प्रतिशत कच्चा माल तथा कृषि उत्पाद हैं।

श्री विभूति मिश्र : आज के अख़बार से पता चलता है कि मंत्री जी मास्को जा कर एग्रीमेंट पर दस्तख़त करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां से जूट का सामान कितना जायगा।

श्री मनुभाई शाह : बहुत जायगा—कोई २२ से २७ करोड़ का।

†**श्री नाथपाई :** क्या हमारे व्यापार की पहले वस्तुओं के आधार पर रूस से हमारा व्यापार अनुमान के अनुसार बढ़ रहा है अथवा नई वस्तुयें शामिल की गई हैं ? यदि नई वस्तुयें हैं तो क्या हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि रूसी संगठनों का सहयोग नयी वस्तुओ को शामिल करने के लिए मिले। हम नई वस्तुओं को शामिल कर रहे हैं। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि दोनों ओर से प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत व्यापार बढ़े।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी।** ये व्यापार के आंकड़े रूस से खरीदी गयीं प्रतिरक्षा वस्तुओं के अतिरिक्त हैं अथवा इसमें शामिल हैं।

†**श्री मनुभाई शाह :** यह बताना लोकहित में नहीं है।

श्री सरजू पाण्डेय : क्या अख़बारों में प्रकाशित यह समाचार सही है कि सोवियत यूनियन को यहां से ओपियम भेजी जायगी ?

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब ने इस का जबाबदे दिया है। आपने शायद सुना नहीं है। माननीय सदस्य, श्री डी० सी० शर्मा, पर ओपियम का असर हुआ था और उन्होंने उस के बारे में पूछ लिया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

चैकोस्लोवाकिया के साथ वस्तु विनियम

†*७३१. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवदी :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को मशीनों के संभरण के बदले में चैकोस्लोवाकिया को मैंगनीज अयस्क का वस्तु विनिमय आधार पर निर्यात करने के लिये हाल में ही कोई प्रबंध किया गया है ;

(ख) क्या मैंगनीज अयस्क का संभरण राज्य व्यापार निगम के द्वारा किया जायेगा ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम का विचार इस वस्तु को खुले बाजार से खरीदने का है अथवा क्या इस कार्य के लिए किसी मैंगनीज सार्थ को ठेका दिया गया है ; और

(घ) यदि उपरोक्त का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सार्थ अथवा सार्थों के क्या नाम हैं ;

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी:** क्या यह सच है कि वस्तु विनिमय अधार पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को मशीनरी का संभरण करने का प्रश्न पिछले दो वर्षों से सरकार के विचाराधीन है और पिछले महीने ही खान तथा ईंधन मंत्रालय ने सिराजुद्दीन ऐंड कम्पनी के मामले समेत ऐसे मामलों पर विचार करने के लिये वाणिज्य मंत्रालय को एक आवेदन भेजा था ?

†**श्री मनुभाई शाह :** क्योंकि फर्म की हालत खराब थी, हमने वस्तु विनिमय अस्वीकार कर दिये ।

†**श्रीसुरेंद्र नाथ द्विवेदी :** क्या यह सच है कि वस्तु विनिमय व्यवस्था के अधीन गत वर्ष निर्यात किये गये लगभग १७ करोड़ रुपयेके माल में मैंगनीज अयस्क शामिल था? यदि हां, तो क्या यह सच है कि सराजुद्दीन ऐंड कम्पनी उन फर्मों में शामिल थी जिन को इस का वाणिज्य करने की आज्ञा दी गई थी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं इस का उत्तर दे चुका हूं ? इस फर्म के साथ वस्तु विनिमय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था ।

†**श्री सुरेंद्र नाथ द्विवेदी :** यहां मंत्रालय के प्रतिवेदन मैं बताया गया है कि वस्तुविनिमय व्यवस्था के अन्तर्गत, मैंगनीज अयस्क जैसी कठिनाई से बिकने वाला अनुमानत: १७ करोड़ रुपये का माल निर्यात किया गया था । क्या सराजुद्दीन एंड कंपनी उन फर्मों में थी जिन को वस्तु-विनिमय आधार पर मैंगनीज अयस्क का निर्यात करने की अनुमति दी गई थी ।

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं यही कह रहा था कि नवीन संविदा अस्वीकार कर दिया गया था । पुराने संविदा हजारों फर्मों के पास हैं । यदि मा० सदस्य किसी विशेष वस्तु विनिमय या विशिष्ट फर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो वह पृथक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री सूरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या वह बता सकते हैं कि क्या इस फर्म की प्रार्थना पर किसी समय पर विचार किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** वह बता चुके हैं कि इस वर्ष अनुमति नहीं दी गई ।

श्री अचल सिंह : क्या यह फ़ैक्ट है कि जो व्यापारी मैंगानीस और को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन के लाइसंस कैंसिल कर दिये गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : औरों के लाइसेंस को क्यों कैंसिल किया जायगा ? जिस जिस फर्म पर डाउट है, उस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है । हम तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं और उस को एनकरेजमेंट देते हैं ।

संश्लिष्ट औषधि निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण

७३२. **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संश्लिष्ट औषधि के निर्माण का प्रशिक्षण लेने के लिए रूस को कुछ विशेषज्ञ भेजे जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने विशेषज्ञ भेजे जाने की संभावना है ; और

(ग) रूस में प्रशिक्षण अवधि कितनी होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रीलय में उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) से (ग) जी, हां लगभग ७३ विशेषज्ञों को रुस में लगभग ८ महीनों के लिये दो दस्तों में प्रशिक्षण के लिये भेजा जाएगा ।

†**श्री ईश्वर रेड्डी :** उन्हें कैसे चुना जाता है और क्या प्रणाली अपनाई जाती है ?

†**श्री कानूनगो :** यह विज्ञापन द्वारा होता है । निदेशक मंडल के कुछ सदस्यों की एक चुनाव समिति अभ्यर्थियों से मुलाकात कर के उन को चुनती है ।

†**श्री ईश्वर रेड्डी :** वहां निर्माय कार्य में कितने रूसी विशेषज्ञ काम पर लगे हुए हैं । क्या निर्माण कार्य अनुसूचि के अनुसार चल रहा है ?

†**श्री कानूनगो :** जी, हां, निर्माण कार्य तथा रूस में मशीनरी तैयार करने का काम अनुसूचि के अनुसार चल रहा है ।

†**श्री वासुदेवन नायर :** मैं आशा करता हूं कि ये विशेषज्ञ स्थापित किये जाने वाली और औषध की योजनाओं में काम करेंगे । क्या लोगों को प्रस्तावित फिटो कैमिकल परियोजना में भी काम करने के लिये लोग चुने जाते हैं, जिन के भाग्य का अभी निर्माण नहीं हो पाया है ।

†**श्री कानूनगो :** इन दोनों दस्तों का हैदराबाद का संश्लिष्ट परियोजना से संबंध है ।

डा० गोविन्द दास : यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो लोग रूस भेजे जा रहे हैं, उन पर कितना खर्च होगा और क्या यह ऐसा विषय है, जिस का ज्ञान उन को हिन्दुस्तान में प्राप्त नहीं हो सकता था और इस लिए वे रूस भेजे जा रहे हैं ?

श्री कानूनगो : यह जानकारी हिन्दुस्तान में प्राप्त नहीं हो सकती है । चूंकि यह कारख़ाना रूस के सहयोग से बनाया जा रहा है, इस लिए उन को रूस में ही तालीम लेनी चाहिए । ख़र्च के बारे में इस वक्त मेरे पास सूचना नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

†डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : प्रशिक्षण की अवधि क्या होगी और क्या भारत सरकार को खर्च वहन करना होगा ?

†श्री कानूनगो : मेरे पास लागत के आंकड़े नहीं, किन्तु प्रशिक्षण किये जाने वाले कर्तव्य के सवाल के अनुसार छ महीने में एक वर्ष तक का होगा।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मा० मंत्री को पता है कि रूसी राजदूत ने कुछ दिन हुए कह कि हमारी परियोजनाओं में प्रमुख कमजोरी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की है ? क्या इस मामले में पूरा ध्यान रखा गया है ? प्रशिक्षण का समूचा कार्यक्रम क्या है और यह कैसे किया जाएगा ?

†श्री कानूनगो : मुझे रूस के राजदूत के टिप्पणों के बारेमें कोई जानकारी नहीं है किन्तु जहां तक इस परियोजना विशेष के लिये इन आदमियों के प्रशिक्षण का संबंध है, यह काम रूसी संगंल्प के परामर्श से किया गया है जो इस परियोजना की देख भाल कर रहा है और सलाहकार के तौर पर है, और उन के कार्य क्रम को अच्छी तरह कार्यान्वित किया गया है।

†श्री श्रा० प्र० जैन : सरकार कहां तक यह समझती है कि हमारे अत्यधिक कार्यक्रमों के बारे में जनता में खुले टिप्पणी, उन की असफलताओं आदि के बारे में खुले टिप्पण विदेशी राजदूतों और राज्य कार्यों द्वारा उचित होते हैं ?

†श्री कानूनगो : जैसा मैंने कहा, मुझे उन टिप्पणों का पता नहीं।

†डा० का० ला० राव : क्या चुने गये अभ्यार्थियों को रूसी भाषा का अच्छा ज्ञान है उन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त करने को कहा जाएगा और क्या वे रूस में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय निमर्ण प्रक्रिया का अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे ?

†श्री कानूनगो : जी हां, वे हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स में नवीमकरण एवं भाषा का पठन कर रहे है, जिसमें भाषा को उचित अग्रता दी जाती है।

†श्री पें० वेंकटासुब्बया : हैदराबाद की यह फैक्टरी कब उत्पादन आरंभ करेगी ?

†श्री कानूनगो : १९६६ तक आशा है।

दिल्ली के लिए व्यापार मंत्रणा बोर्ड

†*७३३. श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक व्यापारी मंत्रणा बोर्ड स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका प्रयोजन क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) भारत सरकार ने ऐसा कोई बोर्ड नियुक्त नहीं किया, किन्तु मुख्य आयुक्त दिल्ली से पूछने पर हमें पता लगा कि १३ मार्च को उन्होंने व्यापार संबंधी स्थानीय सलाहकार बोर्ड स्थापित किया है। अभी उनकी बैठक नहीं हुई।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्याम लाल सर्राफ़ :** इस बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उन की कोयला, चीनी, मिट्टी का तेल आदि के वितरण की बहुत सी समस्याए है।.

†**श्री श्याम लाल सर्राफ़:** यदि उद्देश्य यह है तो इस में प्रयुक्त शब्द भ्रामयक है। क्या यह बोर्ड उन चीजो को लेगा जिन की इस समय दिल्ली में कमी अनुभव हो रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह न्यूनाधिक एक असेनिक संभरण समिति है। शायद वे नाम भी बदलने वाले है।

चाय का ग्रेजुएट कोर्स

+

†*७३४ { **श्री अ० व० राघवन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या आसाम कृषि कालेज में चाय का ग्रेजुएट कोर्स जारी करने का विचार है,

(ख) इस योजना के लिये चाय बोर्ड का क्या अंशदान है,

(ग) कोर्स की अवधि क्या है तथा विद्यार्थियों को चुनाव का तरीका क्या है, और

(घ) कोर्स कब आरम्भ होगा ? —

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनभाई शाह) :** (क) जी, हां। आसाम कृषि कालेज, जोरहाट में एक समेकित बी० एस० सी० कृषि डिग्री कोर्स जारी करने का विचार है जिसमें चाय संबंधी विशेष ज्ञान तथा वनस्पति प्रजनन की व्यवस्था है।

(ख) अनावर्त्तक व्यय . . ३,७०,००० रुपये
आवर्त्तक . . . ३०,५०० रूपये प्रति वर्ष

(ग) चार वर्ष का। यद्यपि अभी कोर्स तय नहीं हुआ अन्तिम रूप से यह विचार किया गया है कि आसाम सरकार द्वारा बनाये जाने वाले चुनाव बोर्ड में चाय बोर्ड और चाय उद्योग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। चुनाव अखिल भारतीय आधार पर होगा। सरकार भी ऐसी अन्य फसलों के लिये ऐसे ही पाठ्य-क्रम चारी करने का विचार करना है।

(ख) आगामी शिक्षा वर्ष से कोर्स आरम्भ होने की आशा है।

†**श्री अ० ब० राघवन :** इस कोर्स में प्रवेश पाने की निम्नतम योग्यताएं क्या है और क्या चाय उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी ?

†**श्रीमनुभाई शाह :** प्रश्न का पिछला भाग सही नहीं है। उनको प्रथम अग्रता दी जाएगी। जहां तक इसके कृषि भाग का संबंध है, हमारे पास चाय विशेषज्ञ नहीं हैं।

†**श्री अ० ब० राघवन :** अगले वर्ष कितने विद्यार्थियों को भरती किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : अस्थायी तौर से २० यदि मांग बढ़ी तो इसे बढ़ा दिया जाएगा।

†श्री हेम बरूआ : क्या यह सच है कि आसाम सरकार के जोरहाट के इस कृषि कालेज को कृषि विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार से किया है, और यदि हां, तो इसके बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह शिक्षा में अलग के पर्यवेक्षण में आती है। हमारा बागान औद्योगिक और कृषि से संबंध है, जिसे हम कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रहे है।

†श्री प० कुन्हन : क्या इस शिक्षा-क्रम को केरल जैसे अन्य चाय उपजाऊ राज्यों नें भी अपनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†श्री मनुभाई शाह : केरल और मद्रास दोनों विचाराधीन है।

श्री बूटा सिंह : माननोय मंत्री जो ने कहा है कि इस में जो एडमिशन होगी, वह आल-इंडिया बेसिस पर होगी। में जानना चाहता हूं कि आसाम के इस कृषि विद्यालय में जो ग्रेजुएट कोर्स चालू किया जा रहा है, इस मैं हरिजन विद्यार्थियों की क्या संख्या होगी, उनको कितने परसेंट जगह मिलेंगी ?

†श्री मनुभाई शाह : पंजाब के जितने भी दोस्त आना चाहेंगे उन सब को लिया जाएगा बशर्ते कि वे ठोक क्वालिफिकेशन वाले हों।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सरकार का इरादा यह है कि चाय बागों में केवल इस कालेज से आने वाले लोगों को ही रोजगार किया जाये, क्योंकि इसके होने की संभावना है, और यदि हां तो सरकार इस मामले में क्या सुधार कार्य करने का विचार करती है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह उच्च स्तर पर विशेषता प्राप्त करने के लिये हैं। इस में नौकरी का प्रश्न नहीं आता। चाय के बागों में कार्य कर्ताओं का नियोजन मुख्य रुप से स्थानीय समिति पर निर्भर होगा। यह प्रविधिक लोगों तक सीमित होगा, किन्तु प्राथमिकता, विशेषता प्राप्त न करने वाले लोगों की अपेक्षा विशेष योग्यता प्राप्त लोगों के लिये होगी।

†श्रीमती अकम्मा देवी : इस बात की दृष्टि से कि अपने देश में चाय के छोटे उत्पादक हजारों की संख्या में हैं, क्या चाय संबंधी यह स्नातक शिक्षा-क्रम इन छोटे उत्पादकों को भी लाभ पहुचायेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : यह बहुत अच्छा सुझाव है। जैसा मैंने बताया हम मद्रास राज्य में भी इसे कर रहे हैं।

†श्री तिरुमल राव : क्या इस शिक्षण क्रम में चाय का स्वाद लेने का विषय भी शामिल होगा ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा मैंने कहा, यह कृषि के संबंध में है। किन्तु चाय का स्वाद लेने के बारे में, हमारे पास जगत-प्रसिद्ध माननीय विशेषज्ञ हैं।

†श्री विभूति मिश्र : जो लोग टी गार्डन्ज में काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उनके बच्चों को क्या इस में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ?

†श्री मनुभाई शाह : वह तो है ही।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री हेमराज : यह ग्रेजुएट कोर्स टी का जो है, उस का प्रेक्टीकल शिक्षा के लिए टोकलाई टी एक्सपेरिमेंटल स्टेशन से क्या ताल्लुक होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** रिसर्च का जहां तक ताल्लुक है, वहां इस का कोग्रोडिनेशन होगा। जैसा सदन को पता है, एक बहुत बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूशन खोली जा रही है जो टी में फंडेमेंटल रिसर्च करेगी और टोकलाई को शायद उस में मर्ज कर दिया जाएगा।

राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशों को ऋण सुविधायें

+

†*७३५ { **श्री सुबोध हसदा :** / **श्री स० चं० सामन्त :** / **श्री ब० कु० दास :** / **श्री म० ला० द्विवेदी :** }

क्या **वाणिज्य** तथा **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम कुछ देशों को उनकी रुपया भुगतान कठिनाई को दूर करने के लिए ऋण सुविधायें दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ये सुविधायें किन-किन देशों को दी गई हैं ; और

(ग) इन देशों को लोह अयस्क का निर्यात करके अब तक कितनी रकम ऋण के रूप में गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :
(क) जी हां।

(ख) इस समय केवल स्विटजरलैंड--

(ग) राजकीय व्यापार निगम द्वारा लोह अयस्क नर्यात के लिए ३०२.७० लाख रुपया दिये गये थे और यह समूची राशि लौटा दी गई है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या इन ऋण सुविधाओं के दिये जाने के पश्चात् निर्यात किये जाने वाले लोह अयस्क की मात्रा बढ़ गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** लोह अयस्क के निर्यात के लिये ३०२.७० लाख रुपये दिये गये थे।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या निर्यात में बढ़ती हुई है और यदि हां, तो कितनी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यदि ऋण न दिया जाता तो यह निर्यात न किया जाता। परन्तु, यदि माननीय सदस्य लोहा अयस्क के लिये निर्यात वित्त के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमने इसके लिये पैकेत ऋण दिया है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या इन ऋणों पर कोई ब्याज लिया जाएगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इन सब ऋणों पर ब्याज लिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सं० चं० सामन्त : माननीय मंत्री ने प्रश्न के भाग 'ख' के उत्तर में बताया था कि यह व्यवस्था केवल स्विटजरलैंड के साथ है। इस के सम्बंध में और किन दूसरे देशों के बारे में विचार किया जा रहा है।

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक हमारे मुख्य ग्राहक जापान का सम्बंध है, व्यापार दीर्घ कालीन कच्चा सौदा आधार पर होता है और हम दस वर्ष तक भी अवधि को बढ़ा रहे हैं। रुपया भुगतान देशों के सम्बन्ध में यह द्विपक्षीय व्यापार संतुलन आधार पर होता है। पहली बार ही एसा हुआ था कि बहु-पक्षीय देश में यह ऋण दिया गया था और यह पूरा किया गया है। यदि और नवीन संविदाआए तो इस का विस्तार किया जायेगा।

†श्री ब० सु० दास : स्विटजरलैंड के साथ व्यापार संतुलन की स्थिति क्या है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह इस प्रश्न से नहीं उठता।

पटसन उद्योग

†*७३६. श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान की कड़ी प्रतिद्वन्दिता के कारण देश के पटसन उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग की मुख्य कठिनाइयां क्या हैं तथा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): एक बिवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

यह सच है कि भारतीय पटसन उद्योग को विदेशों में पाकिस्तान से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। प्रतियोगिता बोरा बनाने वाले माल तक अधिकांशतः सीमित है, क्योंकि उस में पाकिस्तान को मूल्य का कुछ लाभ प्राप्त है, क्योंकि वहां कच्चा माल सस्ता मिलता है और निर्यात लाभांश योजना वहां प्रचलित हैं। अब भी इसकारण भारतीय पटसन उद्योग में कोई संकट नहीं आया। और १९६२में भारत में ९६३,७ मीट्रिक टन का पटसन माल बाहर भेजा गया जो १९४८ के पश्चात सब से अधिक था।

भारतीय पटसन उद्योगकी प्रतिद्वन्दिता की स्थिति को सुधारने के लिये (१) कच्चे माल की आवश्यकता के मामले में स्वावलंविता प्राप्ति, (२) पटसन बाजार में पुष्ट स्थिति बनाये रखने (३) पटसन मिलों में कताई और तैयार करने की मशीनों को आधुनिक ढंग का बनाने के लिये ऋण सहायता दी गई है, उपाय किये गये हैं।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि तीसरी योजना में निर्धारित मूल लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होगा, और यदि हां तो किस मात्रा तक ?

†श्री मनुभाई शाह : वर्तमान पूर्व अनुमान यह है कि यह उद्योग लक्ष्य से बढ़ जाएगा। जहां तक पटसन उद्योग का संबंध है, लक्ष्य ९ लाख टन था, और अब १० लाख टन से अधिक हो सकता है।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस का कारण पाकिस्तान की प्रतिद्वन्द्विता है कि हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे ?

†श्री मनुभाई शाह : पाकिस्तान से प्रतियोगिता तेज है और वहां मूल्य संबंधी तथा अन्य विनिमय भी नहीं है। किन्तु तो भी हमें अपना व्यापार जारी रखना है और जहां तक हम उन का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, हम उस का प्रयत्न कर रहे हैं।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि घटिया किस्म का भारतीय पटसन होने के कारण हमारे मिल पाकिस्तान के मिलों की तुलना में घाटे में हैं और यदि हां, तो सरकार ने पटसन की किस्म को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : यह सच है कि हमारे पास घटिया किस्म का पटसन बहुत है। किन्तु खाद्य तथा कृषि मंत्रालय कलही हमें बता रहा था कि वे पटसन का वर्गीकरण करने, बीज को सुधारने और मूल्य में अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिये बहुत से उपाय कर रहे हैं ताकि उत्पादनों को उत्तम पटसन उगाने में प्रोत्साहन मिले।

†डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : पटसन बाजार में स्थायी हालात बनाये रखने के तथा पटसन कारखानों में बताई मशीनरी का आधुनिक ढंग का बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक आधुनिक ढंग का बनाने का प्रश्न है, अन्य ८५प्रतिशत भारतीय पटसन मिल अब पूर्णतया नये बनाये जा चुके हैं हमारे द्वारा दिये गये ऋणों और कई प्रकार की सहायता के ऊपर करघा क्षेत्र में हम अब आधुनिक ढंग का बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस में ५० प्रतिशत आधुनिक ढंग का बनाया जा चुका है और तीसरी योजना में शेष ५० प्रतिशत को भी आधुनिक ढंग का बनाया जाएगा। किन्तु हम यह भी ध्यान रख रहे हैं कि कम कीमत वाले माल के स्थान पर अधिक कीमत का माल बेचने के लिये इसे उद्योग का विकेन्द्रीकरण और विस्तार किया जाएगा। (अन्तर्बाधा)

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आगामी मौसम के लिये कच्चे पटसेन के लिये कोई नवीनतम संचालन मूल्य नियत किया गया है यदि हां, तो वह क्या है और इस को कब घोषणा की जाएगी ?

†श्री मनुभाई शाह : अगले सोमबार को मेरा इस की घोषणा करने का विचार है।

†श्री राम सहाय पाण्डेय : पाकिस्तान में प्रति एकड़ अधिक उपज को ध्यान में रखते हुए यहां प्रति एकड़ अधिक पटसन उगाने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार करती है ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने बताया है कि ३५ परसेंट कम प्राडक्टिविटी पर एकड़ है और उस को सुधारने की कोशिश की जा रही है।

'कन्फैक्शनरी' का निर्यात

+

†*३३७. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री महेवर नायक :
श्री विश्व नाथ राय :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष 'कन्फैक्शनरी' के निर्यात में बहुत कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या 'कन्फैक्शनरी' निर्माता संघ ने सरकार से मांग की है कि इस उद्योग के लिये आवश्यक मशीनों का आयात करने की अनुमति दी जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बंध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख) १९६२-६३ के पहले दस महीनों में कन्फैक्शनरी का निर्यात २.०४ लाख रुपये का था, जब कि पिछले वर्ष केवल ७७ हजार रुपये का था ।

(ग) और (घ) : जी हां, बदलने के काम के लिये मशीनरी का आयात करने दिया जाता है, उद्योग के विभाग के लिये नहीं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** कन्फैक्शनरी की कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया जाता है और वे किन देशों को भेजी जाती हैं ?

श्री मनुभाई शाह : यद्यपि मात्रा बहुत ही कम है, ये १५ देशों को भेजे जाते हैं। अधिकत्तर लैमन ड्राप जुजूब और कुछ बिस्कुट आदि ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या डिब्बे बन्द रस-गुल्ले भी विदेशों को भेजे जाते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह यहां नहीं, किन्तु राशि केवल ८०,००० रुपये है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अफीम के बाद रसगल्लों का क्या प्रभाव होगा ?

†**श्री शिवनाथ राय :** क्या भारतीय कन्फैक्शनरी का गुण प्रकार सुधारने के लिये कोई कार्यवाई की जा रही है ताकि हम कन्फैक्शनरी बनाने वाले अन्य देशों के साथ प्रतिद्वन्दिता कर सकें ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह बड़ा संगत प्रश्न है, अतः हम अगले सप्ताह कन्फैक्शनरी के संबंध निर्यात संवर्धन परिषद की बैठक आयोजित कर रहे हैं और इस प्रश्न को हल करने वाले हैं क्योंकि चीनी के दाम बढ़ गये हैं और हम अधिक उत्तम निर्यात कर सकेंगे ।

†**श्री महेश्वर नायक :** क्या सरकार का ध्यान उद्योग की इस धारणा की ओर दिलाया गया है कि इस उद्योग में अन्य प्रयुक्त होने वाली मशीनरी अत्यधिक पुरानी है और वह आयात आदि के द्वारा इसे बदलना चाहते हैं ? क्या सरकार इस के संबंध में कोई कार्यवाई कर रही है, यदि हां, तो क्या?

†**श्री मनुभाई शाह :** मशीनरी के आयात को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में निम्न प्राथमिकता मिलती है । अतः हमने निर्याताओं को बताया है कि यदि वे निर्यात के द्वारा कमा सकते हैं तो हम उन को आधुनिकीकरण के लिये मशीनरी का आयात करने के निमित इस का उपयोग करने देंगे ।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि कितने रुपये की बाहर से मशीनरी मंगवाई जाएगी ?

श्री मनुभाई शाह : जैसे जैसे लोगों की दरख्वास्तें आयेंगी, वैसे वैसे देखा जाएगा । वैसे मैं समझता हूं कि २५ से २७ लाख रुपये की मशीनरी की जरुरत होगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इन कन्फैक्शनरियों के लिए किस प्रकार की मशीनरी की जरुरत होती है और क्या हमारा देश इसे नहीं बना सकता ? यदि हम इसे नहीं बना सकते तो इसे यहां बनाने के लिए क्या प्रयत्न किये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : इसमें सन्देह नहीं है कि हम कोई मशीनरी नहीं बना रहे, किन्तु देश में लपटने की मशीनों, मुहर लगाने और हिसाब लगाने की मशीनों की आवश्यकता इतनी कम है कि हर प्रकार की मशीन बनना लाभदायक नहीं। अतः हम आधुनिक ढंग की मशीन का आयात करते है।

हैदराबाद में कांच का कारखाना

†* ७३८. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार को हंगरी के सहयोग से हैदराबाद में कांच का कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है।

(ख) सहयोग की क्या शर्तें हैं — और

(ग) कारखाने की अनुमानित उत्पादन क्षमताक्या होगी ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) (क) से (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

हंगरी के सहयोग के साथ हैदराबाद में संमिश्रित शीशा और फैक्टरी लगाने के लिए आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया जा चुका है। तथापि अभी तक परियोजनाओं की व्यवस्थाओं को वित्तीय दृष्टि में चलाने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत कोई लायसेंस नहीं दिया गया और राज्य सरकार के इस संबंध में मत अभी प्राप्त नहीं हुए कि वे वर्तमान संकट काल की अवस्था में परियोजना को जारी रखना चाहते हैं। विदेशी सहयोग की शर्तें अभी निगम से नहीं भेजी। निगम को औद्योगिक लायसेंस दिये जाने के पश्चात् ही इस पर विचार किया जायेगा योजना के अन्तिम रुपेण अनुमोदित होने पर संयन्त्र की क्षमता विविध मदों के लिये लगभग २७८०० टन प्रतिवर्ष होगी।

†श्री ईश्वर रेड्डी : विवरण में बताया गया है कि राज्य सरकार के मत प्राप्त नहीं हुए हैं। राज्य सरकार से प्रस्ताव कब आया था और सरकार ने किस तारीख को राज्य सरकार के मत पूछे थे ?

†श्री कानूनगो : बातचीत चल रही है। निगम ने प्रस्ताव १९६२ में भेजा था, सरकार ने वहीं योजना आयोग ने सरकार से पूछा है कि क्या वह इसे तीसरी योजना में स्थान दे सकती है या नहीं। सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई। सहयोग की शर्तें भी अभी तय करनी हैं, जो अभी उन्होंने नहीं की हैं।

श्री अचल सिंह : फिरोजाबाद में कांच का सामान बहुत काफी बनता है लेकिन उस के लिये मार्केट नहीं है। ऐसी हालत में यहां दूसरा प्लांट स्थापित करने की क्या जरूरत है ?

†श्री कानूनगो : इस किस्म के कांच की बहुत मांग है। पहले आंध्र गवर्नमैंट के पास एक फैक्ट्री थी। उसकी थोड़ी मैशीनरी भी मौजूद है, उसको कामयाब करने के लिये दूसरी मशीन लगाना है।

†श्री पे० वेंकटासुब्बया : क्या यह सरकार निगम को कोई वित्तीय सहायता देने का विचार करती है जो हंगरी के सहयोग के साथ इस फैक्टरी को स्थापित करने वाली है ?

†श्री कानूनगो : इसका फैसला राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के पश्चात योजना आयोग द्वारा किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेडा** : यह फैक्टरी हंगरी के सहयोग के साथ शीशे की क्या चीजें बनायेगी ?

श्री कानून गो : यहां चार किस्मों का शीशा बनाने का विचार है—शीशे की चादर, शीशे की बोतल, शैल और पारदर्शी शीशा । आंध्र के लिये लाभ यह है कि वहां एक फैक्टरी है जहां कुछ मशीनें है । अतिरिक्त मशीनरी के साथ अधिक किस्मों का शीशा तैयार करना संभव होगा निकट भविष्य में इन चीजों की मांग अधिक होगी क्योंकि उद्योग बढ़ रहा है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : इस फैक्टरी के उत्पादन का मूल लक्ष्य क्या है और यह कब उत्पादन आरम्भ करेगी ?

†**श्री कानूनगो** : कुल उत्पादन २७८०० टन प्रति वर्ष होगा । अभी इसका विचार है । इसका हिसाब लगाना होगा ।

रद्दी लोहे से कच्चा लोहा तैयार करना

†*७३६. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में रद्दी लोहे (स्क्रैप) से कच्चा लोहा (पिग आयरन) तथा इस्पात तैयार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये कोई पृथक कारखाना चालू किया जायेगा ; और

(ग) क्या यह योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि म क्रियान्वित की जायेगी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) सरकारी क्षेत्र में रद्दी लोहे (स्क्रैप) से कच्चा लोहा (पिग आयरन) तथा इस्पात तैयार करने के कार्य को प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तदपि, सरकारी क्षेत्र के कुछ इस्पात कारखानों में लोहे तथा इस्पात के उत्पादन के कुछ प्रक्रमों पर रद्दी लोहे (स्क्रैप) का योमज[1] के रूप में पहले से ही उपयोग किया जाता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि रद्दी लोहा (स्क्रैप) बहुत बड़ी मात्रा में बाहर निर्यात किया जाता है, सरकार इन निर्यातों को रोकने के लिये और सारे रद्दी लोहे को लोहा तथा इस्पात संयंत्रों में उपयोग करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ लोगों ने रद्दी लोहे का उपयोग करने के लिये प्रस्ताव किये हैं और उनके प्रस्ताव मंजूर कर लिये गये है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस्पात कारखानों द्वारा अब कुल कितने प्रतिशत रद्दी लोहे का उपयोग किया जाता है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मेरे पास यहां आंकड़े नहीं है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि रद्दी लोहे के फुटकर व्यापार में बहुत भारी मुनाफाखोरी और चोरबाजारी चल रही है और यदि हां, तो सरकार इस पर नियंत्रण करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Additive.

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस प्रश्न की जांच करने के लिये बस हाल ही में एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति की सिफारिश करने पर ही हमने रद्दी लोहे पर से नियंत्रण हटाया है। इसलिये, चोरबाजारी का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

†श्री वें० वेंकटा सुब्बया : क्या यह सच है कि देश में कच्चे लोहे (पिग आयरन) की भारी कमी है और यदि हां, तो उसका उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है।

†श्री राम सहाय पांडेय : देश में कच्चे लोहे की कमी को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार का मध्य प्रदेश में कोई कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है क्योंकि वहां पर कच्चा लोहा बहुतायत से उपलब्ध है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह प्रश्न तो कच्चा लोहा तैयार करने के लिये रद्दी लोहे का उपयोग करने के संबंध में है। कच्चे लोहे के उत्पादन के संबंध में मैंने आज एक प्रश्न का उत्तर दिया है जिसमें कि ब्यौरे दिये हुये हैं।

औद्योगिक एकक

†*७४०. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक एककों की स्थापना के लिये लाइसस दिये जाने के बाद उनके मंत्रालय की विकास शाखा द्वारा क्या कार्यवाही की गई ;

(ख) लाइसेंस दिये जाने के बाद कितने समय के भीतर संस्थापकों को एकक स्थापित करने होते हैं ; और

(ग) एकक स्थापित न किये जाने की दशा में लाइसस जारी होने के कितने दिन बाद व्यपगत हो जाता है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०७३/६३] :

†श्री ईश्वर रेड्डी । विवरण में यह कहा गया है कि लाइसेंस दिये जाने के समय के एक वर्ष के अन्दर अन्दर ही लाइसेंस धारियों को लाइसेंस को क्रियान्वित करना होता है परन्तु हम यह जानते है कि बहुत से लाइसेंसधारी लाइसेंसों को एक ही वर्ष के अन्दर अन्दर क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं उदाहरणार्थ, कोठागुडियन में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये दो अथवा तीन वर्ष पूर्व एक लाइसेंस दिया गया था परन्तु अभी तक वहां कुछ भी नहीं बना। क्या मैं इसके कारण जान सकता हूं ?

†श्री कानूनगो : मुझे इस विशेष कारखाने के संबंध में तो ज्ञान नहीं है परन्तु कुछ मामलों में यह लाइसेंसधारियों का अपराध नहीं होता क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मशीन उपलब्ध नहीं होती अथवा विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं होती। यह जो कारण है वे लाइसेंसधारी के नियंत्रण के बाहर है। जैसाकि मैंने विवरण में बताया है, हम समय समय पर इसका पुनर्विलोकन करते हैं

†मूल अंग्रेजी में

और यदि हमें यह पता लगता है कि लाइसेंसधारी ने वह कदम नहीं उठाये हैं जोकि उसे उठाने चाहियें थे और जिन्हें कि वह उठा भी सकता था तो लाइसेंस समाप्त कर दिया जाता है।

†**श्री दाजी :** क्या माननीय मंत्री महोदय हमें यह बता सकते हैं कि पिछले एक साल में कितने लाइसेंस रद्द किये गये थे और वह किन कारखानों से संबंधित हैं ?

†**श्री कानूनगो :** यह आंकड़े एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में बता दिये गये थे। तदपि, में स्मरण-शक्ति से बता रहा हूं कि यह ४०० से अधिक होंगे।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या यह सच है कि कुछ कारखाने जिन्हें कि लाइसेंस दिये गये थे उत्पादन प्रारम्भ नहीं कर सके क्योंकि जो अनिवार्यता प्रमाणपत्र राज्य सरकारों द्वारा दिये जाते हैं वह केन्द्र सरकार द्वारा सर्वदा माने नहीं जाते ?

†**श्री कानूनगो :** यह अनुसूचित उद्योगों के विषय में है जिन पर उद्योग विनियमन अधिनियम लागू होता है। जिस अनिवार्यता प्रमाणपत्र का माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं वह केवल छोटे-छोटे उद्योगों के संबंध में ही होता है।

†**श्री रंगा :** जिन लोगों को लाइसेंस दिये गये हैं उन्हें उन औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने के उनके उद्देश्य की पूर्ति करने में उनकी सहायता करने के लिये साधारणतया क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? क्या मैं यह मान लूं कि जब सरकार से सहायता मांगी जाती है तो वह उन्हें प्रत्येक संभव सहायता देती है ?

†**श्री कानूनगो :** जी, हां, यह विवरण में उल्लिखित है।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने जिसकी कल परसों दिल्ली में बैठक हुई थी जो शिकायत व्यक्त की है, अर्थात, यह है कि लाइसेंस के लिये प्रार्थनापत्र देने वाले एक प्रार्थी को यह जानने मे कि उसे लाइसेंस दिया गया है अथवा नहीं कम से कम ६२ सप्ताह का समय लगता है, क्या सरकार को वह ज्ञात है ?

†**श्री कानूनगो :** किसी के द्वारा किये गये कथन का मुझे ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, परन्तु कभी कभी ऐसा हो ही जाता है कि इसमें विलम्ब हो जाता है। अधिकांशत यह मूल प्रार्थनापत्र के कारण होता है जिसमें कि पूरी अपेक्षित जानकारी नहीं दी हुई होती है।

†**श्री ईश्वरचन्द्र माथुर :** बिलम्बों के संबंध मे इस आम शिकायत के संदर्भ में अब मुझे उत्तर से यह पता लगता है कि विकास शाखा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से अब दूसरे मंत्रालय में चली गई है। यह स्थानान्तरण किस प्रकार न्यायसंगत है और यह देखने के लिये कि इस विभक्त उत्तरदायित्व तथा विभक्त प्राधिकार के कारण और अधिक विलम्ब नहीं होगा क्या सावधानियां बरती गई हैं ?

†**श्री कानूनगो :** यह उत्तरदायित्व को विभक्त करने का प्रश्न तो बिल्कुल ही नहीं है। अब यह और अधिक सुचारू रूप से कार्य करने वाली बना दी गई है क्योंकि यह विशेष संस्था अब सभी मंत्रालयों के लिये सेवा संस्था के रूप में कार्य करेगी।

श्री विभूति मिश्र : अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि फारेन एक्सचेंज की दिक्कत से बड़ी फैक्टरी लगाने का काम नहीं किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह जूट और ड्रम जैसी छोटी फैक्ट्रीज को लगाने को प्रोत्साहन देना चाहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : जहां तक मेरा ख्याल है छोटी जूट मिल नहीं हो सकती है, उसमें नफा नहीं होगा

†श्री विभूति मिश्र : उसमें तीन या चार लाख का फारेन एक्स्चेंज लगता है।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या लाइसेंसधारियों से बहुत सी शिकायतें आई हैं और क्या प्रशासनिक विलम्बों के कारण ही उत्पादन समय पर प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

†श्री कानूनगो : हम यह आंकड़े नहीं रखते क्योंकि एक पृथक पृथक उत्पादों तथा पृथक पृथक कारखानों के संबंध में यह पृथक पृथक होते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

†श्री महेश्वर नायक : श्रीमन्, क्या मैं यह प्रार्थना कर सकता हूं कि प्रश्न संख्या ७२३ को ले लिया जाय। यद्यपि प्रश्नकर्ता अनुपस्थित हैं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†अध्यक्ष महोदय : समय समाप्त हो गया है। परन्तु यदि माननीय मन्त्री इसका उत्तर देना चाहते हैं तो मैं इसकी अनुमति दे सकता हूं।

†इस्तस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): जी हां, मैं इसका उत्तर दे सकता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : बात यह नहीं है कि वह इसका उत्तर दे सकते हैं। यदि समय होता है तो निश्चय ही माननीय सदस्य को उस प्रश्न का उत्तर पूछने का अधिकार होता है; परन्तु यदि समय समाप्त हो जाता है तब यदि माननीय मन्त्री यह समझते हैं कि वह पर्याप्ति महत्व का है और उसका उत्तर दिया जाना चाहिए तो माननीय मन्त्री उसका उत्तर दे सकते हैं।

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह एक सामान्य प्रश्न है, मेरा विचार है कि इसका मौखिक उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : तब मैं इसे नहीं ले सकता। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कच्चे लोहे का उत्पादन

†*७२३. श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान इस्पात कारखानों में कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाने के लिये की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं, अभी तक नहीं।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से कहा गया है कि वह राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के परामर्श में दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला में नट कोक का उपयोग करने वाली छोटी छोटी भट्टियों को

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थापित करने के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन तैयार करें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे भिलाई में एक छठी बड़ी ब्लास्ट फरनेस स्थापित करने के सम्बन्ध में एक परियोजना का प्रतिवेदन तैयार करें।

वाणिज्यिक प्रचार

†*७२४. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार बोर्ड के लिये तैयार किये गये अधिकृत टिप्पण (नोट) की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिसमें यह उल्लेख है कि वाणिज्यिक प्रचार के प्रति दृष्टिकोण तदर्थ और निरुत्साहपूर्ण हैं तथा प्रचार के तरीके पुराने हो चुके हैं एवं मण्डी सम्बन्धी कोई अध्ययन नहीं किया जा रहा है और विदेशी भाषाओं में भी कुछ प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अभाव को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी, हां।

(ख) निर्यात में वृद्धि करने के लिये वाणिज्यिक प्रचार को दृढ़ करने के प्रश्न पर मन्त्रालय द्वारा गम्भीर अध्ययन किया जा रहा है। पहले कदम के रूप में, विदेशों में प्रचार करने के लिये "भारत का विदेशी व्यापार' नामक एक नई पत्रिका निकाली गई है। चार नई प्रकाशन मालाओं को भी प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया है, अर्थात् (१) बड़े बड़े उद्योगों तथा निर्यात उत्पादों पर प्रचार पुस्तिकायें, (२) अलग अलग मण्डियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार प्रचार पुस्तिकायें, (३) निर्यात की जानें वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में तथा विपणन प्रणालियों, मानकीकरण, किस्म नियन्त्रण, विदेशों में व्यापार विनियमन आदि जैसे विषयों पर भी निर्यातकों के उपयोग के लिये जानकारी देने वाली पुस्तिकायें और (४) विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में परिचालित किये जाने के लिये एक साप्ताहिक बुलेटिन। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों को प्रचार के लिये वाणिज्यिक वृत्त चित्रों के सम्भरण में वृद्धि करने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त, प्रेस द्वारा प्रचार, जन सम्पर्क कार्यवाहियों तथा भारतीय उत्पादों के विज्ञापन को अनेक माध्यमों द्वारा गहन बनाने के लिये योजनायें तैयार की जा रही हैं।

बारबिल में कच्चे लोहे का कारखाना

*†७२७. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलिंग इण्डस्रीज तथा एक जर्मन समवाय के बीच बारबिल (उड़ीसा) में एक मध्यम आकार का कच्चे लोहे का कारखाना संयुक्त सहयोग से स्थापित करने का करार हुआ है ;

(ख) इसकी कितनी क्षमता होगी तथा इस कारखाने में बिजली की कितनी खपत होगी ; और

(ग) इस परियोजना पर अनुमानतः कितना धन व्यय होगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) किसी भी वित्तीय सहयोग को लेने का विचार नहीं है। केवल प्रविधिक सहयोग परिकल्पित किया गया है, और आवश्यक अभी प्राप्त करने हैं तथा सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाने हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १ लाख टन प्रति वर्ष। पूरा होने पर इसकी बिजली की खपत लगभग ५ हजार किलोवाट होगी।

(ग) २ करोड़ १८ लाख रुपये के विदेशी मुद्रा के व्यय को मिला कर लगभग ५ करोड़ रुपये।

लंका को बीड़ी का निर्यात

†१४५९. **श्री म० य० स्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका सरकार ने भारत से बीड़ियों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध के कारण कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ; और

(ग) क्या सरकार बीड़ियों के लिए अन्य विदेशी मांग का पता लगायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) औसत रूप में श्रीलंका भारत से लगभग ५० लाख रु० के मूल्य की बीड़ी प्रतिवर्ष आयात करता है।

(ग) तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद् लंका सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने से उत्पन्न हुई कठिनाइयों पर विचार कर रही है, वे बीड़ियों के निर्यात के लिए वैकल्पिक मांग का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं और हम भी लंका सरकार से इस पर पुनः विचार किये जाने के लिये कह रहे हैं।

ग्वार के बीज

†१४६०. **श्री तन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पश्चिम भारत के सूखे प्रदेश में उगाई जाने वाली ग्वार के क्या वाणिज्यिक प्रयोग ;

(ख) क्या ग्वार के बीज के गोंद के उपयोग किये जाने की सम्भावना पूर्णतया समाप्त हो गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या अनुसन्धान किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ग्वार से प्राप्त होने वाला विभिन्न प्रकार का ग्वार गोंद का प्रयोग कागज निर्माण, वस्त्र पालिश तथा छपाई, सूत का आकार बनाने, खनन तथा छिद्रण विस्फोटकों, डिब्बों में बन्द खाद्य पदार्थों, आइसक्रीम, जमे खाद्य पदार्थों, पनीर, सौंदर्य प्रसाधनों, दन्त क्रीमों, आदि जैसे अनेक उद्योगों में होता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) ग्वार के उत्पादों के और प्रयोग मालूम करने के लिए और अनुसन्धान हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये प्रार्थना-पत्र

१४६१. { **श्री सरजू पांडय :**
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश से १९६२ और १९६३ में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ; और

(ख) कितने मामलों में लाइसेंस दिये जा चुके हैं और कितने मामले अभी विचाराधीन हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १९६२ और १९६३ (२२ मार्च, १९६३ तक) में १९९।

(ख) १४ मामलों में लाइसेंस मंजूर किये जा चुके हैं तथा ७५ मामलों में अभी निर्णय होना बाकी है।

उत्तर प्रदेश को अलोह-धातुओं का आवंटन

†**१४६२.** { **श्री सरजू पांडय :**
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में अब तक उत्तर प्रदेश को अलोह-धातुओं को कितना आवंटन किया गया ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार से आवंटन बढ़ाने की प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निश्चय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) आवंटन निम्न हैं :—

(आंकड़े मीट्रिक टनों में हैं)

वर्ष	तांबा	जस्ता	एल्यूमीनियम	शीशा	टिन
१९६०–६१ . . .	२८००	१८००	राज्यवार आवंटन नहीं किये	५३	—
१९६१–६२ . . .	२९९८	२९००	२६७	५०	—
१९६२–६३—					
अप्रैल-सितम्बर १९६२ . .	१३०२	१०५३	१५४	२६	—
अक्टूबर, ६२ से मार्च, ६३ तक .	१२६४	९४७	२०६	*	४०**

†मूल अंग्रेजी में

*कोई आवंटन नहीं मागा गया।

**अक्टूबर ६२ से मार्च १९६३ तक।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने तांबा तथा जस्ता का आवंटन बढ़ाने की प्रार्थना की है।

(ग) बर्तन निर्माण उद्योग के तांबा के आवंटन में ३० प्रतिशत कटौती करने के निश्चय के कारण, ताकि तांबा अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपलब्ध हो सके, और जस्ता की समूची उपलब्धि कम हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकी।

लकड़ी का अभाव

†१४६३. **श्री रामहरख यादव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में 'कर' किस्म की लकड़ी का अत्यन्त अभाव है ;

(ख) यदि हां, तो आरा उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) अभाव के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) राजधानी में 'कर' किस्म की लकड़ी के अभाव का सरकार को ज्ञान नही है ?

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में लोहा तथा इस्पात संयंत्र

†१४६४. { **श्री इ० मधुसूदन राव** :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में मध्यम आकार का लोहा तथा इस्पात संयंत्र की स्थापना में आगे क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) आंध्र प्रदेश में मध्यम आकार का इस्पात संयंत्र स्थापित करने का आजकल कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, कच्चे लोहे का एक छोटा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) कच्चे लोहे के संयंत्र की क्षमता १००,००० टन होगी और आशा है कि यह लो शेफ्ट भट्टी प्रविधि अपनायेगा। आगे ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग

†१४६५. **श्री इ० मधुसूदन राव**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये वर्ष १९६२–६३ में आंध्र प्रदेश को कुल कितना ऋण दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये वर्ष १९६२–६३ में आंध्र प्रदेश को निम्न ऋण दिये गये हैं :—

	लाख रु०
(१) छोटे पैमाने के उद्योग . .	२८.०८
(२) औद्योगिक सम्पदा . .	३४.६६
योग	६२.७४

आंध्र प्रदेश में औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना

†१४६६. **श्री ० इ० मधुसूदन राव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में आँध्र प्रदेश से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये ; और

(ख) इसी काल में कितने प्रार्थनापत्रों के लिये औद्योगिक लाइसेंस दिये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) ७० (२५ मार्च, १९६३ तक)।

(ख) १९६२–६३ में (२५ मार्च, १९६३ तक) ५४ लाइसेंस दिये गये हैं।

आंध्र प्रदेश में रूसी सहायता वाली परियोजनायें

†१४६७. **श्री इ० मधुसूदन राव**: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहिली, दूसरी और तीसरी योजना अवधियों में आँध्र प्रदेश में रूसी सहायता के साथ कोई परियोजना स्थापित की गई है, और यदि हाँ, तो उनके क्या नाम हैं ; और

(ख) क्या उत्पादन होगा और प्रत्येक की उत्पादन-क्षमता कितनी होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी।

साइकिल टायरों और ट्यूबों की कीमत

१४६८. **श्री प्रताप सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रत्येक कारखाने में तैयार किये गये साइकिल टायरों और ट्यूबों के आज कल कारखाना मूल्य और कारखाना बाहर मूल्य क्या हैं ;

(ख) इन टायरों और ट्यूबों के बाजार मूल्य क्या हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि इन टायरों और ट्यूबों के मूल्य पर नियंत्रण नहीं है और व्यापारी बहुत ऊंची कीमत ले रहे हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो व्यापारियों द्वारा ली जाने वाली कीमत कम करने के लिये क्या कार्य-वाही करने का सरकार का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो).** (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है । **(पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—१०७४/६३)**

साइकिल टायरों और ट्यूबों की कमी

†१४६९. **श्री प्रताप सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में साइकिल टायरों और ट्यूबों की इस समय भारी कमी है ;

(ख) भारत में इन टायरों और ट्यूबों की वार्षिक माँग और खपत कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि कारखानों ने कम उत्पादन के कारण नये व्यापारियों को सप्लाई करने से इंकार कर दिया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो नये व्यापारियों को कुछ कोटा दिलाने में और जनता की बढ़ती हुई माँग पूरी करने की दृष्टि से इस उद्योग को आत्म निर्भर बनाने के लिये किस प्रकार मदद करने का सरकार का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) और (ख). जी नहीं, उत्पादन आँकड़ों को देखते हुये ।

(ख) अनुमान है कि १९६३ में लगभग १ करोड़ २० लाख टायर और उतने ही ट्यूब की आवश्यकता है जबकि उत्पादन का अनुमान लगभग १ करोड़ ३० लाख प्रत्येक के लिये हैं।

(ग) और (घ). कुछ किस्मों के लिये ग्राहकों की विशेष पसन्द होने के कारण, उन किस्मों के निर्माता नये व्यापारियों की सभी माँग पूरी नहीं कर सके क्योंकि उनका उत्पादन सारी माँग पूरी करने के लिये पर्याप्त नहीं था। इन निर्माताओं के अलावा, १० और लाइसैंसशुदा एकक हैं। जो साइकिल टायर और ट्यूब तैयार करते हैं और संपूर्ण देशी उत्पादन, न केवल देश के अन्तर्गत माँग पूरी करने के लिये बल्कि कुछ निर्यात के लिये भी, पर्याप्त समझा जाता है। भविष्य की माँग के लिये कुछ और एककों को लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

इस्पात का प्रतिधारण मूल्य

†१४७०. { **श्री श्याम लाल सर्राफ :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री राम सहाय पांडेय : }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात उत्पादकों को इस्पात के प्रतिधारण मूल्य में सीमांत वृद्धि देने का निश्चय किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस वृद्धि से तीसरी आयोजना के अधीन सरकारी क्षेत्र में मंजूर की गयी औद्योगिक और इंजीनियरिंग परियोजनाओं में रद्दोबदल करने की आवश्यकता होगी ; और

(ग) क्या अब यह अनुमान लगाया जा चुका है कि इस्पात के मूल्य में इस परिर्तन के कारण परियोजनाओं पर कुल असर क्या पड़ेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) खनिजों के रेल भाड़े और अधिकार शुल्क में वृद्धि, अन्तरिक मंजूरी बोर्ड के निर्णय की क्रियान्विति और युद्ध जोखिम बीमा की किस्तों के बोझ के कारण इस्पात के संधारण मूल्य में वृद्धि के लिये अनुमति देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). इस्पात के मुख्य उत्पादकों को दिये जाने वाले संधारण मूल्य में वृद्धि का मतलब यह नहीं कि जनता के लिये इस्पात के विक्रय मूल्य में वृद्धि होगी । संधारण मूल्य बढ़ाये जाने पर जनता के लिये विक्रय मूल्य भी बढ़ाया जाये या नहीं इस प्रन पर उचित समय पर सभी संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुये विचार किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में मंसूरपुर में कागज का कारखाना

†**१४७१. श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मंसूरपुर में कागज का कारखाना खोला जायेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर कुल पूंजी परिव्यय कितना होगा ; और

(ग) इस कारखाने में किस तरह का कागज तैयार किया जाने वाला है और उसका कुल उत्पादन कितना होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) मंसूरपुर में कागज का कारखाना खोलने के लिये लाइसेंस दिया जा चुका है ।

(ख) ७१६.१५ लाख रुपये ।

(ग) लिखाई, छपाई और लपेटने का सालाना २१,००० टन कागज ।

औद्योगिक सहकारी संस्थायें

†**१४७२. श्री कृष्णदेव त्रिपाठी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ के अन्त में भारत में कितनी औद्योगिक सहकारी संस्थाओं का राज्यवार और उद्योगवार वर्गीकरण किया गया है ; और

(ख) तीसरी आयोजना पूरी हो जाने पर कितनी औद्योगिक और सहकारी संस्थाओं (राज्यवार और उद्योगवार) की स्थापना करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) सहकारी वर्ष १९६२ ६३ के लिए आंकड़े ३० जून, १९६३ के बाद उपलब्ध होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तीसरी आयोजना के दौरान औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के अखिल भारतीय संघ और संगठन पर औद्योगिक सहकारी संस्थाओं सम्बन्धी दूसरा कार्यकारी दल चर्चा कर रहा है।

औद्योगिक लाईसेंसों के लिये आवेदन-पत्र

†१४७३. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले और दूसरे वर्ष में राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों से (राज्य और राज्य क्षेत्र-वार) कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, कितने मंजूर किये गये, कितने विचाराधीन हैं और कितने अस्वीकृत हुए ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

उड़ीसा में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

†१४७४. श्री उलाका : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२—६३ में उड़ीसा में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को कितना केन्द्रीय अनुदान दिया गया ; और

(ख) उसी अवधि में परंपरागत खादी का कुल कितना उत्पादन हुआ और कितनी बिकाकी हुई ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ७.८४ लाख रुपये।

(ख) अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अप्रैल, १९६२ से जून, १९६२ तक उड़ीसा में १२४, ३६० रुपये की ५०,९३५ वर्ग मीटर खादी तैयार की गयी।

उड़ीसा में अम्बर चरखा

†१४७५. श्री उलाका : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२—६३ में उड़ीसा में कितने अम्बर चरखे वितरित किये गये ;

(ख) उसी अवधि में कितने अम्बर चरखे चल रहे थे ; और

(ग) उपयुक्त अवधि में कुल कितना सूत तैयार किया गया ?

†वाणितथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) अप्रैल से दिसम्बर, १९६२ तक उड़ीसा में २१२ अम्बर चरखे बांटे गये ;

(ख) मेरा अनुमान यह है कि बांटे गये अम्बर चरखों में से आधे चरखे चल रहे हैं।

(ग) अप्रैल से दिसम्बर, १९६२ तक, ११,५६६ किलोग्राम सूत तैयार किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में कपड़ा मिलों के लिये लाइसेंस

†१४७६. श्री उलाका : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कपड़ा मिलें स्थापित करने के लिए १९६२-६३ में कितने लाइसेंस जारी किये गये; और

(ख) मिलों के लिए कितने तकुओं के लिए मंजूरी दी गई ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) पांच ।

(ख) १०९,१०० ।

सूत की कीमतें

†१४७७. श्री मल्लन्ना रेड्डी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन काटन मिल्स असोसियेशन ने टैक्सटाइल कमिश्नर की सलाह से फरवरी, १९६३ से सूत की अधिकतम कीमतों का एक सुसंगत ढांचा तैयार किया है;

(ख) क्या विभिन्न काउण्ट के सूत की दरों में कोई वृद्धि या कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) ४० और उससे नीचे के काउण्ट के सूत की उच्चतम सीमाएं बढ़ा दी गयी हैं जब अन्य अधिकांश किस्मों की सीमाएं घटा दी गयी हैं ।

(ग) इस परिवर्तन से पहले उच्चतम मूल्यों से घाटा होने के कारण हथकरघा क्षेत्र के लिए आवश्यक ४० काउण्ट के सूत की सप्लाई बहुत कम रही । आशा है कि नये मूल्यों से इन काउण्ट का उत्पादन अधिक हो सकेगा । अन्य काउण्ट के सूत की उच्चतम सीमाएं परिवर्तन से पहले बाजार मूल्यों को ध्यान में रख कर ही कम कर दिया गया था ।

इन्सुलेटिंग पेपर बनाने का कारखाना

†१४७८. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूर संचार और भूमिगत तारों के लिए इन्सुलेटिंग पेपर तैयार करने के लिए एक कारखाना खोलने की योजना सरकार ने मंजूर कर ली है ;

(ख) यदि हां तो क्या यह एकक देशी मशीनों से चालू किया जायेगा ; और

(ग) यह एकक कब स्थापित किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) अभी नहीं।

(ख) यथासम्भव अधिक देशी मशीनें इस्तेमाल की जायेंगी।

(ग) अभी यह नहीं बताया जा सकता कि यदि यह परियोजना मंजूर कर ली जायगी तो उसमें उत्पादन कब आरम्भ होगा। सभी प्रारम्भिक बातों का निर्णय हो जाने के बाद, एक नयी कागज मिल चालू करने के लिए सामान्यतया तीन साल लगते हैं।

तेल सर्किट ब्रेकर

†१४७९. { श्री विश्वनाथ सेठ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पहला तेल सर्किट ब्रेकर तैयार कर सका है ;

(ख) यदि हां तो क्या वह कठोर ब्रिटिश स्टैण्डर्ड विशिष्टीकरण परीक्षाओं में सफल रहा है ; और

(ग) इस तेल सर्किट ब्रेकर से अन्य वस्तुओं के निर्माण से सहायता मिलेगी ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) (क) जी हां। हेवी इलेक्ट्रिकल इक्वीपमेण्ट फैक्टरी, भोपाल, में पूर्णतः देशी हाईटेन्शन ऑयल सर्किट ब्रेकर तैयार किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) इससे औद्योगिक उपभोक्ता सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को बिजली वितरण के लिए सर्किट ब्रेकर्स की सप्लाई हो सकेगी।

संविधान सभा के प्रलेख

†१४८१. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान सभा के सभी प्रकाशित तथा अप्रकाशित प्रलेखों को उचित रूप से वर्गीकृत करके एक स्थान पर रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो कहां;

(ग) क्या वे उस क्षेत्र में अनुसन्धान करने वाले विद्वानों के परामर्श के लिए उपलब्ध हैं ; और

(घ) भारत के संविधान के निर्माण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कागजों और प्रलेखों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) और (ख) संविधान सभा के सचिव ने संविधान सभा के कुछ प्रलेखों को स्थायी रूप से रखने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को सीधे ही सौंप दिया है। संविधान सभा की अन्य सम्बन्धित जिन फाइलों को संविधान सभा सचिवालय ने विधि मन्त्रालय को सौंप दिया था, उन्हें मन्त्रालय में सुरक्षित रखा गया है। इन फाइलों और कागज पत्रों की सूचियों और विषय शीर्षकों से पता चलता है कि उनमें से प्रत्येक में किन विषयों का विवेचन किया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) नियमों के अनुसार सच्चे अनुसन्धानकर्ताओं को ये सभी प्रलेख दिये जाते हैं।

(घ) संविधान निर्माण से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण प्रलेख और कागज पत्र सुरक्षित रखे गये हैं।

संघ राज्य क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग

†१४८२. श्री मरण्डी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९६२ से त्रिपुरा, मनीपुर, अन्दमान, लक्कदीव, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य संघीय राज्य क्षेत्रों में कितने लघु उद्योग स्थापित किये गये ; और

(ख) उन पर कितनी रकम खर्च की गयी ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). अप्रैल, १९६२ से लक्कदीव, गोआ, अन्दमान, निकोबार और मनीपुर में कोई लघु उद्योग स्थापित नहीं किये गये हैं।

अन्य क्षेत्रों में लघु उद्योगों के सम्बन्ध में, जानकारी इस प्रकार है :—

राज्य क्षेत्र	अप्रैल, १९६२ से स्थापित किये गये लघु उद्योग	लघु उद्योगों के लिए सामूहिक ऋणों के तौर पर सरकार द्वारा संघीय राज्य क्षेत्रों को दी गयी रकम
		रुपये
पांडिचेरी .	१९	५५,०००
त्रिपुरा .	४	३०,५००
दिल्ली .	. कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है।	१२,००,०००

हिमाचल प्रदेश और नगरहवेली में लघु उद्योगों की स्थापना के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

समवाय विधि प्रशासन

†१४८३. श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समवाय विधि के प्रशासन में मदद करने के लिए बम्बई में कितने अफसर नियुक्त हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन्होंने समवाय विधि के अधीन कितने मामलों की जांच पड़ताल की है और कितने मामलों में अभियोग चलाया गया है; और

(ग) क्या बागवकोट सीमेंट कंपनी लिमिटेड के काम काज की किसी प्रकार जांच की गयी है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) दस। इस सँख्या में उन अफसरों की सँख्या भी शामिल है जो समवाय विधि प्रशासन विभाग के पश्चिमी क्षेत्र के प्रादेशिक निदेशक के कायलिय में और रजिस्ट्रार आफ कंपनीज, महाराष्ट्र, के कार्यालय में नियुक्त किये गये हैं।

(ख) ५१५। इन में से ११९ मामलों में अभियोग चलाये गये और ९५ मामलों में दंड दिया गया। तीन मामलों में धारा २३५ के अधीन जांच पड़ताल के लिए आदेश दिये जा चुके हैं और ३६ मामलों में अभियोग चलाये गये और ३३ मामलों में दंड दिया गया। अभियोग के ये आंकड़े समवाय अधिवाय के अधिन विभिन्न अपराधों के अभियोग के २४०२ अन्य मामलों के अलावा हैं।

(ग) कंपनी के लेखा परीक्षकों ने प्रबन्धकारी एजन्टों द्वारा माल, साज सामान आदि के दुरुपयोग सहित अन्य शिकायतों की पहले छानबीन की थी। जैसा कि ४ सितम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न सँख्या २२३० के उत्तर में बताया गया है, कँपनी ने साधारण बैठक में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पांच आदमियों की एक समिति को सौंप दी। बाद में १० सितम्बर, १९६२ को आयोजित साधारण बैठक में कंपनी ने बहुमत से सँकल्प पास किया कि मैनेजिंग एजेन्टों की अनियमितताओं को माफ करने वाली, समिति की सिफारिशें मँजूर की जायें। इस पर सरकार ने कँपनीज ऐक्ट की धारा २३४ के अन्तर्गत महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज को जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। इस बीच कँपनी के शेयरहोल्डरों ने स्थानीय पुलिस के पास शिकायतें दर्ज कीं। चूंकि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, इसलिये समवाय विधि प्रशासन अलग से कोई जांच पड़ताल नहीं कर रहा है।

लोहे और इस्पात का उत्पादन

†१४८४. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री महेश्वर नायक :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९६२ और जनवरी, १९६३ में गैर सरकारी क्षेत्र में बिक्री योग्य लोहे और इस्पात का उत्पाद बहुत ही कम रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उसे अब नियमित कर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) दिसम्बर, १९६२ और जनवरी १९६३ में गैर सरकारी क्षेत्र में बिक्री योग्य इस्पात और लोहे के उत्पादन में सामान्य घट बढ़ के सिवा कोई खास कमी नहीं हुई है। टाटा आयरन एँड स्टील कम्पनी में पिछले दो महीने की तुलना में उपर्युक्त दो महीनों में बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन अधिक रहा है और उसी तरह इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में कच्चे लोहे का उत्पादन भी बढ़ गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

रूसी सहयोग से चलचित्रों का निर्माण

†**१४८५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने रंगीन और काला और सफेद चलचित्र (फिल्में) तैयार करने के लिये तकनीकी सहयोग देने का वचन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ?

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लघु उद्योग

†१४८६. { **श्री गोपाल दत्त मेंगी** :
श्री अब्दुल गनी गोनी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों के कितने नये एकक स्थापित किये गये ; और

(ख) अप्रैल–सितम्बर, १९६२ में प्रत्येक एकक में कुल कितना धन लगाया गया और उस में रोजगार की संभावना क्या थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). १९५४ में लघु उद्योग कार्यक्रम के आरम्भ से कितने एकक स्थापित किये गये यह मालूम करने के लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फिर भी कुछ विशिष्ट लघु उद्योगों जैसे मशीनी, खनिज के, प्लास्टिक और रबड़ के खिलौने, बिजली के मोटर स्टार्टर और स्विच, वायरलेस रिसीविंगसेट, बिजली के पंखे, चीर फाड़ के औज़ार और मशीनी औजार के संबंध में लघु उद्योग संगटन ने कुछ सर्वेक्षण किये हैं। इन सभी उद्योगों में १ १२६, एककों का सर्वेक्षण किया गया है यह दिखायी पड़ा कि प्रत्येक एकक में औसत नियुक्ति १७ थी और प्रत्येक नियुक्ति के पीछे औसत निदेश, ३,२७५ रुपया था, इस समिति सर्वेक्षण के आधार पर अनुमान है कि दूसरी पँचवर्षीय योजना में लघु उद्योग क्षेत्र में कुल ३,७०,००० लोगों को रोजगार दिया गया था। छोटे एकक में १७ व्यक्तियों की औसत नियुक्ति को देखते हुए, अनुमान है कि १९५६–६१ में, १२१ करोड़ रुपये का कुल निदेश से २२,००० नये एकक स्थापित किये गये। अप्रैल-सितम्बर, १९६२ की अवधि के लिए इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादकता परिषद्

†१४८७. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उत्पादकता परिषद् के कार्य तथा पूर्तियां क्या हैं ;

(ख) छोटे पैमाने के उद्योगों का पिछड़े क्षेत्रों में दक्षता तथा उत्तम उत्पादन करने के लिए उसने क्या सहायता का अँशदान किया है; और

(ग) क्या वह विदेशों को भेजे गये अभ्यार्थियों, उनकी अर्हतायें तथा योग्यतायें क्या उनके संबन्धों का एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : १९५८ में इसके प्रारम्भ के बाद से राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ऐसे काम पर रहा है जिस से राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के सभी पहलुओं में उत्पादन बढ़े। परन्तु अब तक उन्होंने अपने कार्य औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह अपने उद्देश्य निम्नलिखित कार्यों से पूरा कर रहे हैं :--(क) देश में तथा बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उत्पादकता बढ़ाने की तकनीकी प्रक्रिया को सभी औद्योगिक कर्मचारियों को बताना। (क) एक विदेशी तथा देशी उत्पादकता दलों के द्वारा अन्य कारखानों तथा उद्योगों में स्वकृित उत्पादकता टैकनीकों को उन्हें दिखाने की व्यवस्था करना। (ग) अध्ययन वर्ग, उत्पादकता वर्वेक्षण आदि के द्वारा उत्पादकता समस्याओं का पता लगाने तथा हल करने के लिए उद्योग को सहायता और (घ) प्रकाशनों, दृश्य-श्रव्य, प्रदर्शन आदि के द्वारा अधिक उत्पादकता की जानकारी देना।

यद्यपि उपरोक्त कार्यों के द्वारा किस प्रकार का काम ढूंढा है यह नहीं बताया जा सकता है परन्तु उद्योग पर उनका प्रभाव मालम होता है। उत्पादकता का प्रभाव बहुत फैला हुआ है; नई तकनीकी का प्रयोग करने के लिए प्रबन्ध बहुत उत्सुक है; देश में प्रबन्ध विकास तथा प्रशिक्षण कार्य बहुत बढ़ गये हैं; बहुत से औद्योगिक उपक्रमों ने उत्पादकता समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिये अपनी यूनिटें स्थापित की हैं और उत्पादकता बढ़ाने के लिये और बहुत से काम किए हैं।

(ख) राष्ट्रीय उत्तपादकता परिषद् ने छोटे उद्योगों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया है। छोटे उद्योगों में इकट्ठा किए गए धन से स्थानीय उत्पादकता परिषदों के कोष से अतिरिक्त अँशदान करने के लिए उत्पादकता आन्दोलन की लघु उद्योग सँस्था की सहायता की जाती है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् तथा स्थानीय उत्पादकता परिषद् के कार्यक्रमों तथा कार्यों में भाग लेने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए हैं। उनके लिए विशेषतः सँगठित कार्यक्रम नीचे दिखाए गए हैं; छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए १९५९ में एक अध्ययन दल विदेश गया था; स्थानीय उत्पादकता परिषद् ने देश में कई दल सँगठित किए हैं; और छोटे उद्योगों के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने एक विशेष पत्रिका निकाली है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के विशेषज्ञ छोटे उद्योग सेवा सँस्थाओं को प्रशिक्षण कार्यों में सहायता दे रहे हैं।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् अपने कार्यों तथा कार्यक्रमों में अल्प विकसित क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर विचार कर रही है। इस से ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादकता परिषदों की स्थापना में सहायता मिलेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी हां । राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विदेश भेजे गए अभ्यार्थियों की सूची संलग्न है। [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १०७५/६३] । इसके बाद प्रश्नावलि भाग लेने वालों तथा मालिकों को प्रशिक्षण तथा प्रभाव निर्धारण करने के लिए चर्चा की जायेगी ।

रूरकेला इस्पात कारखाना

†१४८८. { श्री महेश्वर नायक :
{ श्रीमती सावित्री निगम :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने में नवीनतम वित्तीय आंकड़ों के अनुसार हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितना तथा इस के क्या कारण हैं; और

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अन्य कारखानों के वित्तीय अनुमानों की रूरकेला कारखाने से किस प्रकार तुलना की जा सकती है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्): (क) से (ग). रूरकेला इस्पात कारखाने के वित्तीय लेखे १९६२-६३ के अब तक नहीं बनाये गये हैं। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात कारखानों के वित्तीय आंकड़े कम्पनी के आठवें वार्षिक प्रतिवेदन में हैं जो १७ फरवरी १९६३ को सभा पटल पर रखे गये थे।

चुनाव

†१४८९. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनावआयोग की सामान्य प्रथा कि सभी दलों को बुला कर, उन का परामर्श ले कर चुनावों के बारे में बड़े निर्णय लिये गये हों, अब समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) आपात काल में चुनाव करने की संभावना के बारे में किन पार्टियों का परामर्श लिया गया था ।

†विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) चुनाव आयोग को ऐसी किसी प्रथा की जानकारी नहीं है तथा इस को समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ख) क्योंकि उप चुनाव को शीघ्र कराने की व्यवस्था विधि में है इस लिये चुनव आयोग ने किसी राजनीतिक दलकी सलाह लेना आवश्यक नहीं समझा था ।

ओखला में आद्यरूप (प्रोटोटाइप) उत्पादन का प्रशिक्षण केन्द्र

†१४९०. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओखला (दिल्ली) में आद्यरूप (प्रोटोटाइप) उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र १०० वोल्डर[1] खरादें बना रहा है;

†मूल अंग्रेजी में
[1]Weiler

(ख) यदि हां, तो क्या १०० वीलर खरादों का उत्पादन ३१ मार्च, १९६२ तक करने का विचार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो कितना उत्पादन हुआ है;

(घ) यदि कोई कमी है तो उस के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस कमी के कारणों की कोई जांच की गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). जुलाई, १९६२ में आधरूप उत्पादों तथा प्रशिक्षण केन्द्र, ओखला ३१ मार्च, १९६३ तक १०० वीलर खरादों के लिये अपेक्षित पुर्जों का निर्माण कार्यक्रम बानाया गया था। इन पुर्जों का उत्पादन अनुसूची के अनुसार है। लगभग १० प्रतिशत पुर्जों का आयात कर के खरादों को पूरा बनाया जायेगा। अब तक ३५ खरादों के पुर्जों का आयात किया गया है। आशा है कि शेष ६५० खरादों के पुर्जे शीघ्र मिल जायेंगे।

१५० खरादों को पूरी तरह बना लिया गया है तथा परीक्षण कर लिया गया है। १० बन रही हैं।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठता :

मैंगनीज तथा लौह अयस्क का निर्यात

१४९१. श्री ओंकारलाल बेरवा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में विदेशों से मगनीज अयस्क और लौह अयस्क की मांग कम हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) विदेशों में केवल मैंगनीज अयस्क की मांग में ही कुछ कमी हुई है।

(ख) मांग में कमी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) समुद्रपार देशों के खरीदारों द्वारा उपभोक्ता केन्द्रों के अपेक्षाकृत निकट स्थानों में अपनी नई खानों का हाल ही में विकास किया जाना तथा संभरण के अतिरिक्त साधनों का इस्तेमाल किया जाना।

(२) औद्योगिकीय विकास होना जिस से इस्पात निर्माता मैंगनीज अयस्क पर कम निर्भर रहने लगे हैं।

(३) समुद्रपार देशों के इस्पात उद्योग में मन्दी आ जाना।

उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग

१४९२. श्री भक्त दर्शन : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग को विकसित करने के लिए तीसरी योजना में अब तक भारत सरकार ने किस प्रकार की व कहां तक सहायता दी है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सम्बन्ध में किस प्रकार की योजनायें स्वीकार की गई हैं अथवा विचाराधीन हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) २.७६ लाख रुपये अनुदान तथा ५.२१ लाख रुपये ऋण के रूप में।

(ख) एक विवरण साथ में नत्थी है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में १९६१–६२ और १९६२–६३ में रेशम के सम्बन्ध में कार्यान्वित की जाने के लिए स्वीकृत योजनायें बताने वाला विवरण।

क्रम संख्या　　योजना का शीर्षक

१. खाने में काम आने वाले पौधों का विकास

१. शहतूत की कलमें लगाने की और अधिक नर्सियां तथा शहतूत की खेती बढ़ाना।

२. पर्वतीय क्षेत्रों में विस्तार फार्म खोलना।

२. बीज संगठन

३. बीज संगठन का विस्तार

३. रेशम के कीड़े पालना

४. रेशम के कीड़े पालने का संगठन।

४. सहकार

५. सहकारी सन्स्थाओं को सहायता।

५. प्रशिक्षण

६. तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण।

६. गैर-शहतूती विकास

७. रेशम के कीड़े पालने का विकास।

८. मिर्जापुर में पाइलट टसर रेशम योजना।

७. विविध

९. कृषक दिवस का संगठन।

१०. मुख्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना।

उत्तर प्रदेश में तेल मिलें

१४९३. श्री भक्त दर्शन : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में तेल मिलों के बन्द हो जाने अथवा उन के बन्द होने की सम्भावना के बारे में राज्य सरकार से पूछताछ कर ली है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वहां की राज्य सरकार से किस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है; और

(ग) उस सूचना के आधार पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की तेल मिलों में बड़े पैमाने पर तेल का उत्पादन बन्द नहीं हुआ है। कुछ मिलों के बारे में बताया गया है कि उन्होंने तेलहन की कमी, तेल के भावों में उतार-चढ़ाव, बैंकों द्वारा, अग्रिम धन देने की सुविधा पर प्रतिबन्ध लगाये जाने तथा तेल भेजने के लिए रेलों द्वारा टैंक वैगनों के संभरण में देरी आदि होने के कारण पिछले कुछ समय से उत्पादन बन्द कर दिया है।

(ग) रेलवे मंत्रालय इस क्षेत्र में वैगनों के संभरण के प्रश्न की जांच कर रहा है।

पंजाब में पिछड़े क्षेत्रों का उद्योगीकरण

†१४९४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों का वहां की औद्योगिक संभावनाओं का निर्धारण करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण दल की क्या सिफारिशें हैं; और

(ग) उस की क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) पंजाब राज्य में पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों का वहां पर औद्योगिक संभावनाओं का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित सर्वेक्षण किया गया था ;

(१) पंजाब राज्य सरकार ने १९५५–५६ में कांगड़ा, शिमला गुरदासपुर तथा अम्बाला जिलों में औद्योगिक सर्वेक्षण किया था।

(२) केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन द्वारा किए गए कांगड़ा जिले का सर्वेक्षण (लाहौल तथा स्पिति क्षेत्रों को छोड़ कर, छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र सर्वेक्षण प्रतिवेदन संख्या ६१)

(३) १९५९ में पंजाब सरकार के कहने पर राष्ट्रीय आर्थिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा पंजाब राज्य का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण (पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों समेत)

(ख) संसद् पुस्तकालय के उपलब्ध इन उर्वेक्षणों के प्रतिवेदनों की प्रतियों की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(ग) सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों पर पंजाब राज्य सरकार उद्योगों के लिए राज्यों की तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए विचार कर रही है। इन सर्वेक्षणों की उपपत्तियों का राज्य सरकार उपयोग कर रही है तथा उन को संबंधित क्षेत्रों में नये उद्योग बनाने की संभावनाओं के बारे में सरकारी उपक्रमों को उपलब्ध कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेशम का उत्पादन

†१४९५. श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ में हिमाचल प्रदेश में कितनी रेशम का उत्पादन हुआ था; और

(ख) गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में अलग अलग कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री काननगो) : (क) ४०० किलोग्राम ।

(ख) कुल उत्पादन सरकारी क्षेत्र में हुआ था ।

ऊन के निर्यात में कमी

†१४९६. श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६२–६३ में पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स तथा इटली को भारतीय ऊन का निर्यात बहुत कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना कम हुआ; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). १९६१–६२ की अप्रैल, ६१ से जनवरी, १९६२ की अवधि में निर्यात की तुलना में अप्रैल, १९६२—जनवरी, ६३ में हमारा पश्चिम जर्मनी तथा इटली को ऊनका निर्यात बढ़ गया है परन्तु फ्रांस को निर्यात में अप्रैल, ६१ की—जनवरी १९६२ में ८९२ से १९ लाख रुपये था। अप्रैल, १९६२ —जनवरी १९६३ में कम से कम २० लाख रुपये का ३५७ टन हो गया है।

(ग) आन्तरिक खपत बढ़ जाने के कारण भारत से कच्ची ऊन का निर्यात सामान्यतः कम हो गया है ।

भैषजिक अनुसंधान प्रयोगशाला[1]

†१४९७. श्री तन सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भैषजिक अनुसंधान प्रयोगशालायें कितनी हैं ;

(ख) क्या तीसरी योजनावधि में इनकी संख्या बढ़ जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). इस समय केवल दो राष्ट्रीय भैषजिक अनुसंधान प्रयोगशालायें हैं अर्थात् केन्द्रीय भेषज अनुसंधान संस्था, लखनऊ तथा प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू । भैषजिक अनुसंधान के लिए कोई नई प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Pharmaceutical Research Laboratories.

इन प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त, भेषजों के तीन बड़े निर्माताओं ने स्वतन्त्र रूप से अनुसंधान प्रयोगशालायें स्थापित कर ली हैं। आशा है कि और भेषज निर्माता इसी प्रकार की प्रयोगशालायें स्थापित करेंगी।

साइकिलें और सिलाई की मशीनें

१४९८. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में साइकिलें और सिलाई की मशीनें बनाने के कितने कारखाने चल रहे हैं और उनमें से कितनों को सरकारी सहायता मिल रही है ; और

(ख) १९६१–६२ में कितनी साइकिलें तथा सिलाई की मशीनें बनाई तथा निर्यात की गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) बड़े और छोटे पैमाने के क्षेत्रों में साइकिलें बनाने के कारखानों की संख्या क्रमशः १९ और १३३ है। सिलाई की मशीनें बनाने के कारखानों की यह संख्या क्रमशः ५ और १०६ है। बड़े पैमाने के सभी कारखानों को कच्चा माल, हिस्से, फालतू पुर्जे, औजार एवं मशीनें आदि प्राप्त करने के लिए सहायता दी जाती है। छोटे पैमाने के कारखानों को कच्चा माल आदि आयात करने तथा तकनीकी परामर्श लेने के लिए भी सहायता मिलती है।

(ख)	उत्पादन		निर्यात
	बड़े पैमाने में (संख्या)	छोटे पैमाने में (संख्या)	संख्या
साइकिलें	१,०४२,६१९	१०८,२३४	१२,०२६
सिलाई की मशीनें	३,२२,६१६	५८,२८९	३४,३०८

बाल-बियरिंग के कारखाने

†१४९९. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाल बेयरिंग की वर्तमान वार्षिक अनुमानतः आवश्यकतायें क्या है तथा इनका देश में किस प्रकार निर्माण किया जा रहा है ; और

(ख) क्या देश में कोई और बाल बेयरिंग के कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं ; यदि हां, तो कहां ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) १९६३–६४ में सभी प्रकार के बेयरिंगों की अनुमानित आवश्यकता लगभग १५० लाख है। १९६२–६३ में बेयरिंग का उत्पादन लगभग ४० लाख है।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १४.५८ लाख की क्षमता का जयपुर की वर्तमान यूनिट का विस्तार के लिए तथा बेयरिंगों के निर्माण के लिए १३४.७ लाख को क्षमता के नौ नये कारखाने के औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं। ये यूनिट रांची, पूना बड़ौदा, आगरा, बम्बई, कोयम्बटूर तथा अहमदाबाद में स्थापित होंगे। औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए दो और योजनायें सिद्धान्ततः स्वीकार की गई है। ये यूनिट फरीदाबाद तथा हैदराबाद में स्थापित होंगे।

कानपुर में सूत कताई कारखाना

†१५००. **श्री रिशांग किशिग** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में जनता, सहकारीं समितियां तथा सरकार सहकारिता में ८० लाख रुपये के अनुमानित व्यय पर एक सूत कताई कारखाना (काटन स्पिनिंग मिल) चालू किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो जनता, सहकारी समितियों तथा सरकार का कितना अंश होगा; और

(ग) इस प्रकार कितना धन इकटठा किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) मिल की पूंजी नीचे दी जाती है —

	(लाखों रुपयों में)
(१) सहकारी समितयां, व्यक्तियों तथा अन्य साधनों से प्राप्त धन	७.५०
(२) मनीपुर प्रशासन से प्राप्त धन	४.५०
(३) स्वीकृत सामान्य सिद्धान्तों पर अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड से प्राप्त अंश पूंजी	९.००
(४) सरकार से ऋण	१४.००
(५) औद्योगिक निगम, आर आई सी, आसाम वित्त निगम से ऋण	४०.००
(६) ज्वायंट स्टाक बैंक तथा मनीपुर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड से ऋए	५.००
जोड़	८०.००

(ग) १०००० रुपया

केरल में रबड़ निकालने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण स्कूल[1]

†१५०१. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केरल में रबड़ निकालने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण स्कूल आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

†मूल अंग्रेजी में

[1]Rubber Tappers Training School

(ख) यदि हां, तो ये स्कूल किन केन्द्रों में खोलने का प्रस्ताव है तथा पाठ्यक्रम की क्या अवधि होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारी मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डायनेमो शीट[1]

†**१५०२. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में 'डायनेमो शीट्' निर्माण करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). जी, हां। विस्तार योजना के अधीन रूरकेला में 'डायनेमो शीट' का निर्माण करने का प्रस्ताव है। संयंत्र तथा उपकरण के सम्भरण के लिये पश्चिम जरमनी की एक फ़र्म की निविदा को स्वीकार करने का निर्णय कर लिया गया है ।

चाय उगाने के तरीकों में सुधार

†**१५०३. श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय प्रदेशों में "चाय उगाने के तरीकों में सुधार करने के लिये" चाय बोर्ड ने अपनी एक सलाहकार समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये उसने अपनी कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). पंजाब के पर्वतीय प्रदेशों में चाय उगाने के तरीकों में सुधार करने के सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिये राज्य सरकार ने अपने पालमपुर के प्रयोगात्मक फार्म में एक योजना चालू की है जिसके लिये चाय बोर्ड से वित्तीय सहायता मिल रही है। मोटी तौर पर योजना का क्षेत्र निम्नलिखित है :—

(१) पुराने तथा बिगड़े हुए चाय बगानों को सुधरे हुए तरीकों द्वारा पुनर्जीवित करना तथा पुनर्जीवित करने और नये बागान लगाने के आर्थिक प्रमाणों का अध्ययन करना; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Dynamo Sheets

(२) नये बागानों तथा पुनर्जीवित किये गये पौधों से अधिकतम सम्भाव्य लाभदायक उत्पादन प्राप्त करने के लिये चाय उगाने के तरीकों तथा अन्य आवश्यक कारकों का अध्ययन करना ।

काली और हरी चाय का उत्पादन

†१५०४. **श्री हेम राज :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ और १९६३ में पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में कितनी चाय का उत्पादन किया गया था ।

(ख) पूर्वोल्लिखित वर्षों में कितनी चाय बेची गई थी और कितनी चाय बिना बिकी हुई पड़ी है ; और

(ग) पूर्वोल्लिखित वर्षों में हरी चाय के लिए कितना कितना मूल्य था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) १९६२ के दौरान कांगड़ा तथा मण्डी में काली और हरी चाय का उत्पादन निम्नलिखित हुआ था :—

	काली	हरी	योग
	(संख्या	किलोग्रामों	में)
कांगड़ा . .	२,१३,२४३	८,६०,७५६	१०,७३,९९९
मण्डी . .	४१,४५३	७२,९०६	१,१४,३५९

१९६३ के सम्बन्ध में उत्पादन के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) किसी बड़ी मात्रा में बिना बिकी चाय के पड़े होने की रचना नहीं है । निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है । तदापि, १९६१ की तुलना में १९६२ में काली तथा हरी चाय का अधिक निर्यात हुआ है ।

(ग) १९६२ में अमृतसर की मण्डी में हरी चाय के मूल्य ४ रुपये ९६ नये पैसे प्रति किलोग्राम से लेकर ५ रुपये ५० नये पैसे प्रति किलोग्राम के बीच उतरते चढ़ते रहे । १९६३ के सम्बन्ध में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

कोठागुडियम में बेरियम केमीकल्स संयंत्र

†१५०५. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या वाणियज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोठागुर्डियम, आंध्र प्रदेश में बेरियम केमिकल्स संयंत्र को पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मई, १९६३ के अन्त तक चालू नहीं किया जा सकता ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक कितना धन व्यय हुआ है और संयंत्र के कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग). जनवरी, १९६३ के दौरान कम्पनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, संयंत्र के मई, १९६३ में चालू हो जाने की सम्भावना है बशर्ते कि आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा उन्हें बिजली उपलब्ध कर दी जाये सरकार के पास इस सम्बन्ध में और कोई सूचना नहीं है।

४८ लाख रुपये की निर्गमित तथा परिदत्त पूंजी में से कम्पनी ने जनवरी, १९६३ तक ३० लाख रुपये व्यय कर दिये थे और संयंत्र के चालू किये जाने के पहले २० लाख रुपये और व्यय किये जाने की आशा है।

वाइन्डिग इंजन

†१५०६. **श्री ईश्वर रेड्डी : क्या इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाइडिंग इंजनों के निर्माण का कार्य दुर्गापुर के कोयला खनन मशीनरी संयंत्र द्वारा किस प्रक्रम पर प्रारम्भ किया जायेगा।

(ख) क्या बींच की अवधि में वाइन्डिग इंजनों का आयात करने के लिये लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं; और

(ग) १९६३ के लिये ऐसे कितने लाइसेंस दिये गये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: (क) दुर्गापुर के कोयला खनन मशीनरी संयंत्र में वाइन्डिग इंजनों के निर्मा ण का कार्य १९६५–६६ में प्रारम्भ किया जायेगा।

(ख) और (ग). आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची के लिये 'वाइन्डिग इंजनों' का पृथक् रूप से वर्गीकरण नहीं किया गया है। यह इंजन 'कोयला खननमशीनरी' के अधीन ही आते हैं और अप्रैल, १९६२--मार्च, १९६३ की अवधि के दौरान ५ जनवरी, १९६३ तक कुल मिला कर ४ करोड़ ३१ लाख १४ हज़ार रुपये के मूल्य के ५६० लाइसेंस दिये गये हैं।

पानी के मीटरों का निर्माण

†१५०७. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री गोकर्ण प्रसाद :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नये किस्म का पानी का मीटर बनाये जाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका वार्षिक उत्पादन क्या होगा ; और

(ग) अब जो मीटर हैं उसकी रेट में और अब जो बनाये जायेंगे उसकी रेट में कितना अन्तर होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं ; केन्द्रीय सरकार किसी नये किस्म के पानी के मीटर बनाये जाने पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तेलों में वायदा व्यापार

†१५०८. **श्री याज्ञिक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई प्रकार के खाद्य तेलों में वायदा व्यापार करने की अनुमति है ;

(ख) इस प्रकार का वायदा व्यापार करने के लिये अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस प्रकार के सट्टा व्यापार के कारण एसे खाद्य तेलों के मूल्य प्रायः बढ़ जाते हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ।** (क) खाद्य तेलों में से केवल मूंगफली के तेल तथा नारियल के तेल में ही वायदा व्यापार करने की अनुमति है ।

(ख) मण्डियों में कार्य करने वालों जैसे कि तेल मिल वालों, वनस्पति के निर्माणकर्ताओं स्कन्धधारियों, निर्यातिकों तथा (खोपरा के मामले में) आयातकर्ताओं को मुख्य रूप से द्वैध बचाव की सुविधायें प्रदान करने के लिये ।

(ग) जी, नहीं ।

कटिंग मशीन का कारखाना

१५०९. { **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में शीघ्र ही एक कटिंग मशीन का बड़ा कारखाना खोला जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). सरकार ने हाल ही में कलकत्ता में पेंचदार बरमा बनाने के लिए एक कारखाना लगाने के प्रस्ताव को सिद्धान्ततः अनुमोदित किया है । कम्पनी योजना का ब्योरा तैयार कर रही है ।

भारत और यूनान के बीच व्यापार करार

१५१०. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और यूनान व्यापार करार की अवधि को बढ़ा दिया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५८ से १९६२ तक कितने रुपये के मूल्य का आयात-निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) आयात और निर्यात का कुल मूल्य निम्न प्रकार रहा :

(मूल्य लाख रु० में)

	१९५८	१९५९	१९६०	१९६१	१९६२
आयात	१०	१०	३	६	५.१
निर्यात (पुर्नर्निर्यात-सहित)	७३	२६	२८	३३	६७.८
व्यापार सन्तुलन	+६३	+१६	+२५	+२७	+६२.७

वरजनिया तम्बाकू की कीमतें

†**१५११. श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्ल्यू-क्योरड वरजीनिया तम्बाखु की विभिन्न श्रेणियों के लिए निम्न तम तथा अधिकतम मूल्य सरकार ने निर्धारित कर दिये हैं और यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के लिये क्या दरें निर्धारित की गई हैं ;

(ख) विभिन्न श्रेणियों के लिये विशिष्ट विवरण क्या हैं ;

(ग) क्या जो दरें निर्धारित की गई हैं वे केवल निर्यात की जाने वाली श्रेणियों के लिये ही हैं; और

(घ) क्या उगाने वालों द्वारा बनाई हुई तम्बाखु की विभिन्न श्रेणियों को खरीदने के लिये निम्नतम मूल्य देने पड़ते हैं।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

फ्ल्यू-क्योर्ड वरजीनिया तम्बाखू की केवल निर्यात की जाने वाली श्रेणियों के निम्नतम तथा अधिकतम मूल्य सरकार ने २ मार्च, १९६३ से निर्धारित किये हैं। विशिष्ट विवरण था दरें, जिन पर निम्नतम तथा अधिकतम मूल्य निर्धारित किये गये हैं, संलग्न हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० १०७६।६३]**

(घ) जी, नहीं।

†मूल अंग्रेजी में

वरजीनिया तम्बाखु का निर्यात

†१५१२. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल राज्य व्यापार निगम द्वारा दिये गये प्रमाणपत्रों के विरुद्ध ही विभिन्न देशों फ्ल्यूक्योर्ड वरजीनिया तम्बाखु की विभिन्न श्रेणियों का निर्यात करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई आदेश जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या नये आदेशों की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नारियल जटा उद्योग (पंजीयन तथा लाइसेंस देना) दूसरा संशोधन नियम, १९६३ और अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) नारियल जटा-उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४९२ में प्रकाशित नारियल-जटा उद्योग (पंजीयन तथा लाइसेंस देना) दूसरा संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० १०६५/६३]

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(क) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४९६ में प्रकाशित सूती वस्त्र (नियन्त्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० १०६६/६३]

(ख) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ९९० में प्रकाशित ऊनी वस्त्र (उत्पादन तथा वितरण नियन्त्रण) संशोधन आदेश, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० १०६७/६३]

नाहन फाउण्ड्री लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन और हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६१–६२ के लिये नाहन फाउण्ड्री लिमिटेड, नाहन (हिमाचल प्रदेश)

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(क) उक्त कम्पनी के कार्य-संचालन के बारे में सरकार की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० १०६८/६३]

(२) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत, वर्ष १९६१–६२ के लिये हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उन पर दियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहहित ।

(ख) उक्त कम्पनी के कार्य-संचालन के बारे में सरकार की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या १९६०/६३]

विधेयक पर राय

राज्यों की विद्युत परिषदें विधेयक

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं राज्यों की विधान परिषदों की रचना और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक के बारे में, जिसे ८ जून, १९६२ को सभा के निदेश से उस पर राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया गया था, पत्र संख्या २ पटल पर रखता हूं ।

प्राक्कलन समिति

उन्तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलोर) : मैं परिवहन तथा संचार मन्त्रालय (संचार और असैनिक उड्डयन विभाग)—असैनिक उड्डयन विभाग के बारे में प्राक्कलन समिति का उन्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सदस्य द्वारा वक्तव्य के बारे

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्य सूची में, मैंने डा० पं० शा० देशमुख को एक वक्तव्य देने की अनुमति दी थी । किन्तु उस को पढ़ने के बाद, मुझे मालूम हुआ है कि उसके कुछ भाग आपत्तिजनक हैं । जब तक उन्हें निकाला न जाये, वह वक्तव्य नहीं दिया जा सकता । वे मुझ से आकर मिलें तो मैं उन्हें अपने वक्तव्य को पटल पर रखने की अनुमति दे दूंगा ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : औचित्य प्रश्न के हेतु । पिछले कई सालों से सदन में यह प्रथा है कि लोक लेखों सम्बन्धी आपत्तियों के बारे में यदि वक्तव्य दिया जाना हो, तो वह पहले लोक लेखा समिति के सामने दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरी दूसरी आपत्ति है कि डा० देशमुख किसी गैर-सरकारी संगठन के बारे में वक्तव्य नहीं दे सकते ।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : मैं भी इस बात से सहमत हूं कि डा० देशमुख अपना वक्तव्य पहले लोक लेखा समिति को भेजें, वह इस पर विचार करके हमें बतायेगी कि क्या कार्यवाही की जानी है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरा भी यह विचार है । इसलिए मैंने डा० देशमुख को कहा है कि वे मुझ से आकर मिलें । मैं उन्हें बताऊंगा कि उसमें कौनसी बात अनियमित हैं ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** (अमरावती) : मैं आपका निर्णय मानता हूं । आपने कहा है कि इसमें संशोधन करना चाहेंगे । मैं इस के लिए तैयार हूं । किन्तु मैं चाहता हूं कि मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए मौका दिया जाये, ताकि मैं लोक लेखा समिति द्वारा लगाये गये आरोप का जवाब दे सकूं । मैं लोक लेखा समिति के विरुद्ध कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि लोक लेखा समिति के सारे सदस्य मेरे सहयोगी हैं और मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वर्तमान परिस्थितियों में मैं उनसे कहूंगा कि वे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण भी मुझे लिख कर दे दें । यदि उसमें कुछ आपत्तिजनक न हुआ, तो मैं अवश्य उनको अनुमति दूंगा ।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** क्या मैं इस समय कुछ शब्द नहीं कह सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार में इस समय यह उचित नहीं होगा ।

समिति के लिये निर्वाचन

नारियल जटा बोर्ड

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि दिनांक १२ दिसम्बर, १९५७ की एस० आर० ओ० संख्या ३९८३ द्वारा संशोधित नारियल-जटा उद्योग नियम, १९५४ के नियम ४ के उप-नियम (१) (ङ) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले आगामी कार्यकाल के लिये नारियल-जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

> "कि दिनांक १२ दिसम्बर, १९५७ की एस० आर० ओ० संख्या ३९८३ द्वारा संशोधित नारियल-जटा उद्योग नियम, १९५४ के नियम ४ के उप-नियम (१) (ङ) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले आगामी कार्यकाल के लिये नारियल-जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की मांगें--जारी

प्रतिरक्षा मंत्रालय

वर्ष १९६३-६४ के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८	प्रतिरक्षा मंत्रालय	४९,६२,०००
९	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी . .	६,६३,१७,७९,००
१०	प्रतिरक्षा सेवायें, अक्रियाकारी .	१७,३२,५०,०००
११५	प्रतिरक्षा का पूंजी परिणाम . . .	१,४५,५३,९२,०००

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम) : प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों की चर्चा के समय हमारा खयाल सब से पहले उन सैनिकों की ओर जाता है जो चीन के साथ युद्ध में मारे गये थे और घायल हुए हैं। इसके बाद मैं नये प्रतिरक्षा मंत्री को शुभ इच्छाएं पेश करता हूं और आशा करता हूं कि वे अपना काम बहुत अच्छी तरह कर सकेंगे ।

अकतूबर—नम्बम्वर में हमें जो सैनिक असफलताएं हुई थीं, उस के सम्बन्ध में हमें कई बार बताया गया है कि इसे के कारणों की एक उच्चस्तरीय सैनिक जांच की जायेगी । मैं आशा करता हूं कि यह प्रभावोत्पादक और व्यापक होगी और उस के तथ्यों का पता लग सकेगा । इस सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये असफलताएं हमारी घटिया किस्म के हथियारों और आग्नेय अस्त्रों के कारण हुई अथवा चीनीयों के गैर-परम्परागत युद्ध के तरीकों के कारण या चीनी सैनिकों की संख्या के अधिक होने के कारण हुई थी। यदि चीनी आक्रमण में कोई आश्चर्यजनक बात हुई तो हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारे सैनिक अपने देश की रक्षा के लिये लड़ रहे थे और उन के मन में देशभक्ति की भावना काम कर रही थी और मित्र देशों का सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त था जिन्होंने आक्रमण को अलग थलग कर देने और पीछे हटने को मजबूर कर दिया ।

क्या चीनियों को आक्रमण के समय अपने लोगों का समर्थन प्राप्त था और क्या उन का सैनिक गुप्तचर विभाग हमारे से अच्छा था । यह विश्वास करना कठिन है कि हमारे बहादुर जवानों ने जिन्होंने उत्तर अफ्रीका और इटली के अंग्रेज अफसरों के अधीन इतना नाम पैदा किया था, अपने देश के लिए लड़ते हुए उन परम्पराओं को कायम नहीं रख सका। मेरे बिचार में इस पर गहरा विचार करने की आवश्यकता है । इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि हमारी सैना में अब उतना उत्साह और अनुशासन है या नहीं जो पहले था और यदि नहीं तो क्यों नहीं । मैं यह भी जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के अलावा जो कि श्री लाल

†मूल अंग्रेजी में

बहादुर शास्त्री के अधीन हैं, हमारा सैनिक गुप्तवार्ता विभाग भी है या नहीं। इस बात की भी जांच होनी चाहिये कि क्या जवानों और अफसरों के सम्बन्ध अच्छे हैं और क्या इन सम्बन्धों में कोई त्रुटि तो नहीं आ गई ?

यदि हमारे सैनिक प्रशिक्षण और प्रयोगों का नमूना अब भी दूसरे विश्व युद्ध के नमूने की तरह है, तो अब उनको बदलने का समय आ गया है ।

मैं समझता हूं कि राष्ट्र को सीमान्त की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी गई है । इसी कारण कुछ समाचारपत्रों ने चीनियों की लड़ने की शक्ति और क्षमता के बारे में बहुत भ्रम पैदा किया था और यह प्रचार किया था कि चीनी लड़ना नहीं जानते और उन के पास सामान या खाद्य नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रतिरक्षा पर व्यय के तरीके की जानकारी संसद् को सुरक्षा के हित में नहीं दी जायेगी ? जो कुछ जानकारी हमें दी जाती है हम उसका स्वागत करते हैं किन्तु अंग्रेजों के राज में जैसे जानकारी रोक ली जाती थी, वह प्रथा आजादी के १६ वर्ष बाद भी चल रही है।। हमें इतना भी नहीं बताया जाता कि इतनी बड़ी रकम को तीन सेवाओं के बीच कैसे बांटा जायेगा। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जो जानकारी संसद् से रोकी जाती है, वह विदेशी शक्तियों को मालूम हो जाती है । मुझे विश्वास है कि जो हथियार या सामान हमें मिलते हैं उन की सूची पाकिस्तान को और अब पाकिस्तान के द्वारा चीन को भी प्राप्त हो जाती है। किन्तु वह हमें नहीं दी जाती। इसलिये सुरक्षा की इस गलत भावना के बारे में भी जांचें होनी चाहिये और कम से कम इस संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिये।

१९६१-६२ में प्रतिरक्षा की मांगों की राशि ३११ करोड़ रूपये थी, १९६२-६३ में ३७६ करोड़ और अब १९६३-६४ में ८६७ करोड़ रुपये हैं, अर्थात् १३१ प्रतिशत वृद्धि हुई है और यह कुल राजस्व का ४१ प्रतिशत है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े भार का राजनीतिक और सैनिक महत्व क्या है और जिसका किसी ने विरोध नहीं किया। मैं समझता हूं कि यह राष्ट्रीय प्रतिरक्षा में आत्म-निर्भरता की घोषणा है। अन्यथा, इन ९०० करोड़ रूपयों का कोई अर्थ नहीं है। यह सैनिक गुटों से अलग रहने की घोषणा भी है। यह एक संकल्प है कि हम प्रतिरक्षा के मामले में आत्म-निर्भर होंगे। यह अपने पांवों पर खड़े होने के संकल्प के अनुरूप है क्योंकि यदि हम किसी की छत्रछाया में रहना चाहते, तो हमें इतना अधिक व्यय करने की आवश्यकता न होती। हम जानते है कि सत्तारूढ़ दल के अन्दर और बाहर से बहुत दबाव डाला जा रहा है और मुझे आशा है कि सरकार ऐसे दबावों में नहीं आयेगी। एक भूतपूर्व सेनाध्यक्ष, जो आजकल सारे भारत में घूम रहे हैं ऐसी विचार धारा प्रकट कर रहे हैं, जो आत्म-निर्भरता के सिद्धांत के विरुद्ध है।

यद्यपि यह विषय वैदेशिक नीति से संबंध रखता है तथापि यह प्रतिरक्षा के प्रश्न से इतने घनिष्ट रूप से संबंधित है कि मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता हूं। यद्यपि हमें उन देशों का कृतज्ञ होना चाहिये जो हमें सहायता दे रहे हैं तथापि यह भी स्मरण रखना चाहिये कि कुछ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शर्तें इसके साथ संलग्न हैं। यह इस बात से स्पष्ट है कि अमेरिका काश्मीर के संबंध में पाकिस्तान से समझौता करने के लिए दबाव डाल रहा है।

यह कहा गया है कि हम अमेरिका से दो शर्तों पर हास्य प्राप्त कर सके हैं। पहिला कि इन हथियारों का इस्तेमाल चीन के विरुद्ध ही किया जायेगा। तथा दूसरे अमेरिका के सैनिक मिशन को इनके उपयोग के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त होगा। यदि वे हमें ये शस्त्र उपहारस्वरूप दे रहे हैं तो इस प्रकार की शर्तें रखना अवांछनीय है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

एक ओर ब्रिटेन हमें सैनिक सहायता दे रहा है दूसरी ओर वह चीन से वाइकाउन्टों की बिक्री की बात कर रहा है समझ में नहीं आता है कि हमारे पीछे क्या करना है। अतः इस संबंध में पुर्नविचार की आवश्यकता है।

यह सुझाव दिया जा रहा है कि चीनी गोरिल्ला युद्ध की नयी टेक्नीक प्रयोग में ला रहे हैं। इसके लिए हमें अमरीकी युद्ध विशेषज्ञों की सहायता लेनी चाहिये। मेरे विचार से हमारी सेना को जंगली और पहाड़ी लड़ाई में प्रशिक्षित करने के लिये विदेशी विशेषज्ञों की सहायता लेने से अधिक अच्छा यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनरल विन्गेट की चिन्हत के साथ काम करने वाले भारतीय अफसरों की सेवाओं का लाभ उठाया जाये।

अब मैं बजट को लेता हूं जिसमें जनता से बहुत बड़ा त्याग करने को कहा गया है और निसंदेह सुनिश्चित जनता स्वयं बड़ी प्रसन्नता से यह तकलीफ बरदाश्त करने को तैयार है। तथापि सरकार को यह करना चाहिये कि प्रतिरक्षा के लिए बड़ी रकम रखी गई है उसे समझदारी और उपयुक्त तरीके पर व्यय किया जाये तथा लेखापरीक्षा तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में निर्देशित अनियमितायें पुनः न होने पावें। यह स्मरण रखना चाहिये कि इस मंत्रालय के लिये पहिले ४०० करोड़ रुपये की राशि रखी जाती थी अब ६०० करोड़ रुपये की राशि रखी गई है अतः अपव्यय कम होने की संभावना बहुत काफी है।

अतः मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा के संबंध में भी एक योजना बनायी जाये तथा उसके अनुसार ही कार्य किया जाये। इस संबंध में हमें प्राथमिकता संबंधी पद्धति अपनानी चाहिये। इस तीन वर्षीय योजनाओं में सबसे पहिले २५०० मील लम्बे उत्तरी सीमांत की कार्यकारी आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती चाहिये। हमें नये तरीकों में प्रशिक्षित प्रर्याप्ति रूप से सज्जित सेना बनाने चाहिये ताकि वह स्वावलम्बी रह सके न कि केवल विमानों द्वारा सामान गिराये जाने पर ही निर्भर रहे।

हमें अपने सैनिकों के प्रशिक्षण में यह उद्देश्य रखना चाहिये कि वह अधिक अच्छे सैनिक हों तथा गोला बारूदमें अधिक प्रवीण हों दूसरी बात यह है कि सेना के बिल्कुल पीछे रक्षित तोपखाना हो। इसके बाद हैलीकोप्टर विमानों--यातायात या खोज करने वाले दोनों तथा सैन्य तंत्रों को प्राथमिकता दी जाये। मोर्चे के स्थानों में प्रत्यक्ष तथा वायरलैस का जाल बिछा होना चाहिये। हमें यह भी फैसला करना चाहिये कि विमान बल के पैमाने का क्या विस्तार होगा। यह उस दिशा में और भी आवश्यक होगा यदि सरकार ने भूमि से वायुमंडल की ओर जाने वाली मशालों को प्राप्त करने का निर्णय कर लिया। विमान वाहक पोतों के स्थान पर हमें पनडुब्बियों को प्राप्त करना चाहिये तथा अपनी जल सेना का देश के तट को देखते हुए पर्याप्त विस्तार करना चाहिये। सरकार को यह भी बतलाना चाहिये कि वह इस दिशा में क्या करने का प्रयत्न कर रही है।

अब मैं प्रतिरक्षा विशेषण और विकास परिषद् के कार्य को लेता हूं। इसके कार्य को सर्वोच्च पूर्ववर्तिता दी जाये।

जहां तक प्रतिरक्षा उत्पादन का संबंध है मैं चाहता हूं कि युद्धास्य केवल सरकारी क्षेत्र में ही बनने चाहियें। गैर-सरकारी क्षेत्र में निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों को इस संबंध में लायसेंस देने के भयावह राजनैतिक और सैनिक परिणाम हो सकते हैं अतः सरकार को इस संबंध में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये।

यह कहा गया है कि इंजीनियरिंग उद्योग में पर्याप्त क्षमता बेकार पड़ी हुई है तथा उसका उपयोग बखूबी प्रतिरक्षा संबंधी उपकरणों के लिये किया जा सकता है। यह ठीक है इससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी तथा प्रतिरक्षा उपकरणों का भी शीघ्रता से उत्पादन हो सकेगा। तथापि अनुरोध है कि युद्धास्त्रों का उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में न किया जाये।

अंत में मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि कुछ मामलों में हमारे जवानों की रक्षा विदेशी सैनिकों से बहुत गयी गुजरी है। मेरे विचार से उनकी सेवा शर्तों पर पुर्नविचार किया जाये इससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा केवल मौखिक सहानुभूति दिखाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसके प्रति न्याय भी किया जाये।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बहुत सुन्दर और रचनात्मक भाषण दिया है। मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय का ध्यान उन कटौती प्रस्तावों की ओर भी दिलाऊंगा जो हम ने सभा के सम्मुख रखे हैं।

वस्तुतः इस बात की नितांत आवश्यकता है कि देश में सैनिक अकादमी, छात्र सेना कालेज, तथा आर्थिक सैनिक स्कूलों की स्थापना की है।

मेरा यह भी सुझाव है कि श्रेष्ठ सेना अधिकारी तथा संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये जो इस बात पर गौर करे कि वह किस प्रकार खर्च किया जा रहा है।

अधिकारियों के चुनाव में जो क्षेत्रीय विषमता दिखायी दे रही है वह दूर की जाये।

देश के विकसित विभागों को हवाई हमले से बचाने के संबंध में पूरी कार्यवाही नहीं की गयी है। इस संबंध में हमें निम्न देशों से सक्रिय सहायता लेनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त उन लोगों के लिए जिन्होंने देश की सेवा के लिये अपने प्राणों की आहुति दी है उनके परिवारों को पेंशन, उपदान तथा उनके आश्रितों को रोजगार देने के लिये राष्ट्रव्यापी योजना होनी चाहिये। तथा वो लोग स्थायी रूप से अपंग हो गये हैं उनके लिये।

सेना का इस प्रकार पुनर्गठन किया जाये कि वह लद्दाख तथा उत्तरी पूर्वी सीमांत की रक्षा करने में समर्थ हो सके। एक 'हिमालय सेना' का संगठन किया जाये। उसके सैनिकों को गोरील्ला तथा पारम्परिक युद्ध के तरीके सिखलाये जायें। उत्तरी क्षेत्र के लोगों तथा स्थानीय निवासियों को उस सेना में स्थान दिया जाये।

सेना ने अभी हाल की पराजय से अपने को बहुत लज्जित अनुभव किया है। हमारी सेना हमारे राजनैतिक और सैनिक नेतृत्व के प्रति संतुष्ट रही है। में आशा करता हूं कि नये प्रतिरक्षा मंत्री वे गलतियां नहीं करेंगे जो उनके पूर्वाधिकारी ने की थीं।

हमें सेना के गुप्तचर विभाग में सुधार करना चाहिये। देश के प्रति गैर वफादार तत्वों के संबंध में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय को दी जाने वाली राशि में असाधारण वृद्धि हो गयी है अतः सरकार को चाहिये कि वे एक उच्च सत्ता प्राप्त समिति को नियुक्त करें जो प्रतिरक्षा मंत्रालय के व्यय की जांच करे तथा देश कि सारी राशि का बुद्धिमानी से प्रयोग हो तथा किसी प्रकार का अपव्यय नहीं होने पावे। यह ध्यान रखना चाहिये कि प्रतिरक्षा मंत्रालय को ८७० करोड़ रुपया प्राप्त हुआ

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

है। यदि इसमें से १ प्रतिशत भी अपव्यय होगा तो वह ९ करोड़ रु० के लगभग आयेगी यदि दो तीन प्रतिशत होगी तो वह २५ करोड़ के लगभग होगी। अतः इस संबंध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

अब मैं सेना के नेतृत्व का प्रश्न लेता हूँ। इंग्लैंड में सेनाध्यक्षों की एक परिषद होती है और वह अनुशासन तथा प्रशासन इत्यादि सभी मामलों का निपटारा करती है। प्रतिरक्षा मंत्री उसमें बहुत कम हस्तक्षेप करते हैं। हमारे देश में भी यही प्रणाली अपनायी जाये।

अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण के संबंध में शीघ्रता की जाये। इतना ही नहीं उनके प्रशिक्षण की अवधि भी घटा दी जाये। तथा इस संबंध में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो विषमता है उसे दूर किया जाये।

प्रतिरक्षा मंत्रालय को यह बताना चाहिये कि क्या यह राशि काफी होगी तथा इससे हमारी सेना में चीन के विरूद्ध कितना प्रतिशत स्वावलंबन आ सकेगा तथा कितने प्रतिशत हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना होगा।

संकट काल में इस बात का आभास दिया गया था कि दिल्ली तिब्बत में चीनियों के हवाई अड्डों से काफी निकट है। शायद इसीलिये यहां अँग्रेजों ने बहुमंजिली इमारतें नहीं बनायी किन्तु हमने ऊँची ऊँची इमारतें बना ली हैं। इसलिये हमें हवाई संरक्षण की आवश्यकता है। मेरे माननीय मित्र ने हमें अंग्रेजों और अमेरिका के प्रतिसावधान रहना चाहिये तथापि उन्हें रूस के प्रति भी सावधान रहना चाहिये जिसने चीन को सैकड़ों की संख्या में मिग दिये हैं अब वही हमें भी दो मिग दे चुका है तथा कुछ और देने वाला है तथापि चीन के पास तो हजारों विमान हैं।

वस्तुतः हम स्वावलम्बी होना चाहते हैं न केवल अपने प्रयत्नों के बल पर अपितु अपने मित्रों से मिलने वाली सहायता लेकर ही हमें आत्मनिर्भर बनना होगा।

अमरीका और इंग्लैंड दोनों देश चीन का मुकाबला करने के लिये हमें सहयोग दे रहे हैं, परन्तु वह यह नहीं चाहते कि हम दो महाजों पर लड़े, एक चीन का और दूसरा पाकिस्तान का। वह यह भी नहीं चाहते कि कोई निर्णय हमारे ऊपर लादा जाये, बल्कि यह कि हम पाकिस्तान के साथ किसी निश्चय पर पहुंच जायें। पाकिस्तान ने ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया है कि मित्रतापूर्ण ढंग से सोचना भी असंभव हो गया है। अमरीका और इंग्लैंड यह भी नहीं कहते कि हम रूस से मित्रतापूर्ण संबंध न रखें। परन्तु इस बात को नहीं भुलना चाहिये कि रूस चीन को अपना भाई कहता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने मित्रों को पहचानें। अमरीका, इंग्लैंड, आदि देशों ने संकट के समय हमारी सहायता की, जहाजों के जहाज भर कर शस्त्र हमें दिये। इस लिये हमें उनकी मित्रता के तथ्य को स्वीकार करना है। यदि वह हमारी सहायता के लिये न आते तो शायद चीन युद्ध बन्द न करता।

इन देशों से सहायता प्राप्त करते समय यह सोचना कि वह हमारी स्वतंत्रता के लिये खतरा बन जायेंगे गलत है। जब अमरीका ने कोरिया की सहायता की और स्वयं उनकी सेनायें वहां चीनियों से लड़ती रहीं, उसका परिणाम यह नहीं हुआ कि कोरिया पर अमरीका का स्वामित्व हो गया है। इस प्रकार की धारणा ही निराधार है। इसके अतिरिक्त, हम तो केवल अमरीका, इंग्लैंड, से ही नहीं बल्कि सभी लोकतंत्रात्मक मित्र देशों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

देश में प्रतिरक्षा संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, और प्रतिरक्षा को लक्ष्य रखते हुये ही अन्य विकास कार्य किये जाने चाहियें। यह बताया गया है कि १२ आयुध कारखाने खोले जा रहे हैं। मुझे आशा है कि भूतपूर्व रक्षा मंत्री के समान वर्तमान रक्षा मंत्री अपने निश्चयों में परिवर्तन नहीं करेंगे। पूर्व के अनुभवों से लाभ उठा कर हमें इन कारखानों को शीघ्रता से स्थापित करना चाहिये। और मैं समझता हूँ कि १२ कारखानें बहुत कम होंगे। २४ कारखारों की आवश्यकता होगी। प्रत्येक राज्य में एक अथवा दो आयुध कारखाने होने चाहियें। इन कारखारों में अधिक से अधिक शस्त्रास्त्रों का उत्पादन होना चाहिय।

इसके साथ साथ मैं आप से अनुरोध करूंगा कि जवानों को अधिक से अधिक सुविधायें दी जायें। उनको दिये जाने वाले भत्तों में वृद्धि करनी चाहिये। कल्याण सेवाओं में और आवास की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है।

इस मंत्रालय को पुनर्गठित किया जाना चाहिये ताकि यह अधिक से अधिक संगठित हो। देश में विभिन्न वर्गों के लोग हर प्रकार का सहयोग देने के लिये तैयार हैं। अब यह प्रशासन पर निर्भर करता है कि किस प्रकार उस सहयोग का प्रयोग किया जाय और किस प्रकार सहयोग के लिये लोगों को प्रोत्साहित किया जाय।

अन्त में मैं आशा प्रकट करता हूं कि जो इतना धन हम इस मंत्रालय को उपलब्ध कर रहे हैं उसका ठीक ठीक प्रयोग किया जायगा और योजनाओं को ठीक प्रकार कार्यान्वित किया जायगा।

प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किय गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
८	१	श्री यशपाल सिंह	नेफा तथा लदाख में चीनी आक्रमण से पूर्व तथा पश्चात् असन्तोषजनक प्रबन्ध	१०० रुपये
९	२	श्री यशपाल सिंह	निम्नलिखित की आवश्यकता :— (१) सेना का पुनर्गठन। (२) वायु बल तथा नौसेना को मजबूत बनाना। (३) देश में अनिवार्य भर्ती। (४) सेना के गुप्त वार्ता विभाग को मजबूत बनाना। (५) सेना में पदोन्नतियों की प्रणाली। (६) नेफा और लद्दाख में लड़े सैनिकों को पदक देने की प्रणाली।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
८	३	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	हाल ही में सेना की हार के लिये राजनीतिक तथा सैनिक पहलुओं की जांच कराने में असफलता ।	१०० रुपये
९	४	श्री अ० व० राघवन	वार्षिक वृद्धि के मामले में अधिकारियों और जवानों में विभेद	राशि घटा कर १ रुपया की जाय।
९	६	श्री अ० व० राघवन	निम्नलिखित की आवश्यकता : (१) जवानों के वेतनों और भत्तों में वृद्धि । (२) राज्य युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि समिति को अधिक राशियों का आवंठन। (३) विभिन्न राज्य सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्डों के कर्मचारियों को अधिक अच्छी सेवा शर्तें उपलब्ध करना । (४) भूतपूर्व सैनिकों के लिये नौकरी सुविधायें सुनिश्चित करना । (५) भूतपूर्व सैनिक सहकारी संस्थायें स्थापित करने के लिये धन का उपबन्ध । (६) युद्ध सेवा अभ्यर्थियों के लिये २५ प्रतिशत स्थान रक्षित करना । (७) विवाहित जवानों के लिये क्वार्टर । (८) जवानों के लिये महंगाई भत्ते में वृद्धि करना ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
			(६) सेवाओं में पदोन्नतियों के लिये अधिक अवसर उपलब्ध करना ।	
८	१०	श्री विश्राम प्रसाद	सीमाओं पर समुचित शस्त्रों से लैस सेना को रखने, और देश के उत्तर-पूर्वी सीमांत क्षेत्रों की रक्षा करने में असफलता ।	राशि घटा कर १ रुपया की जाय।
८	११	श्री शिवमूर्ति स्वामी	नेफा तथा लद्दाख में से चीनियों को खदेड़ने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६	१२	श्री विश्राम प्रसाद	निम्नलिखित की आवश्यकता :— (१) सीमाओं की रक्षा के लिये सेना का पुनर्गठन । (२) सेना की संख्या में वृद्धि करना । (३) सेनाओं को आधुनिक आयुधों से लैस करना । (४) अधिक भर्ती के केन्द्र खोलना । (५) प्रशिक्षण का पुनर्गठन (६) आधुनिक युद्ध प्रणाली संबंधी प्रशिक्षण । (७) नौसेना के लिये कल्याण गतिविधियों में वृद्धि । (८) वायु सेना को मजबूत बनाना । (९) नौसेना को मजबूत बनाना । (१०) पाइलाट्स और भूमि इंजीनियर्स के लिये अधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना । (११) प्रतिरक्षा सामान उत्पादन प्रयासों में तीव्रता लाना ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
			(१२) सेवा सूचना केन्द्र का पुनर्गठन।	
			(१३) आपात काल में भर्ती लोगों के लिये आवास व्यवस्था।	
			(१४) प्रादेशिक सेना एककों का विस्तार।	
			(१५) लोक सहायक सेना शिविरों का विस्तार।	
			(१६) राष्ट्रीय वालंटियर राइफल्स का स्थापन।	
			(१७) नौसेना के कार्यों में विस्तार।	
			(१८) नौसेना अनुसंधान ग्रुप को आधुनिक आयुधों से लैस करना।	
१	१३	श्री शिवमूर्ति स्वामी	चीनी आक्रमण का सामना करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा सेवाओं को मजबूत बनाने के लिये प्रभावशाली कदम उठाना।	१०० रुपये
११५	१४	श्री शिवमूर्ति स्वामी	आयुध कारखानों को आधुनिक शस्त्र तैयार करने योग्य बनाने की आवश्यकता।	१०० रुपये

†**अध्यक्ष महोदय :** ये सभी कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): अध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत जोरों के साथ कहा गया है कि जनता के ऊपर ह्यूज बर्डेन है, एनार्मस अमाउंट है। मैं जरा सा अपने बजट के ऊपर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पीस टाइम का बजट एक होता है और वार टाइप का बजट दूसरा होता है। भारतवर्ष पीस टाइम में अपनी नेशनल इनकम का कुल २.५ परसेन्ट डिफेन्स पर खर्च करता था जब कि यू० के० अपने बजट का ६.५ परसेन्ट यू० एस० ए० ९.५ परसेन्ट, साउथ कोरिया ७.४ परसेन्ट, मलाया ३ परसेन्ट, इंडोनीशिया ४.६ परसेन्ट, इजराइल ६.३ परसेन्ट और पाकिस्तान ३ परसेन्ट खर्च करते थे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि पीस टाइम में हिन्दुस्तान दुनिया के सब देशों

†मूल अंग्रेजी में

से कम अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च करता था। अगर वार टाइम के बजट को आप देखें तो यू० के० में उस की नेशनल इनकम का ५२ परसेन्ट खर्च होता था, यू० एस० ए० में ४५ परसेन्ट खर्च होता था, लेकिन आज जो हमारा बजट है उस में हम कितना खर्च करते हैं? ५ हरसेंट हम अपनी नेशनल इनकम का सिर्फ ५ परसेन्ट खर्च करते हैं। उस के लिये भी हमारे यहां कहा जाता है कि यह ह्यूज बर्डन है, एनार्मस अमाउंट है। मैं इस चीज को नहीं समझ पाता कि जब भारतवर्ष के ऊपर विपत्ति आई हुई है तब हमारा बजट कितना होना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जब हम ५ परसेन्ट खर्च करते हैं वार टाइम में तब छोटा सा कंट्री इजराइल पीस टाइम में ६.३ परसेन्ट खर्च करता था।

हमारे दोस्त ने यहां पर कुछ आंकड़े दिये, लेकिन वे आंकड़े ठीक नहीं हैं। मैं सेंट्रल बजट से पढ़ कर आप को बतलाना चाहता हूं कि सन् १९५७–५८ में जब कि हमारे पूर्व डिफेन्स मिनिस्टर थे उस समय हमारे बजट का ट्रेंड क्या था। उस समय से हमारा बजट घटता चला गया। सन् १९५७–५८ में हम ३५ परसेन्ट डिफेन्स पर खर्च करते थे, सन् १९५८–५९ में ३१ परसेन्ट खर्च करते थे, सन् १८५९-६० में हम २६ परसेन्ट खर्च करते थे, सन् १९६१-६२ में भी २६ परसेन्ट खर्च करते थे, सन् १९६२–६३ में हम २३ परसेन्ट खर्च करते थे। इस प्रकार से जैसे जैसे भारतवर्ष की सीमा पर चीन और पाकिस्तान का जोर बढ़ता गया वैसे वैसे हम अपने डिफेन्स बजट को सिकोड़ते चले गये और वह स्थिति आ गई कि भारतवर्ष पर आक्रमण हुआ तथा हम भारतवर्ष की रक्षा करने में असमर्थ हुए।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी**: राशि कितनी थी?

श्री रघुनाथ सिंह: इस में अमाउंट भी दिया हुआ है। वह भी इसी प्रपोर्शन से हुआ है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अब जो हमारा ४१ परसेन्ट खर्च हो रहा है वह सन् १९५७–५८ से सिर्फ ६ परसेन्ट ज्यादा है।

श्री त्यागी: किस चीज का परसेन्ट?

श्री रघुनाथ सिंह: सारे बजट का। हम सन् १९५७–५८ में जो खर्च किया करते थे उस से यह सिर्फ ६ परसेन्ट ज्यादा है।

दूसरी बात मुझे नेवी के बारे में कहनी है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उस को थोड़ा सा स्पर्श करके ही छोड़ दिया। अगर हम चीन की जल शक्ति को देखें तो पायेंगे कि आज से पहले उस के पास केवल २५ सबमैरीन्स थी, लेकिन आज वह दुनिया की चौथी शक्ति है। वह चौथी शक्ति इस प्रकार है कि यू० एस० ए० के पास सब से ज्यादा सबमैरीन्स हैं। उस के बाद रूस आता है, उस के बाद ब्रिटेन आता है और चौथा नम्बर है चीन का। आज से दो वर्ष पहले मैंने कहा था कि हिन्दुस्तान में सबमैरीन्स बनाने की व्यवस्था होनी चाहिये क्योंकि हिन्दुस्तान के पास एक भी सबमैरीन नहीं है। उस वक्त कहा गया कि सबमेरीन अफेन्सिव वेपन है। और चूंकि वह ओफेन्सिव वेपन है इसलिये हम उस को नहीं बनाना चाहते। मैं कहना चाहता हूं कि सबमैरीन अफेन्सिव वेपन नहीं है, वह डिफेन्सिव वेपन है। आज दुनिया की स्ट्रैटेजी १८ वर्ष बाद बहुत बदल गई है। जो हथियार या जो युद्ध नीति हमारी १८ साल पहले हो सकती थी वह आज नहीं है। आज वारशिप बिल्कुल बेकार हैं, डिस्ट्रायर बिल्कुल बेकार हैं। आज सबमैरीन का स्थान पहला और एअरक्राफ्ट का स्थान दूसरा है।

†मूल अंग्रेजी में

[रघुनाथ सिंह शर्मा]

आप लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान की एक खबर पढ़ी होगी कि माल द्वीप में पाकिस्तान अपना जल अड्डा बनाने जा रहा है। साथ ही साथ सबमैरीन बेस वह ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों तरफ बनाने के लिये तैयार हो रहा है। इस का मतलब यह है कि हिन्दुस्तान की जो सामुद्रिक सी ा है वह पश्चिम में पश्चिमी पाकिस्तान से, पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान से और दक्षिण में मलक्का द्वीप से घिर जाती है। आज हमारे पास अदन नहीं है, आज हमारे पास सिंगापुर नहीं है और हमारा इंडियन ओशन घिर गया है। अगर हमें हिन्दुस्तान की रक्षा करनी है तो हमारी शक्ति भारतीय समुद्र में इतनी ज्यादा होनी चाहिये कि कोई भी अटैकिंग आर्मी आये, हम उस का सामना कर सकें।

एक माननीय सदस्य : आर्मी ?

श्री रघुनाथ सिंह : हां, अटैकिंग नेवी।

अब आप चाइना की शक्ति को देखिये। जैसा मैंने कहा चाइना सबमैरीन के मामले में आज दुनिया की चौथी शक्ति है। उस के पास पेट्रोल वेसेल्स २४ हैं, मोटर गन वोट्स ५५ हैं, मोटर टारपीडो वोट्स १३६ हैं, लैंडिंग शिप्स ३० हैं, लैंडिंग क्राफ्टस ३५० हैं। इन आंकड़ों के विरुद्ध हिन्दुस्तान के पास एक भी जहाज नहीं है। यह किस बात का द्योतक है? यह इस बात का द्योतक है कि चाइना ने जो अपनी शक्ति बनानी आरम्भ की है वह इस आधार पर आरम्भ की है कि अगर हिन्दुस्तान के कोस्ट पर हमला करने की आवश्यकता हो तो वह बड़े सुभीते से हमला कर सके। इस से हमें जरा होशियार रहने की आवश्यकता है। अगर हम थोड़ा होशियार नहीं होते तो इस का फल यह होगा कि जैसी हमारी अवस्था नेफा में हुई वैसी ही अवस्था हमारे कोस्ट की भी होगी। आप इस को जरा देखिये तो सही। हमारा जो लैंड ९४२५ मील है, कोस्टल लाइन ३५३५ मील है। अर्थात् हमारी सीमा का २७ परसेन्ट कोस्टल लाइन है। लेकिन हमने अपने डिफेन्स बजट में जो नेवी के लिये रखा है वह डिफ़ेन्स बजट का सिर्फ २.५ परसेन्ट है, इस साल दिया गया है। इस में यह लिखा गया है कि पहले से ३९ लाख ३१ हजार रु० और ज्यादा दिया जायेगा। केवल ३९ लाख। इस प्रकार से आप देखिये कि हमने नेवी के वास्ते कोई खास बात नहीं की। हमने सन् १९५९--६० में १४ करोड़ रखा, सन् १९६०--६१ में १८ करोड़ रखा, सन् १९६१--६२ में १९ करोड़ और सन् १९६२-६३ में भी १९ करोड़ रखा, और सन् १९६३--६४ में उस के पिछले साल से केवल ३९ लाख रु० ज्यादा रखा है एफेक्टिव सर्विस का। अगर इस में नानएफेक्टिव सर्विस का २ करोड़ रु० और मिला लें तो ज्यादा से ज्यादा २३ करोड़ रुपया होता है। अगर आप समझते हैं कि इतने छोटे बजट में आप अपनी समुद्री सीमा की रक्षा कर सकेंगे तो आप ऐसा करने में अपने को असम। पावेंगे। आपके पास काफी जहाज नहीं होंगे और अपनी रक्षा करने की व्यवस्था नहीं होगी तो उस अवस्था में आप अपनी समुद्री सीमा की रक्षा करने में असमर्थ होंगे।

शायद हमारा सुरक्षा मंत्रालय इस प्रकार से सोच रहा है जैसे कि सैकिंड वर्ल्ड वार के समय चर्चिल और रूजवैल्ट सोचा करते थे कि आधुनिक युद्ध में नेवी की कोई आवश्ययकता नहीं है। लेकिन जब यू बोट का मिनेस उन के सामने आया तो रूजवैल्ट साहब के दिमाग में और चर्चिल के दिमाग में यह बात आयी कि नेवी का बहुत बड़ा स्थान है।

आप को मालूम होगा कि दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड की रक्षा कैसे हुई ? वह केवल नेवी के कारण हुई। जरमनी के पास ११६२ यू वोट थे। इन का उपयोग वह अटलांटिक और भूमध्यसागर में जोरों से करता था और इन यू बोटों के द्वारा उसने २१५ लाख टन जहाज डुबोए थे। आपके पास क्या है ? आप का जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मरचेंट नेवी का टारजेट है वह कुल जमा पूंजी में १२ लाख टन के करीब है, और उधर दूसरे विश्व युद्ध में २१५ लाख टन के जहाज एलाइज के डुबोए गए थे। मैं पूछता हूं कि अगर आज आपके ऊपर हमला हो जाए और दूसरे मुल्कों से आप सहायता लेना चाहें

तो कैसे लेंगे। आपकी अवस्था पोलैंड की सी अवस्था होगी। जब पोलैंड पर वार डिक्लेयर हो गयी तो चैम्बरलेन साहब ने कहा था कि हम पोलैंड की सहायता करेंगे। लेकिन उसे सहायता कैसे की जाती। पोलैंड तो चारों तरफ से बन्द था। अगर आपके पास मरचेंट नेवी नहीं होगी, और कनवाय को प्रोटेक्ट करने के लिये नेवी नहीं होगी, तो बाहर से सामान कैसे आएगा। आपकी अवस्था वही होगी कि जो बिल में चूहे की होती है और वह मारा जाता है। आपको सहायता देने की इच्छा रखते हुए भी और देश आपको सहायता नहीं भेज सकेंगे। आप कह सकते हैं कि हमारे पास हवाई जहाज से टैंक आ सकते हैं और दूसरा सामान आ सकता है। मैं कहता हूं कि यह असम्भव है। इस वास्ते में बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान की रक्षा करनी है तो आप को नेवी की तरक्की करनी होगी क्योंकि आपके दूसरे देशों से मुख्य मीन्स आफ कम्युनिकेशन समुद्री जहाज के जरिए से ही हो सकते हैं। रेलवे से आप दूसरे देशों से सामान नहीं ला सकते, हवाई जहाज से भी भारी चीजें नहीं आ सकती। इसलिए अगर आपके पास स्ट्रांग नेवी और मरचेंट नेवी होगी तो दूसरे देशों से आप को सहायता मिल सकती है ?।

आप देखें कि पाकिस्तान क्यों ईस्ट और वेस्ट में अपने नेवल बेस बनाने पर इतना जोर दे रहा है। शायद हमारा मंत्रालय सोचता है कि लैंड ही लैंड से काम हो जाएगा। लेकिन आज लैंड बेस की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। पोलेरिस के आविष्कार के पश्चात लैंड बेस का महत्व समाप्त हो गया है क्योंकि सबमैरिन से मिसाइल और राकेट लांच किए जा सकते हैं। सबमैरिन एक ऐसी चीज है जिस को आप देख नहीं सकते।। हवाई जहाज आयेगा तो वह ऊपर से आएगा। उसको आप देख सकते हैं और मार सकते हैं। लैंड फोरसेज़ से आप लड़ सकते हैं। लेकिन सबमैरिन का आप क्या करेंगे। वह तो पानी के अन्दर से आएगा। इसलिए जब तक आपके पास अच्छे सबमैरिन नहीं होंगे तब तक आप अपनी रक्षा करने में असमर्थ होंगे।

हमारे सामने कहा जाता है, अखबारों में भी यह बात आती है, और हमारे भूतपूर्व डिफेन्स मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि पहाड़ में लड़ाई होने से क्या होगा जब वे मैदान में आवेंगे तो हम उन से लड़ लेंगे।

एक माननीय सदस्य : दैट इज दी स्ट्रेट्जी।

श्री रघुनाथ सिंह : में कहता हूं कि यह स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत है। अगर आप उनको पहाड़ में नहीं रोक सकते तो उनको मैदान में भी नहीं रोक सकेंगे। आप हिन्दुस्तान का इतिहास देखिए। जब भी हिन्दुस्तान की सेना विदेशियों को बाल्हीक में या इंडस पर या खैबर में रोक सकी है तभी हिन्दुस्तान की रक्षा हो सकी और जब जब भी कोई विदेशी सेना इंडस को पार करके हिन्दुस्तान में घुस आयी तो वह सीधे ढाका तक पहुंच गयी है। तो हमको भी दुश्मन को पहाड़ में ही रोक देना चाहिए। अगर हम उनको पहाड़ में आ जाने दगे तो उनका वहां पाकेट हो जाएगा शत्रु वहां बैठ जाएगा फिर उसको वहां से कैसे हटाया जाएगा और कैसे हम उससे रक्षा कर सकेंगे। आपके सामने बहुत अच्छा उदाहरण है। आप राजस्थान को लीजिए। साढ़े सात सौ वर्ष तक राजस्थान वाले अकबर से भी लड़े और उन्होंने फीरोज शाह तुगलक और औरंगजेब से भी मोर्चा लिया क्योंकि उनके पास पहाड़ थे। वे पहाड़ में बैठ कर युद्ध करते थे। शिवा जी को लीजिये। उनके पास पहाड़ था। पहाड़ में बैठ कर उन्होंने युद्ध किया और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सके।

श्री त्यागी (देहरादून) : इसी लिए तो मराठा के सुपुर्द यह काम किया गया है।

श्री रघुनाथ सिंह : हमसे कहा जाता है कि हम माउंटेन वारफेयर नहीं जानते। में तो कहता हूं जमुना से लेकर ढाका तक तो हमारे यहां मैदान हैं। बाकी तो सारे हिन्दुस्तान में पहाड़ ही हैं। दिल्ली के चालीस मील दूर से ले कर आप कन्या कुमारी अन्तरीब तक चले जाइए आपके पहाड़ मिलेंगे और

[श्री रघुनाथ सिंह]

इधर हिमालय पहाड़ है। तो हमको यह बुजदिली का विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए कि हम पहाड़ में नहीं लड़ सकते। हमको मैदान में लड़ना है, पहाड़ में लड़ना है और हर जगह मजबूती से लड़ना है।

बहुत बार कहा जाता है कि हम एटमिक पावर को पीस फुल परपजेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं कहता हूं कि एटमिक पावर का पीसफुल उपयोग आप तभी करेंगे जब कि हिन्दुस्तान आजाद रहेगा। जब हिन्दुस्तान में किसी दूसरे देश की सेना आ जाएगी तो आपकी एटमिक पावर खत्म हो जाएगी, आप बना ही न सकेंगे लिहाजा आज हमें दृढ़ता और निर्भीकता से कहना चाहिए कि हम एटमिक पावर का उपयोग अपनी रक्षा के लिए करेंगे, सेना के लिए है।

अभी कहा गया कि चाइना ने अपनी एटमिक पावर में काफी प्रगति कर ली है। मैं तो समझता हूं कि अगर चाइना सबमेरिन में फोर्थ पावर दुनिया में हो सकती है तो उसके पास एटमिक सबमेरिन भी है। आज कल के जमाने में अगर आप के पास एटमिक सबमेरिन नहीं होगी तो आप सफल नहीं हो सकते। लिहाजा मैं बड़ी विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो एटमिक पावर है उसका हम अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करें।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे रक्षा मंत्रालय का शुरु से यह दुर्भाग्य रहा है कि इसमें मंत्रियों के जल्दी जल्दी परिवर्तन होते रहे हैं कि किसी को गम्भीरतापूर्वक विचार करने का मौका नहीं मिला। अब हमारे वर्तमान प्रतिरक्षा मंत्री जी आ गए हैं मैं चाहता हूं कि वह ए योजना बनाएं। और प्लान के साथ सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी तक हम सिविल सैक्टर के लिए और प्राइवेट सैक्टर के लिए प्लानिंग करते रहे हैं, लेकिन जब भी मैंने यहां डिफेंस के लिए प्लानिंग का सवाल उठाया तो हमारे ऊपर लोग हंसते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि डिफेंस के मामले हैं भी हम प्लान के अनुसार आगे बढ़ें। अगर हम प्लान के अनुसार अपनी सुरक्षा व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमको असफलता प्राप्त होगी। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि अगर हिन्दुस्तान आजाद रहेगा तो आपके प्लान भी चलेंगे और सब चीज चलेंगी, लेकिन अगर हिन्दुस्तान में विदेशी फौज आ जाएगी तो ये सब प्लान आप से आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए विदेशी शत्रुओं के प्लान चलने के पहले अपने प्लांस को आप चलाइये। वह प्लांस इस दृष्टि से होने चाहिएं कि किसी भी क़ीमत पर देश की रक्षा की जायगी, चाहे एटैमिक वैपंस से हो, चाहे मिज़ाइल्स से हो और चाहे राकेट से हो। ७०० वर्ष की गुलामी से निकाल कर हमने इस देश को आज़ाद किया है और हम इस को फिर से गुलाम बनने देने के लिए कदापि तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर हम इस दिशा में गाफ़िल रहे और हमने इस देश को पुनः गुलाम बन जाने दिया तो आने वाली संतानें हमारे मुंह पर थूकेंगी और हमारे माथे पर कलंक का टीका लगाया जायेगा कि जहां हमने हिन्दुस्तान को आज़ाद किया वहां हम उस की आज़ादी को क़ायम नहीं रख सके और हमारे जिंदा रहते वह फिर गुलाम बन गया। भगवान करे ऐसा समय न आये और हमारी आने वाली संतानें यह कहें कि हमारे पूर्वजों ने हिन्दुस्तान को आज़ाद कराया लेकिन मिली आजादी की उन्होंने रक्षा भी न की।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** (रत्नगिरि) : प्रतिरक्षा मंत्रालय का प्रतिवेदन अत्यधिक विस्तृत और पेचीदा है। इससे न तो राष्ट्रीय आपात स्थिति में आश्वासन ही मिलता है और न यह व्याख्यात्मक ही है। इससे साफ जाहिर है कि प्रतिरक्षा संबंधी कोई समुचित योजना नहीं है और प्रतिरक्षा संबंधी वर्तमान आवश्यकताओं का अनुमान भी ठीक ठीक नहीं लगाया गया। इसके अतिरिक्त वर्तमान आपात काल में सैन्य बलों की व्यवस्था के पुनर्नवीकरण संबंधी किसी योजना का आभास नहीं मिलता।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे देश में विभिन्न विदेशी मिशन आये हैं जो हमारी प्रतिरक्षा स्थापनाओं, प्रतिरक्षा क्षमताओं, आदि का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यह मिशन इस जानकारी को जैसे चाहे अउपयोग में ला सकते हैं। परन्तु संसद में हमें कह दिया जाता है कि प्रतिरक्षा संबंधी बातों का व्योरा देना जनहित में नहीं है। यह सर्वथा अनुचित बात है ।

लोकतंत्रात्मक देश में संसद को सरकार के कृत्यों का निरीक्षण करने और उन की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त होता है। संसद् सर्वोत्तम प्राधिकरण है। मैं चाहती हूं कि वाद-विवाद का उतर देते समय मंत्री महोदय इस बात पर प्रकाश डालें कि हमारे प्रतिरक्षा वचन क्या हैं और यह कि यदि कल चोन भूतान, नेपाल अथवा सिक्किम पर हमला कर दे तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या हम इन सीमान्त क्षेत्रों अथवा राज्यों की रक्षा करेंगे ?

मेरा अनुरोध है कि प्रतिरक्षा संबंधी योजना का व्योरा भी संसद् को उपलब्ध किया जाय। यदि संसद के सम्मुख इन बातों को नहीं बताया जायगा तो देश किस प्रकार इतनी बड़ी चुनौती के तैयार होंगे। कई प्रकार की गलतफहमियां फैल रही है जिन से सार्वजनिक नैतिकता को आघात पहुंच रहा है। लोकतंत्रात्मक देश में संसद पर अविश्वास करना देश के लिये घातक सिद्ध हो सकता है।

यही अविश्वास की भावना सैन्य बलों में फैल रही है। इससे कमांडरों के प्राधिकार को आघात पहुंचा है और उनको नेतृत्व योग्यता कम हो गई है। सेवाओं में एकता और अनुशासन की भावना कम होने की सम्भावना है। यदि सेना में अनुशासन नहीं रहता तो हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते। मैं राजनीतिज्ञों के भय को समझती हूं कि कहीं कोई साहसी कमांडर स्थिति का लाभ उठा कर देश की बागडोर तथा राजनैतिक सत्ता अपने हाथ में न ले ले। (**अन्तर्बाधा**) मुझे खेद है कि इस बात का केवल प्रचार ही नहीं हुआ बल्कि अभिपाशक रूप में इसे परिचालित किया गया है। इस से सेना की नैतिकता पर चोट लगी है क्योंकि इस से कमांडर की योग्यता और उस के नेतृत्व पर आघात लगा है। मैं पूरे उत्तरदायित्व से कह सकती हूं कि प्रैस में इस प्रवृति के लक्षण मिलते है।

सेना में एकता और अनुशासन और कर्तव्यपालन की भावना होनी आवश्यक है, परन्तु आज हम देखते हैं कि नियुक्तियां पदोन्नतियां और पुरस्कार तक पक्षपातपूर्ण ढंग से दिये जाते हैं। यदि इन त्रुटियों को तुरन्त समाप्त नहीं किया गया तो सैन्य बलों का नैतिक पत्तन हो जायगा।

चीनी आक्रमण के समय जो तथ्य हमारे सामने आये, जो गलतियां अथवा त्रुटियां देखने में आईं, जिन के कारण हमें पीछे भी हटना पड़ा, उन के लिए उतरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में ढील नहीं होनी चाहिए ।

वायु बल में अभ्यर्थी के चुनाव के पश्चात् विभिन्न प्रक्रमों पर बहुत फिजूलखर्ची होती है। सेवा की शर्तों में उचित रूपभेद करने चाहिएं। दुर्घटनाओं के लिये बीमे का उपबन्ध होना चाहए। सेना में ४०, ४५ वर्ष को आयु के पश्चात किसी सैनिक का फिर से किसी अन्य रोजगार पर लगना कठिन है। इस ओर भो ध्यान दिया जाय चाहिए। इसके साथ साथ अनिवार्य बोमा योजना का होना आवश्यक है ताकि सैनिक को बीबी बच्चों के लिये भो उपबन्ध हो सके। यदि इस प्रकार के सुधार लाये जायेंगे तो भर्ती में वृद्धि होगी और लोगों के लिये सेना का आकर्षण बढ़ेगा ।

†**श्री मानवेन्द्र शाह** (टिहरी गढ़वाल) : प्रतिरक्षा संबंधी हमारी दो प्रकार की आवश्यकतायें है ; एक वह जिन के द्वारा वर्तमान संकट का सामना किया जाना है और दूसरी वह जो दीर्घकालीन हैं और जिन के द्वारा भविष्य में सामने आने वाली स्थिति का सामना करने के लिये योग्यता प्राप्त करनी है। आज हम सेना की संख्या बढ़ा रहे है, प्रशिक्षण की प्रणाली में रूप भेद कर रहे हैं और शस्त्रों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मानवेन्द्र शाह]

में सुधार ला रहे हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि यह सब केवल वर्तमान संकट के लिये ही उपयुक्त है। दीर्घकालीन पक्ष की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री रंगा के इस कथन का मैं समर्थन नहीं करता कि प्रतिरक्षा कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आर्थिक विकास भी उतना ही आवश्यक विषय है। यदि देश की रक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास नहीं होगा तो जिस खतरे से हम बचना चाहते हैं वही खतरा हमारे लिये विद्यमान रहेगा।

देश की रक्षा के लिये वैज्ञानिक पद्धित से एक दीर्घकालीन नीति तैयार करने की आवश्यकता है। हमने बहुत से संगठन स्थापित किये हैं परन्तु बहुत से प्रदर्शकारी हैं, कुछ के पास उचित शक्तियां नहीं है, और कुछ में समन्वय का अभाव है। यदि एक सुसंगठित संगठन होता तो गतवर्ष जिस स्थिति का हमें सामना करना पड़ा वह न करना पड़ता। तब हम चीन की विस्तारवादी नीति तिब्बत की महत्ता, लद्दाख में नमक की झीलों की महत्ता, नेफा की महत्ता, आदि का समय पर अन्दाजा लगा सकते थे। और ऐसे संगठन द्वारा संकट का सामना करने के लिये प्रभावकारी कदम उठाये जा सकते थे।

हमें केवल चीन द्वारा तिब्बत पर आधिपत्य स्थापित करके, सिंक्यिांग तक सड़क बना कर और हमारे अन्य क्षेत्रों पर कब्जा करके प्राप्त किये लाभों को ही निष्फल नहीं बनाना है बल्कि अपने भावी आक्रमणकर्ता की राजनीतिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं को भी आंकना है। और ऐसा करने के लिये मैं सुझाव देता हूं कि सैनिकों; अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों की एक विशेष अधिकार प्राप्त निकाय स्थापित किया जायें।

मैं चाहता हूं कि सरकार द्वारा आश्वासन दिया जाये कि अब जब कि हमारे पास आधुनिक हथियार हैं और हम पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करने संबंधी प्रशिक्षण भी सेना को दे रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि भविष्य में नेफा आदि पहाड़ी क्षेत्रों की रक्षा न की जा सके।

मैं यह भी सुझाव दूंगा कि युद्ध के क्षेत्रों से आवश्यकता पड़ने पर नागरिकों को यदि निकालना पड़े तो उस के लिये भी पहले से योजना तैयार होनी चाहिए।

जम्मू तथा काश्मीर स्काऊट्स के ढांचे पर गढ़वाल स्काऊट्स आरम्भ किया जाना चाहिए ताकि स्थानीय नागरिकों को पूर्ण उपयोग युद्ध के समय किया जा सके। एक तो ऐसा गढ़वाल स्काऊट्स युद्ध के समय सेना का काम देगा और दूसरे छापामार युद्ध में उस का प्रयोग किया जा सकेगा।

करारोपण का सैन्य बलों पर बहुत कुप्रभाव हुआ है। अप्रैल १९६० के निरीक्षण के अनुसार एक मेजर की तनख्वाह १२०० रुपये प्रति मास थी— द्वितीय निरीक्षण के फलस्वरूप यह १३०० रुपये हो गयी – परन्तु वर्तमान परीक्षण के फलस्वरूप यह घट कर ११०० रुपये अथवा ११५० रुपये रह गई है। इस प्रकार उन की तनख्वाह बहुत कम रह गई है। इस लिए मैं सुझाव दूंगा कि या तो वर्तमान करारोपण का सैनिकों पर प्रभाव न पड़ने दिया जाय या उन्हें अधिक भत्ता दिया जाय।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाडा): आज देश की रक्षा का भार केवल सेना पर ही नहीं है बल्कि समस्त देशवासियों पर है। हमें प्रसन्नता है कि इस सकट काल में इस मंत्रालय के योग्य और कुशल मंत्री हैं।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में उचित सूचना नहीं दी गई है। विशेषकर पूर्व की गलतियां का वर्णन नहीं है। मैं यह नहीं चाहता कि हम पूर्व की चर्चा करके किसी को दण्डित करें, परन्तु यह आवश्यक है कि गत वर्ष जिस प्रकार हमें पीछे हटना पड़ा उसेको पूरी जांच होनी चाहिए ताकि हम भविष्य में ऐसी गलती न कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस समय प्रतिरक्षा मंत्रालय दो जांचों में संलग्न है एक तस्कर के संबंध में है। मुझे आशा है कि यह जांच यथा-संभव शीघ्र पूरी हो जायेगी। प्रतिरक्षा मंत्रालय ने वादा किया है कि सेना को गत वर्ष जो पीछे हटना पड़ा उस बारे में भी जांच होगी। परन्तु इस बारे में जो निर्देश-पद दिये गये हैं वह बहुत सीमित हैं। यह जांच केवल नेफा के कामेंग क्षेत्र के लिये ही होगी। परन्तु लद्दाख को क्यों छोड़ दिया गया है। लद्दाख में भेजा गया ५० प्रतिशत सामान बड़ा नहीं पहुचा है, क्या इस बारे में जांच नहीं होगी? जब श्रीलंका जाने से पूर्व हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि उन्होंने चीनी आक्रमणकर्ताओं को खदेड़ने के आदेश दे दिये थे तो क्या ऐसे आदेश सेना की जानकारी और परामर्श के पश्चात् दिये गये थे? और उस समय वायु सेना का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? यह आवश्यक है कि हम सब बातों की जांच हो। देश यह जानने को उत्सूक है कि उत्तरदायित्व किस पर था। यदि आप ने केपलब्ध सामान को सेना को उचित प्रयोग नहीं करने दिया तो आप सेना पर आरोप नहीं लगा सेकते। इस बारे में पूरी पूरी जांच की जानी चाहिये और तथ्यों को देश के सामने रखना चाहिये।

ऐसी शिकायत भी की गई थी कि प्रतिरक्षा मंत्रालय को धन नहीं दिया गया यह असत्य था। १९५९ के बाद से निरन्तर इस मंत्रालय को अधिकाधिक रुपया दिया गया था। कन्तु इसका पूर्ण प्रपयोग नहीं किया गया यदि हमें आवश्यक सामग्री नहीं मिल पायी। प्रत्येक लोक हित की आड़ में छिपाई गई। प्रधान मंत्री और भी भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री का पक्ष लिया।

इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस प्रश्न की समुचित रुप से जांच की जाये। जब तक हमें पराजय के कारण विदित नहीं होंगे तब तक हम भविष्य के लिये योजना नहीं बना सेकेंगे।

जहां तक जानकारी को गुप्त रखे जाने का प्रश्न है, प्रजातन्त्र में यदि संसद् पर भी विश्वास नहीं किया गया तो वह पूर्ण सहयोग किस प्रकार प्राप्त कर सेकेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सैनिक संक्रिया संबंधी बातें हमें बतायेंगे। हम देश की प्रतिरक्षा के लिये यथासंभव धन देने के लिये भी प्रस्तुत हैं। किन्तु साथ ही हम आंकड़ों और संबंधित जानकारी से अवगत कराना चाहिये, जिससे हमें स्थिति का ज्ञान हो सेके और संसद् को इस बात का भी विश्वास कराना चाहिये कि आप सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। जब शत्रु को भी हमारी सेना इत्यादि के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाती है तो क्या कारण है कि संसद् को उससे वंचित रखा जाये। क्या संसद् हमारे उत्पादन अथवा अन्य बातों के बारे में नहीं जान सकती? यदि यह संभव नहीं तो प्रतिरक्षा संसदीय समिति क्यों नहीं गठित की जाती जिसको विश्वास में लेकर माननीय प्रतिरक्षा मंत्री सारी जानकारी दे सेकें?

आजकल हमारी युद्ध नीति क्या है। क्या अब भी हम बचाव के युद्ध में ही विश्वास करते हैं? जिन चौकियों पर हमारी सेना थी वहां भी हम एक तटस्थ शांति प्रिय राष्ट्र के रुप में यही चाहते थे कि वे गोली न चलायें। वास्तव में जब तक हमें वर्तमान युद्धनीति का पता न चल जाये तब तक हम सेमुचित तैयारी नहीं कर सकते।

हम अपनी प्रतिरक्षा को संगठित और मजबूत कर रहे हैं। किन्तु क्या हमने यह निश्चित कर लिया है कि हम किस के प्रति प्रतिरक्षा के लिये तैयारी कर रहे हैं? क्या हमने यह निश्चय कर लिया है कि हम मुख्यतया चीन के विरुद्ध उत्तरी सीमा पर ही तैयारियां कर रहे हैं?

हमने चीन द्वारा खाली किये गये प्रदेश में अभी तक सेना नहीं भेजी। इसका अर्थ यह है कि वह प्रदेश अभी तक समस्त व्यावहारिक दष्टिकोण से चीन के ही पास है। प्रधान मंत्री ने एक बार कहा था कि आक्रमक को सुविधा रहती है। क्या हम फिर उसे यह सूविधा देना चाहते हैं? प्रतिरक्षा तैयारियों पर चर्चा करने से पूर्व इन बातों पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है।

[श्री मानवेन्द्र शाह]

सेला में हमारी पराजय इसलिये नहीं हुई कि हमारे पास शस्त्र उपलब्ध नहीं थे। उस समय तक हमारे काफी शस्त्र आ चुके थे। हार का कारण तो दोष युक्त नीति थी। मुझे मालूम हुआ है कि सैनिक गुप्तचरों ने उत्तरी सीमा पर चीनी सेना के एकत्रित होने का समाचार पहले ही दे दिया था। फिर भी हम कुछ नहीं कर सके। इसका कारण यह था कि हमारे जनरलों को उस क्षेत्र में बढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी। क्या उस पक्षपात के प्रश्न से भी इसका संबंध था जो इसे सभा में उठाया गया था ?

दूसरा प्रश्न अल्प-कालीन और दीर्घकालीन कार्यक्रमों का है। हमें अपने पैरों पर खड़े होने में, कम से कम २ वर्ष लगेंगे ; किन्तु यह आवश्यक नहीं कि चीन २ वर्षों तक प्रतीक्षा करता रहे। इसलिये यह अल्प-कालीन कार्यक्रम भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

यह कहा गया है कि छोटे अस्त्रों में हम शीघ्र ही आत्मनिर्भर हो जायेंगे ; किन्तु इसमें कितना समय लगेगा ? यह कहा गया है कि हमारे शस्त्रास्त्र कारखानों के उपकरण बहुत पुराने हैं। क्या उन्हें बदले बिना उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा ?

छः डिवीजन सेना तैयार करने की एक योजना है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। पिछले युद्ध में यहां पर १.५ माह में दुगुनी सेना कर दी गई थी। उस समय ब्रिटिश राज्य था। अब हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते ?

इस संबंध में वायु सेना का प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके सबंध में हमें ठोस योजनाओं की जानकारी दी जानी आवश्यक है। क्या हम अपनी आवश्यकता के सारे सामान का निर्माण स्वयं कर सकेंगे ? कितने सामान के लिये हम दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा ? उसको यहां लाने का कार्य किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकेगा ? यह बात विदित होने से देश में सब को सन्तोष प्राप्त होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि हवाई सुरक्षा के बारे में चल रही वार्ता शीघ्र ही समाप्त होनी चाहिये। एक के बाद एक मिशन आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिरक्षा मंत्री के ऊपर कई अधिकारी हैं। क्योंकि प्रतिरक्षा मंत्री के पास पर्याप्त कर्मचारी होते हुये भी परामर्श के लिये अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यहीं नहीं लोग समझौतावार्ता के लिये बाहर भी जाते हैं। संभवतः प्रतिरक्षा मंत्रालय का कार्य वैदेशिक कार्य मत्रालय और प्रतिरक्षा मंत्रालय में बटा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि एक नागरिक गुरिल्ला वायुसेना का संगठन किया जायेगा। इसे कार्य के लिये एक मुख्य मंत्री को अमरीका भेजा गया था। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भारत में केवल वही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कुछ पूर्व अनुभव है ; क्योंकि वह विमान चालक रह चुके हैं। उन्हें वैदेशिक कार्य मंत्रालय में एक कमरा भी दिया जा चुका है। क्या इसका यह अर्थ है कि नागरिक गुरिल्ला सेना का सारा उत्तरदायित्व प्रधान मंत्री का है ? क्या उन्होंने अमरीका जाने से पूर्व प्रतिरक्षा मंत्री से इस विषय में चर्चा की थी। मैं यह नहीं समझता कि जो बातें सदन को नहीं बताई गई वह एक मुख्य मंत्री को जो सभा के सदस्य नहीं हैं, कैसे बताई गई ? प्रधान मंत्री ने कहा था कि वह उतना ही जानते हैं जितना हम लोग और उन्होंने वायु सेनापति से इस विषय में चर्चा की थी। क्या ऐसा अवसर हम में से किसी सदस्य को मिल सकता है ? कई सदस्य ऐसे हैं जिन्हें उड्डयन और प्रतिरक्षा का काफी अनुभव है। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता और किसी के सेवा की अत्यन्त आवश्यकता है तो उन्हें यहां लाकर मन्त्री क्यों नहीं बना दिया जाता ? यदि श्री चव्हाण का कार्य संतोषजनक नहीं है तो किसी अन्य को उनके स्थान पर नियुक्त क्यों नहीं कर दिया जाता ? कुछ भी क्यों न हो हमें उनकी स्थिति का ज्ञान होना चाहिये। हम यह जानना चाहते हैं कि उनकी स्थिति और उत्तरदायित्व क्या हैं।

समन्वय का प्रश्न भी काफी उलझा हुआ है। प्रतिरक्षा मंत्रालय को बहुत थोड़े काल में शस्त्रों का उत्पादन करना होता है। और इस विषय में उसे सदन को उत्तर देना पड़ता है। किन्तु समन्वय मंत्रालय

का क्या उत्तरदायित्व है ? क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय इसका कार्य नहीं कर सकता था ? क्या समन्वय मंत्रालय ने कुछ कार्य किया है अथवा अपनी उलझनें और भी बढ़ा दी हैं ? हमने कुछ दिनों पूर्व पत्र में पढ़ा था कि इस मंत्रालय ने १०० उद्योगपतियों का एक सम्मेलन बुलाया है । यह आवश्यक था । किन्तु इसके परिणाम का कुछ पता नहीं चल सका । अब सारा मंत्रालय अमरीका जा रहा है, जैसे यहां का सारा कार्य समाप्त हो चुका है ।

युद्ध काल में संभरण का कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । हाल ही में हुये सीमांत युद्ध में हम सैनिकों को पर्याप्त सामान नहीं पहुंचा सके । यदि श्री कृष्णमाचारी को पृथक संभरण मंत्रालय का कार्य सौंपा जाता तब भी कोई औचित्य था । किन्तु इसके विपरीत उन्हें छोटे से छोटे कार्य सौंपा गया है, और फलस्वरूप इसने समन्वय के स्थान पर और उलझने पैदा हो गई हैं । मेरा विचार है कि असैनिक क्षेत्र और प्रतिरक्षा क्षेत्र के उद्योगों का संगठन इस प्रकार किया जाये कि दोनों में पूर्ण समन्वय हो । अन्यथा इस विभाजित उत्तरदायित्व से यदि एक से प्रश्न पूछा जाता है तो वह उत्तर को दूसरे पर डाल देगा । यदि प्रधान मंत्री को श्री चव्हाण की योग्यता पर पूरा भरोसा नहीं है तो वह किसी और को पूर्ण उत्तरदायित्व सौंप दे । हम चाहते हैं कि एक के हाथ में ही यह कार्य रहे जिससे कि किसी असफलता के लिए उसे दोषी ठहराया जा सके ।

सहायक वायु सेना स्क्वैड्रन जिसकी संख्या ६० है, और जिसे आक्रमण के बाद नियमित वायु सेना में ले लिया गया था अपने सदस्यों को परिवार निवृत्ति वेतन आदि दिया करता था जो कि अब बंद कर दिया गया है । दुर्घटनाएं होती रहती हैं यदि कुछ लोगों की मृत्यु भी होती रहती है । इस कोष में भी हजारों रूपये एकत्रित हो चुके हैं । यदि ऐसा है तो वह रूपया उन्हें दिया जाना चाहिये । मैं समझता हूं इस विषय पर विचार किया जाये ।

हमें ८००० अधिकारियों की आवश्यकता है जब कि हमारे पास कुल ३५०० अधिकारी हैं । सेना में कोई वास्तविक आकर्षण न होने से भरती का कार्य संतोष जनक रूप से नहीं चल रहा । केवल वही लोग जो निर्धन हैं और तंगी में जीवन व्यतीत करते हैं सेना में भरती होने के लिये आते हैं । धनिकवर्ग के लोग सेना में नहीं आते ।

हमें चाहिये कि नेता वर्ग और उच्च स्तर के बच्चों को भी सेना में भरती होने के लिये प्रोत्साहित करें । जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक संतोषजनक मात्रा में भरती के कार्य के लिये समुचित आकर्षण और वातावरण तैयार नहीं किया जा सकेगा ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर): मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । मैं माननीय मंत्री को ऐसा बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं जो देश की आवश्यकताओं के अनुकूल है । इस विपत्ति के समय में हमें उन जैसे सुयोग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी ।

हर्ष का विषय है कि सेना मुख्यालय में कुछ परिवर्तन किये गये हैं । प्रतिरक्षा उत्पादन संगठन को पृथक कर दिया गया है जिससे इस पर अधिक ध्यान दिया जा सके कुछ इंजीनियरिंग के विभाग इसको सौंप दिये गये है । यह भी बहुत आवश्यक था ।

कुछ विस्तृत ब्यौरों पर विचार विनिमय करने के लिये हमारे तीनों सेनापतियों की बैठक हुई थी । मेरी इच्छा है कि नीति निश्चित करने का कार्य सेनापति ही करें ।

इस वर्ष के बजट में वास्तविकता का अत्यन्त ध्यान रखा गया है । इसके लिये मैं मंत्री महोदय और सरकार को ही नहीं अपितु सारी सभा को बधाई देता हूं जिन्होंने कई बार सरकार पर इस बात के लिये बल दिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्यामलाल सर्राफ]

प्रतिरक्षा पर विचार करते समय हमें भरती का कार्य, प्रशिक्षण, उपकरण आदि के विषय में भी बहुत सी बातें सोचनी पड़ती हैं। सेना को उचित रूप से संगठित करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है। अभी की वर्तमान कार्य प्रणाली बहुत संतोषजनक है। सैनिक स्कूल, सहायक छात्र सेना दल और दूसरे संगठनों का कार्य बहुत संतोषजनक है।

चीनी आक्रमण के कारण हम उसके साथ अघोषित युद्ध की स्थिति में हैं। हमें अपनी तैयारी इस प्रकार करनी है कि न केवल हम आक्रमण को रोक सकने ही में समर्थ हो सकें अपितु हमारी सेना आधुनिकतम तरीके से सुसज्जित हो। गत काल में हमारी यह धारणा थी कि हिमाचल हमारा सीमांत प्रहरी है। उस समय देश की रक्षा के लिये यह आवश्यक था कि हम शत्रु को पहाड़ों के इस पार नहीं आने देते। मैदान में उतर आने के बाद उनको रोकना कठिन था। इसी कारणवश विगत काल में कई बार शत्रु भारत भूमि को विजित कर सके। किन्तु अब हिमालय हमारा रक्षक नहीं रहा।

काश्मीर में युद्ध करते समय हमारी सेना को वर्फीले स्थानों में युद्ध करने का प्रशिक्षण दिया गया था। किन्तु यह संतोषप्रद नहीं था। इस ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

लद्दाख और दूसरे क्षेत्रों में हुये युद्ध में, जो बहुत ऊंचाई पर स्थित है, हमारे हथियार और गाड़ियां इत्यादि ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सके क्योंकि उनमें दिया जाने वाला तेल इत्यादि जम गया था। अब मुझे पता चला है कि सेना ने इस ओर काफी प्रगति कर ली है और वहां तक हमारे अस्त्र इत्यादि बिना किसी कठिनाई के कार्य कर सकते हैं।

श्री रंगा ने जम्मू तथा काश्मीर मिलिशिया का उल्लेख किया था। १९४७ में जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था तब हमने प्रथम बार इस मिलिशिया का संगठन किया था। इसके सैनिक उस समय अधिकतर अप्रशिक्षित थे। इसके पश्चात् इसे अर्ध-सैना के रूप में विकसित किया गया। वहां की सरकार ने कई बार कहा कि इसे सेना का दर्जा दिया जाना चाहिये। वहां की मिलिशिया ने लद्दाख के युद्ध में बहुत वीरता से लड़ा है। प्रतिरक्षा मंत्री ने उन्हें लद्दाख 'स्कर्ट्स' में परिवर्तित करके उन्हें सेना का दर्जा दिया है। मेरा निवेदन है कि शेष मिलिशिया को भी यह दर्जा दिया जाये। आसाम राइफल्स के वीरतापूर्ण कृत्यों की भी सराहना करता हूं।

मुझे प्रसन्नता है कि सेना की सब कमांडों को सब आवश्यक शक्तियों प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। अब वह ऊपर के आदेशों की प्रतीक्षा किये बिना ही शीघ्रता से निर्णय ले सकते हैं। लोक सहायक सेना और प्रादेशिक सेना भी सराहनीय कार्य कर रही हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इन दोनों संगठनों की ओर अधिक ध्यान देंगे।

सीमांत क्षेत्रों में सड़कें बनायी जा रही हैं। इस विषय में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। इस प्रदेश में हवाई अड्डों के विकास पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है।

मेरे माननीय मित्र श्री रंगा आदि ने कहा था कि हमारी तैयारियां अपूर्ण हैं। मेरा विचार है कि अब समय आ गया है कि हम उचित योजना बनायें और सशस्त्र सेना और अस्त्र-शस्त्र आदि की ओर समुचित ध्यान दें। इन आवश्यकताओं को देखते हुये ९०० करोड़ रूपये का बजट अधिक नहीं है।

दूसरे राष्ट्र हमारी सहायता कर रहे हैं। उस सहायता का उपयोग हमें प्रतिरक्षा उद्योग का उचित संगठन करने में करना चाहिये।

हमें विदेशों से वैज्ञानिक और तकनीकी व्यक्तियों को बुलाने में संकोच नहीं करना चाहिये। निजी उद्योगों में भी उद्योगों को संगठित करने की आवश्यकता है।

हमें गत बातों की जांच नहीं करनी चाहिये। हमारे सैनिक नेफा में वीरता से लड़े हैं। उन्हें इस जांच में अन्तर्ग्रस्त करने की आवश्यकता है। इस संकट के समय यह कार्य सेना का हौसला कम कर देगा।

श्री रामेश्वरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे समय का क्या हुआ....

उपाध्यक्ष महोदय : कल मिलेगा।

श्री रामेश्वरानन्द सब बोल चुके हैं। कांग्रेस वाले बोल चुके हैं, स्वतंत्र पार्टी वाले बोल चुके हैं, हमारे द्विवेदी जी बोल चुके हैं, जन संघ का समय कहां गया? क्या यह ऐसे ही चला जाएगा?

उपाध्यक्ष महोदय : कांग्रेस वालों ने उतना समय नहीं लिया है जितना अपोजीशन वालों ने ले लिया है। इस वास्ते पहले कांग्रेस वालों को मौका मिलना चाहिये।

श्री रामेश्वरानन्द : इस कुर्सी पर बैठ कर आप को न्याय देना चाहिये।

श्री रघुनाथ सिंह : यह कुर्सी हमेशा न्याय करती है।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : देश में लोगों का नैतिक साहस बनाए रखना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है।

चीनियों के साथ युद्ध में जवानों ने जो कुर्बानी की वे प्रशंसा के पात्र हैं। देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए प्रत्येक भारतीय स्त्री और पुरुष तैयार हैं। नैतिक साहस बनाए रखना चाहिए।

जनता ने भी काफी कुर्बानी की है। हथियारों के कारखानों में कर्मचारियों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की है और बहुत सराहनीय काम किया है।

चीनियों का मुकाबला करने के लिए संख्या के साथ साथ सैनिकों की योग्यता को बढ़ाना चाहिए। अच्छे सैनिक होने चाहिएं। सैनिकों और अधिकारियों का प्रशिक्षण अच्छा होना चाहिए।

सरकार को ऐसी प्रतिरक्षा नीति अपनानी चाहिए कि देश के लोगों का नैतिक साहस बना रहे। लोगों में घबराहट नहीं होनी चाहिए।

हमें सरकार और गैर सरकारी अनुसन्धान से लाभ उठाना चाहिए। इस सम्बन्ध में अन्य देशों से भी सहायता ले लेनी चाहिए।

संसद सदस्यों को वैज्ञानिक समिति की कार्यवाही में अधिक दिलचस्पी लेनी चाहिए।

सब से पहले लोगों को सेना में भर्ती होने की कोशिश करनी चाहिए। बाद में अन्य कार्यक्रमों में।

हाल में जो भर्ती हो रही है उसमें अधिकतम लोगों को डाक्टरी परीक्षा में निकाल दिया जाता है। इससे पता चलता है कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जनसाधारण के स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि कई नवयुवकों को अंग्रेज़ी कम आने के कारण भी भर्ती नहीं किया गया है। यह बहुत खेद की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

निचले स्तर पर जो तकनीकी कर्मचारी काम करते हैं उन में से कईयों को द्वितीय महायुद्ध में नौकरी में लिया गया और उन्होंने १० या १५ वर्ष की सेवा की है। दस वर्ष पूर्व उनका

[डा० मेलकोटे]

वेतन, वेतन क्रम के शिखर पर पहुंच गया। उनके लिए आगे भी कोई तरक्की का मौका नहीं है। उनमें बहुत असन्तोष है। इस समय नैतिक उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। जन संख्या के हर भाग को संतुष्ट रखना चाहिए।

हथियार बनाने वाले कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों पर राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करनी चाहिए।

हथियार बनाने वाले कारखानों में झगड़ों के बातचीत द्वारा निबटाने के लिए कोई प्रबन्ध होना चाहिए।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री दी० चं० शर्मा।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि आपका समय देने का नियम क्या है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। मेहरबानी करके बैठ जाइए।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं आपका आर्डर माने लेता हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि समय देने का नियम क्या है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** आपको कल समय मिलेगा, आज नहीं मिलेगा।

श्री रामेश्वरानन्द : आपने जो हमारी पार्टी को समय नहीं दिया इसका कारण क्या है ? क्या यह आप का न्याय है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** आप बैठ जाइये ?

श्री रामेश्वरानन्द : आर्डर ही आर्डर है या न्याय भी है कुछ ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** कल मिलेगा समय आप को।

श्री रामेश्वरानन्द : हमें बुलाया जाना चाहिये। मैं कोई भिक्षा नहीं मांग रहा हूं। यह क्या बात है ? हमें कोई अधिकार है या नहीं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं कोई भिक्षा नहीं मांग रहा हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं। हमें पार्टियों की दृष्टि से समय मिलना चाहिये। कांग्रेसियों को तो वही कहना है जो कि एक सदस्य ने कह दिया। लेकिन हमको समय दिया जाना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** विरोधी दल के सदस्यों ने एक घण्टा और ४९ मिनट लिए हैं जबकि कांग्रेस दल ने ११।२ घण्टा लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : वह समय आपने दिया । क्यों आपने इस में सब अपोजीशन पार्टियों को समय नहीं दिया ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । कृपया आप बैठ जाइये ।

श्री रामेश्वरानन्द : वह समय आपने दिया है, मैंने तो नहीं दिया ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं आप की बात समझ रहा हूं लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं उस का जवाब दीजिये । आप गद्दी पर बैठे हुए हैं और सब को समय बांट रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, आप को आज समय नहीं मिलेगा, कल मिलेगा ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं पूछता हूं कि आप समय उचित रूप से क्यों नहीं बांटते ?

एक माननीय सदस्य : कल मिल जायेगा ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं कोई भिक्षा मांग रहा हूं ? हमारे साथ क्यों अन्याय किया जाता है ?

श्री ओंकार लाल बेरवा : (कोटा) : कायदे की बात यह है कि पहले तो कम्यूनिस्ट पार्टी का नम्बर है, दूसरे स्थान पर स्वतन्त्र पार्टी आती है और तीसरा नम्बर हमारा है इस लिये हम को भी समय मिलना चाहिये था ।

एक माननीय सदस्य : सबको मिलेगा कल ।

श्री रामेश्वरानन्द : कैसे कल मिलेगा ? यह कोई न्याय है ? मैं जानना चाहता हूं कि टाइम देने का नियम क्या है ?

श्री ओंकार लाल बेरवा: हमारा नाम आज ही पुकारना चाहिये था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** कांग्रेस सदस्य लगभग ३५० हैं जब कि विरोधी दलों के लगभग १०० । मुझे सभी दलों में बराबर से समय बांटना है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : लेकिन हमारा प्रतिनिधि नहीं बुलाया गया ।

श्री त्यागी : टाइम जो तकसीम करते हैं तो यह देख कर करते हैं कि अपोजीशन के मेम्बरों को और जो पार्टी इन पावर है उसके मेम्बरों को बराबर मौका मिलता रहे ।

श्री रामेश्वरानन्द : हमको तो समय मिलना चाहिए था । वह दो-दो बार बोल चुके और हम एक बार भी नहीं बोले ।

एक माननीय सदस्य : हमारा लीडर होता तो क्या न बोलता ?'

श्री त्यागी : स्पीकर साहब ने ऐसा इन्तिजाम कर दिया है कि . . .

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय को कुछ आता नहीं, आप हमको समझाने लगे हैं । मैं पूछता हूं कि हमारा नम्बर आना चाहिए था या नहीं ।

†**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख** (परभणी) : "अध्यक्ष महोदय को कुछ आता नहीं" शब्दों को वाद विवाद में से निकाल दिया जाए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : इस वर्ष का बजट चीनियों पर विजय पाने के लिए है। ऐसे बजट कुछ और वर्षों के लिए भी होंगे, क्योंकि जब तक चीनी अतिक्रमण दूर नहीं हो जाता हम स्वाधीनता का सांस नहीं ले सकते ।

हमें केवल चीन का ही मुकाबला नहीं करना है, परन्तु और भी खतरे हैं । पाकिस्तान भी अपने अड्डे बना रहा है । हमें इसकी ओर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए । सारे देश को इस उत्तरी और अन्य सीमाओं पर खतरे का मुकाबला करने के लिए सारी जनता को जगाना है ।

चीनियों की सेना, वायु सेना, और नौसेना काफी बड़ी है । प्रतिरक्षा का पहला नियम यह है कि हमें शत्रु को समझना चाहिए, उसकी शक्ति को समझना चाहिए। तभी हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी योजना सफल हो सकती है । चीन युद्ध-प्रिय राष्ट्र है । उन्होंने अपनी अर्थ व्यवस्था इस काम में लगा रखी है । हमें अपनी सेना शक्ति बढ़ाने के लिए अन्य देशों से सहायता लेनी चाहिए ।

चीन का मुकाबला करने के लिए अनिवार्य भर्ती की जानी चाहिए । प्रतिरक्षा मंत्री को अनिवार्य भर्ती के लिए ढंग निकालने चाहिए । जब तक हम अनिवार्य भर्ती नहीं करेंगे तब तक चीन से खतरा बना रहेगा ।

नेफा में हमें जिस प्रकार से पराजित होना पड़ा, उसकी सभी आलोचना करते हैं, परन्तु लद्दाख में जिस बहादुरी से हमारी सेना ने चीनियों को रोके रखा वह भी प्रशंसनीय है । उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए । नेफा में हमारी पराजय और लद्दाख में हमारी सफलता की जांच की जानी चाहिए ताकि स्थिति ठीक रूप से समझ में आ जाए ।

नेफा में जानकारी से जो निष्कर्ष निकले वह सारी सेना पर लागू करना चाहिए । उस से सारी सेना की स्थिति का पता लगना चाहिए । हमें इस बात का भी पता करना चाहिए कि क्या हमारी सेना को ठीक प्रशिक्षण मिलता है ; उनके पास पर्याप्त हथियार है; क्या हमारा नियन्त्रण का ढंग बिल्कुल ठीक है, क्या हमारी सेना की शारीरिक शक्ति लड़ाई का भार सहन करने योग्य है, क्या हमारे कमांडरों अपने जवानों पर प्रभाव डाल सकते हैं ।

हमारे हथियारों के कारखानों में हथियारों के बनने का काम इसी तेजी से चलते रहना चाहिए क्योंकि हमारी स्थिति का सुधार अपने बनाए गए हथियारों से होगा । हथियारों के आयात से भी काम नहीं चलेगा ।

विदेशी भाषाओं के स्कूल का विस्तार होना चाहिए ताकि देश के विदेशी भाषा सीखने वाले लोग इससे लाभ उठा सकें ।

जवानों के लिए पेंनशम की दरें बढ़ाई जानी चाहिएं ।

हमें अणु शक्ति का युद्ध के लिए प्रयोग करना चाहिए । चीन अणु बम्ब बना रहा है । हमें भी अणु शक्ति का अपनी युद्ध सम्बन्धी शक्ति को मजबूत करने के लिए प्रयोग करना चाहिए ।

हिमालय प्रदेश सम्बन्धी अध्ययन के विद्यालय होने चाहिए । हमें युद्ध की तैयारी के लिए पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए । चीत के अतिरिक्त हमारा एक और शत्रु है । उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : ओं आब्रह्मन ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसि जायताम्, अपराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्यो अति व्याधि महाराथो जायताम् ।

दोग्ध्रो धेनुर्बोढा अनड्वान् आशु सप्ति पुरंधी योषा जिष्णुरथेष्ठा सेमेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामनः परजन्योवर्षयु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम् ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने बड़े संघर्ष के पश्चात् मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि जब लोक सभा में कोई व्यवस्था नहीं है तो लोक सभा से बाहर व्यवस्था रह सकेगी, मुझे ऐसी आशा नहीं है.......

श्री शिवनारायण (बांसी) : औन ए प्वाएंट औफ़ आर्डर, सर । लोकसभा में व्यवस्था के लिए सभा अभी स्वामी जी ने जो कहा वह ग़लत बात कही है और उसेको उन्हें वापिस लेना चाहिए ।

श्री रामेश्वरानन्द : सेना के बजट के सम्बन्ध में मेरी अपनी व्यक्तिगत राय यह है कि इसके लिए जितना भी अधिक धन दिया जाय उतना अच्छा है । इसका कारण यह है कि हम केवल पुलिस और सेना के सहारे जीते हैं । और जितने विभाग हैं, उनको जनता चला सकती है । गवर्नमेंट का काम यह नहीं है कि वह कल-कारखाने खोले और अपने सिर पर इस प्रकार की विपत्तियां ले । ये काम जनता के होते हैं और जनता इन को गवर्नमेंट से भी अच्छी तरह से चला सकती है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा के लिए अधिक से अधिक धन दिया जाये, यह मेरी व्यक्तिगत राय है । परन्तु इस सरकार को तो कितना ही दे दो, इस सरकार ने तो उसको बस ऐसे ही खो देना है, जैसे कि रेत में पानी बरसा दिया । पूर्व के उसके जितने कार्य हैं, उनसे यह बात सिद्ध है ।

अंग्रेज़ों के वक्त में यह भारतवर्ष चारों तरफ़ से सुरक्षित और अखण्ड था । दक्षिण की तरफ़ से समुद्र से कोई हमला नहीं कर सकता था । पश्चिम की तरफ़ कबायली लोगों को अंग्रेज़ों ने कुछ ले देकर अपने काबू में रखा था । पूर्व की तरफ भी नेपाल, ब्रह्मा आदि को कुछ ले दे कर अपने साथ रखा, और उत्तर की तरफ़ उन्होंने तिब्बत को स्वतन्त्र स्टेट ही नहीं रखा, बल्कि तिब्बत में ग्यात्से और यातुंग इन दो जगहों पर भारत की सेना रहती थी । वहां पर हमारे सत्रह रेस्ट हाऊस थे । डाक तार और टेलीफोन विभाग आदि सब भारत सरकार के हाथ में थे । वहां की जितनी मंडियां थीं, उन पर भारत के व्यापारियों का आधिपत्य था । यहां तक कि यदि भारतीय व्यापारियों का तिब्बत के व्यापारियों के साथ कभी कोई विवाद होता था, तो वहां की सरकार उसका निर्णय नहीं दिया करती थी, बल्कि वहां पर स्थित भारत के विशेष अधिकारी, रेजीडेंट, उस का निर्णय दिया करते थे । और हिमालय से लगता हुआ तिब्बत का जितना भूभाग था, उस सबका शासन भारत सरकार के ऊपर था । अंग्रेज़ों के वक्त भी यही स्थिति थी और उनके पश्चात् १९४९ तक भारत सरकार को वे सब अधिकार प्राप्त थे, जो कि अंग्रेज़ों के वक्त मिले हुए थे ।

इसके विपरीत तिब्बत में चीन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, चीन का कोई नामो-निशान नहीं था । हम भी उन्हीं दिनों स्वतन्त्र हुए थे और चीनी भी उन्हीं दिनों स्वतन्त्र हुए थे । अन्तर केवल इतना था कि चीनी यह समझते थे कि हमने जो स्वतन्त्रता ली है, वह गोलियों से ली है और खून बहा कर ली है । हमारे देश के शासक यह समझते थे कि हमने जो स्वतन्त्रता ली है, वह केवल चर्खा कात कात कर ली है, हमने इसके लिए कुछ कुर्बानियां नहीं कीं । किन्तु ऐसी बात नहीं है । इस आज़ादी के लिए हमारे हजारों नवयुवक क्रान्तिकारी फांसी की डोरी को चूम गए और सुभाष बोस जैसे बहादुरों और सेना के बहादुरों की कृपा से हम को आजादी मिली थी । अगर कभी चर्खा कातने से आजादी मिलती, तो बुढ़ियाएं कभी की महाराज्ञी बन गई होतीं । इस स्थिति में इस सरकार पर देश की सुरक्षा का बहुत बड़ा भार है ।

[श्री रामेश्वरानन्द]

इस सरकार ने १९५४ में चीनियों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया । उनके साथ मित्रता का हाथ बढ़ाने से हमको कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि तिब्बत में जो कुछ भी अधिकार हमको प्राप्त थे, चीन को अपना भाई बना कर सरकार ने उन सबको छोड़ दिया और वहां से अपनी सेना आदि लेकर और डाक-तार तथा टेलीफोन के सामान को कौड़ियों के भाव बेच कर चली आई । चली आई, सो चली आई, लेकिन अपने देश की सीमाओं की रक्षा तो उसको करनी चाहिए थी । १९४७ से लेकर १९५९ तक अपने देश की सीमाओं की रक्षा की ओर इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । अगर मैं भूल नहीं करता, तो जून, १९५४ को चाउ-एन लाई दिल्ली आए और यहां पर पंचशील पर हस्ताक्षर भी हो गए । उसके जाते ही जुलाई मास में ही चीनियों ने उत्तर प्रदेश के बाराहोती स्थान पर कब्जा कर लिया, जबकि उस समझौते की स्याही भी नहीं सूखी थी । उस समय से सरकार ने क्या किया ? मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने कुछ नहीं किया । उसने लोक-सभा के बहुत मोटे कागज़ पर बहुत गहरी स्याही से लिख कर चीन को एक विरोध-पत्र ज़रूर भेजा । लेकिन चीनियों ने उस को उठा कर अंगीठी में जला कर अपनी अंगीठी गर्म कर ली । इसके सिवा उसका और कोई प्रभाव नहीं हुआ ।

इसके पश्चात् १९५५-५६ में चीनियों ने स्पीती क्षेत्र, खुरनाक किले और अन्य कई क्षेत्रों पर कब्ज़ा कर लिया । यहां तक कि अक्साईचिन में सिक्यांग से लेकर, जो कि कबायलियों का स्थान है तिब्बत तक एक सौ मील लम्बी सड़क भी उन्होंने भारत के क्षेत्र में से तैयार कर ली । उस वक्त भी सरकार की आंखें नहीं खुलीं । वह देखती रही । मैं उस वक्त लोकसभा में नहीं था । जब लोकसभा में सदस्यों को इसका पता चला तो यहां गड़बड़ हुई सरकार से पूछा गया कि क्या चीनी भारत के क्षेत्र पर अधिकार करते आ रहे हैं । इस पर पंडित नेहरु ने, हमारे माननीय प्रधान मन्त्री ने, अपना पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया कि वह तो बेकार जगह पड़ी है, जिस पर चीनी लोग कब्ज़ा कर रहे हैं । यदि मैं होता, तो मैं पूछता कि चीनी क्यों बेकार पड़ी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं, उनके दिमाग़ में क्या ख़राबी है । अब तो सरकार को पता लग गया होगा कि वह कितनी बेकार जगह थी । उस पर अधिकार करके उन्होंने सड़क बनाई, पीछे की चौकियों से उन्हें मिलाया उसी बेकार पड़ी जगह के कारण उन्होंने इस देश पर हमला किया ।

एक देहाती व्यक्ति था । उसकी छाती पर से कीड़ा निकल गई थी जब कीड़ी निकली, तो उसने बड़े जोर से हाथ मारा । पास बैठे हुए लोगों ने पूछा, "क्या करते हो ?" उसने कहा, कीड़ी को मारा है । उन्होंने पूछा, "कीड़ी को क्यों मारते हो ?" उसने उत्तर दिया, "वह मेरी छाती पर से जा रही थी ।" उन लोगों ने कहा, "अरे भले आदमी, तुम्हारी छाती पर से कीड़ी ही तो जाती है, हाथी तो नहीं जाता था ।" उसने कहा, "जब कीड़ी का रास्ता बन जायगा, तो फिर हाथी भी निकला करेंगे ।" अगर सर-कार ने उसी समय चीन को मज़ा चखा दिया होता, अगर उसका मुंह रगड़ दिया होता, तो मैं विश्वास दिला सकता हूं कि उसको शक्ति न होती कि वह इस देश पर हमला कर सकता । इस सरकार ने स्वयं रास्ता बनाया और चीनियों ने उसका लाभ उठा कर हम पर हमला कर दिया ।

इस दिल्ली का कूड़ा-कबाड़ किस की कमर पर लदता है ? मैं देखता हूं कि गधों की कमर पर लदता है । क्या आप ने कभी शेरों की कमर पर भी लदते देखा है ? क्या शेरों के चार पैर नहीं हैं ? क्या शेरों की कमर नहीं है ? लेकिन शेरों की कमर पर कभी कुछ नहीं लदता है । क्या बात है ? इसका कारण यह है कि शेर कभी बोझ को सहन नहीं करते हैं और बेचारे गधे सहन करते जा रहे हैं, इस लिए उनकी कमर पर लदता है । जो व्यक्ति सहता चला जाता है, वह यह कहे कि मैं संसार में जीवित रह सकूं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं । सहनशीलता अच्छी है, लेकिन यदि कोई हमारे अधिकारों का अतिक्रमण करे, तो उसका प्रतिरोध करना आवश्यक है ।

इसलिए यह आवश्यक है कि सेना के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट बनाया जाये और उसके लिए बढ़िया से बढ़िया हथियार प्राप्त किये जायें। हमारे यहां तो वेद में लिखा है :

धन्वनागा धन्वना आर्जाम् जयेम्,
धन्वना तीव्राः समदो जयेम् ।
धनुः धनुशत्रोरपकामम् कृणोति,
धन्वना सर्वाप्रदिशो जयेम ।

वे बुद्धिहीन हैं, जो कहते हैं कि हम हाथ जोड़ कर राज्य चला लेंगे। हाथ जोड़ कर राज्य चलता होता, तो ये साधु ब्राह्मण कभी के चलाते रहते। हाथ जोड़ने से कभी सरकार या शासन नहीं चलता है। जब कोई किसी तरह नहीं मानता, तो वह शासन के डंडे से मानता है। इसलिए हमारे यहां लिखा है कि शस्त्रास्त्रों के द्वारा बड़ी से बड़ी भूमि प्राप्त की जाती है, धन प्राप्त किया जाता है, शस्त्रास्त्रों से शत्रुओं की बड़ी बड़ी तीव्र सेना को कुचला जा सकता है, उनके मद को उतारा जा सकता है और हमारे राजा महाराजा उतारते रहे हैं। मुझे कोई इतिहासज्ञ बता दे कि क्या सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर महाभारत पर्यन्त भारत पर कभी कोई हमला हुआ। भारत पर हमला होने का कारण केवल यह है कि जब से यहां पर शान्तिवादी लोग आए, तब से यहां पर हमले होने लगे। जब से हमारे देश में शान्तिवादी बौद्धों का समय आया, तब से इस देश पर लोग हमला करते रहे। इस सरकार ने भी उसी रास्ते को अपनाया है, उस रास्ते को विसारा नहीं है। इसलिए हमारे देश पर हमला हुआ है।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए]

जब तक यह सरकार उस रास्ते पर चलती रहेगी, तब तक वह इस देश की सुरक्षा नहीं कर सकेगी। आज हम को बढ़िया से बढ़िया हथियार चाहिएं और हथियारों के साथ साथ उनके चलाने वाले भी चाहिए। सरकार ने हथियार लेकर रख लिए हैं, लेकिन उनको चलाया नहीं जा सकता है।

मैं अपने प्रतिरक्षा मन्त्री का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि दिल्ली बहुत पुरानी नहीं है। आप से पहले, एक हज़ार वर्ष पहले, एक चौहान पहले भी आया हुआ था और अब आप भी आए हैं। उस चौहान का भी इतिहास में नाम है और उनका भी इतिहास में नाम रहेगा। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वह अपना इतिहास किस रूप में देखना चाहते हैं। वह हमारी भावनाओं को समझते होंगे। कैसे लोग शासन कर सकते हैं ? वेद में एक मंत्र आया है :

वक्ष्यंतीव वेदा गनिगन्तीकर्णम् प्रियं सखायं परिषस्वजान : ।
योषेव शिंगते वितताधिधन्वम् जाइयंम् समने पारयन्ति ।।

जिस तरह से नव विवाहिता वधू अपने प्रिय पति के पास आ कर उसके कान में प्रेम भरे शब्दों से बात करती है और उन शब्दों को सुन कर जैसे उस पति को उससे अत्यन्त प्यार होता है, उसी प्रकार से यह धनुषवाण की प्रत्यंचा डोरी का शब्द जो कान के पास टंकार करता है, उससे जिसको प्यार होता है, वह युद्ध को जीत सकता है। मुझे लज्जा आई जिस समय मैंने प्रधान मंत्री जी का ८ नवम्बर और १४ नवम्बर का भाषण पढ़ा। हमने उस समय भी उन का ध्यान दिलाया था कि यह जो वह कह रहे हैं ठीक नहीं है। उस वक्त उन्होंने जबाब दिया कि लड़ाई की बात नहीं करनी चाहिये, इससे लाखों और करोड़ों आदमी मर जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि, श्रीमान् जी आप हैं किस लिए। लड़ाई तो आपने करनी नहीं है, तो फिर आप देश की सुरक्षा किस तरह से कर सकेंगे ? मैं अपने देश के नेताओं के भाषण पढ़ता हूं तो मुझे दुःख होता है। वे कहते हैं कि हम अपने देश की एक इंच भूमि भी

[श्री रामेश्वरानन्द]

किसी विदेशी को पास नहीं रहने देंगे । उसके साथ ही साथ वे कहते हैं कि हम लड़ेंगे नहीं । मैं पूछना चाहता हूं कि तब फिर आप टोपियां फैंक फैंक कर शत्रु को मारेंगे या चर्खा कात कर उनका मुकाबला करेंगे या सांस्कृतिक कार्यक्रम उनको दिखा कर उनसे भूमि वापिस लेंगे, किस तरह से आप अपनी भूमि को उनके कब्जे से छुड़ायेंगे, यह तो आप बतायें ।

मेरे ये शब्द आपको चुभने नहीं चाहियें । अगर ये शब्द आपको चुभ जायें और आप चीन को निकाल बाहर कर दें तो भी मैं समझूंगा कि जिस प्रयोजन से मैं इन का प्रयोग कर रहा हूं, वह सिद्ध हो गया है । मैं इन शब्दों को आपका अपमान करने के लिए प्रयोग नहीं कर रहा हूं । यह मेरा कतई संशा नहीं है । मेरे हृदय में आपके प्रति बहुत श्रद्धा है । मगर सरकार को यदि शस्त्रास्त्रों से प्यार नहीं होगा तो सरकार कभी भी शासन सूत्र को सम्भाल कर नहीं रख सकेगी ।

भारत की स्थिति क्या है ? भारत की कितनी सीमा चीन के साथ आज हमारी लगती है और कितनी पहले लगती थी, इसको आप देखें । १९४९ से प्रथम हमारी एक इंच भूमि भी चीन के साथ नहीं लगती थी, एक इंच सीमा भी चीन की सीमाओं के साथ नहीं लगती थी । चीन ने जब तिब्बत पर अधिकार किया उसके पश्चात से अब हमारी २६४० मील लम्बी सीमा चीन की सीमा के साथ लगती है । वहां पर न तो कोई सड़कें है, न कोई मकान बने हुये हैं । कहीं तो चौदह हजार फुट ऊंची पहाड़ की चोटियां हैं और दूसरी तरफ इतनी ही गहरी खंदकें बनी हुई हैं । ऐसी स्थिति किसने बनाई है ? आपने ही तो यह स्थिति बनाई है, आपकी शान्ति ने ही तो यह स्थिति बनाई है, आपके पंचशील के नारे ने ही तो यह स्थिति बनाई है । अगर ऐसा न होता तो यह स्थिति बन नहीं सकती थी । अब जब यह बन चुकी है, इसमें से निकलने का कोई रास्ता आप को ही बताना होगा और इस विपत्ति में से हम को आप को ही निकालना होगा । किस प्रकार से इस में से निकाला जा सकता है, यह मैं पहले ही बता चुका हूं ।

आप देखें कि कैसे कैसे लोग आपने रखे हुए हैं । आपने कृष्ण मैनन साहब को रखा हुआ था, जनरल कौल को रखा हुआ था, उन जैसों को जनरल बना कर आपने रखा हुआ था । मैं कहना चाहता हूं कि ये मालदारों के लड़के जिन को आप बाल्यकाल से ही अफसर बना कर सेना में भेज देते हैं इनमें और नीचे वाले सैनिकों में बड़ा भारी मतभेद रहता है । अभी तक मैं इस को जानता हूं क्योंकि मेरे साथ इनके बड़े संबंध हैं । पहले जितने अफसर बनते थे वह नीचे से बनते थे । अफसर एक सिपाही बनता था । उसको बड़े से बड़ा और ऊंचे से ऊंचा पद दिया जाता था । वह अंग्रेजों का वक्त था । अब आप ऊपर से ही लेने लगे हैं सीधे अफसर लेने लगे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि ये अफसर महाशय जब तक नीचे से नहीं चलेंगे तब तक अफसर महाशय अफसरी नहीं कर सकेंगे, ये क्या जानें कि किस तरह से लड़ा जाता है । कौल महाशय कहां बैठे थे जब लड़ाई चल रही थी । मुझे जहां तक पता है हमारे सैनिकों के पास उस समय पूरे हथियार तक नहीं थे और उन की तादाद भी बहुत थोड़ी थी । उन्होंने कहा भी कि हमारे पास पूरे हथियार नहीं हैं, चीन का हमला होने वाला है, कृपा करके या तो हमें बढ़िया किस्म के हथियार दिये जायें या और सेनायें भेजी जायें जो हथियारों से सुसज्जित हों । ऐसा न करके महाशय जनरल ने कहा कि तुम को लड़ना होगा । मैं मानता हूं कि भारत के लड़ाके जवान बड़े बहादुर हैं, बड़े वीर हैं, बड़े शूरवीर हैं, और उनकी शूरवीरता के आगे हमारा श्रद्धा से माथा झुकता है । लेकिन बिना हथियारों के किस तरह से वे लड़ते और लड़ा भी किस तरह से जा सकता था ? प्रधान मंत्री जी के १४ नवम्बर के वक्तव्य से भी यह चीज़ स्पष्ट है । उन्होंने स्वीकार किया है कि हमारे पास ऐसे हथियार नहीं थे, जैसे चीनियों के पास थे, हमारे पास दूरमारक हथियार नहीं थे, आटोमैटिक राइफल्ज नहीं थीं । मैं मानता हूं कि ये हथियार आप के पास नहीं थे । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप इन पिछले पंद्रह

वर्षों में करते क्या रहे ? क्यों नहीं आपने आटोमैटिक हथियारों से अपनी फौज को लैस किया ? लोग तो खेती करते रहे, जो दूकानदार थे, वे दूकानदारी करते रहे, दूसरे लोग अपने अपने कामों में लगे रहे, आप क्या करते रहे, यह मैं आप से पूछना चाहता हूं ? आपका क्या उत्तरदायित्व था ? आपने अपने उत्तरदायित्व को निभाया क्यों नहीं ? यह कह देने मात्र से काम नहीं चल सकता है कि चीनियों के पास बहुत अधिक फौज थी, उन्होंने बहुत अधिक आदमी अपने मोर्चे पर झोंक दिये । आपने क्यों नहीं फौज को तादाद बढ़ाई, सड़कें क्यों नहीं बनाईं, क्यों साधन तैयार नहीं किए ?

बुढ़ापा कुछ अजीब किस्म का होता है । बुढ़ापे में स्वभावतः लोग सन्यास में चले जाते हैं । हमारे पुराने रीति रिवाज भी यही थे । हमारा रिवाज कहता है कि गृहस्थी आदमी को पचास वर्ष की आयु के पश्चात वाणप्रस्थ में और उसके बाद सन्यास में चले जाना चाहिये . . .

श्री भगवत झा आजाद (भागलपुर) : आप यहां क्यों हैं ?

श्री रामेश्वरानन्द : मैं ब्रह्मचर्य से आया हूं । यह नियम गृहस्थियों के लिए है । यह मुझ पर लागू नहीं होता है ।

सभापति महोदय : अब आप खत्म करें ।

श्री रामेश्वरानन्द : जब शर्मा जी बोल रहे थे तो आपने छः बार घंटी बजाई थी और तब वह बैठे थे । मेरे भाषण के दौरान में यह पहली ही घंटी है । अभी पांच घंटियां और बजनी हैं ।

आप किस तरह से देश की रक्षा कर सकते हैं, इस को आप सोचें । आप नवयुवकों को आगे लायें, बूढ़े बूढ़े महानुभाव चले जायें । आपने मानसरोवर और कैलाश पर्वत तो चीनियों को दे दिये और वहां तो अब आप जा नहीं सकते हैं । लेकिन इधर जो तपोवन है वहां जा कर भी माला जपी जा सकती है । नवयुवकों को आगे आने दो । लेकिन आज स्थिति यह है कि जो नेतागण हैं उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनके सिवा और कोई आगे न आने पाए । यह देश के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं है । प्रधान मंत्री जी आ गए हैं । उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई उन्होंने अपना उत्तराधिकारी तैयार किया है ? उनके पश्चात इस काम को कौन सम्भालेगा ।

एक माननीय सदस्य : कोई नहीं है ?

श्री रामेश्वरानन्द : क्यों आप तैयार किसी को नहीं कर पाये हैं । हर एक व्यक्ति इस बात की कोशिश करता है कि उसके बाद कोई काम को सम्भालने के लिए तैयार हो ।

जहां तक कृष्णा मेनन साहब का और जनरल कौल का सम्बंध है, मैं आप से सच कहता हूं कि जब तक इनको लाल किले के सामने खड़ा करके दण्ड नहीं देंगे तब तक नीचे सेना की बहादुरी नहीं बढ़ेगी यह मैंने पहले भी आप से कहा था और आज फिर कहता हूं । जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे कोई आगे नहीं आ सकेगा । इस ओर आप ध्यान दीजिये ।

हमारे सर्राफ साहब कह रहे थे कि अभी हमारे पास काफी शक्ति नहीं है और दस पंद्रह वर्ष में हम शक्ति जुटा लेंगे । पंद्रह वर्ष जो बीत गए हैं, उनमें आपने नहीं जुटाई तो आगे क्या जुटायेंगे । पिछले पंद्रह वर्षों में हमारी जो हालत बनी है, उस को हम सब जानते हैं । अगर आप उसी तरह से अगले पंद्रह वर्ष भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो मैं पूछना चाहता हूं हमारा क्या बनेगा ?

तिब्बत के साथ आपके जो संबंध थे वे टूट चुके हैं । चीन के साथ हमारी बड़ी लम्बी चौड़ी सीमा लगती है और हम जानते हैं कि वह हमारा दुश्मन है । पाकिस्तान को हमने बिजली दी, कोयला

[श्री रामेश्वरानन्द]

दिया और अब पानी दिया जा रहा है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने और महात्मा गांधी जी ने भी करोड़ों और अरबों रुपया पाकिस्तान को दिलवाया है। क्या पाकिस्तान की सद्भावना आपके साथ मौजूद है? आप नेपाल को देख लें। क्या वह आपके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है . . .

सभापति महोदय : एक दो मिनट में खत्म कर दीजिये।

श्री रामेश्वरानन्द : पांच मिनट में जरूर कर दूंगा। इतना समय तो दे दीजिये।

ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि किसी भी राज्य के ऊपर छः विपत्तियां आती हैं। इन छः विपतियों में अन्तिम विपत्ति यानी पड़ौसी राज्यों का बिगड़ जाना, पड़ौसियों का विरोधी बन जाना, यह राज्य के नाश का अन्तिम समय होता है राजनीति में। मैं पूछना चाहता हूं कि पड़ौसी देशों में से किस के साथ आपके सम्बन्ध अच्छे हैं? कौन पड़ौसी देश है जो आपके साथ प्यार करता है? हमने नीति शास्त्र में पढ़ा है कि सबल पड़ौसी राज्य अगर कोई है तो उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। आपने पड़ौसी चीन का विश्वास क्यों किया? उसकी आबादी ७५ करोड़ है और हमारी ४० करोड़। वह समझता है कि अगर अपनी ४० करोड़ आबादी भी खत्म कर के भारत पर कब्जा कर लिया जाय तो भी अच्छा होगा। अगर वह हम पर कब्जा न भी कर पाये और उस के सैनिक मारे भी जायें तब भी कोई बड़ी बात नहीं है और यह भी उसके हित में ही होगा। कम से कम उस की आबादी घटेगी तो सही और जब आबादी घटेगी तो उसका खर्चा भी घटेगा। जनता को भर पेट खाना नहीं मिलता है, वह तो उसको मिल सकेगा।

अब आप अन्दर की स्थिति ले लें। उस के संबंध में मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में करोड़ों चीन के एजेन्ट बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के एजेन्ट रूपी काले नाग आज भी दूध पी रहे हैं। आप बतलाय कि चीन के अन्दर भारत के कितने हितैषी आपने बनाये हैं? पाकिस्तान के अन्दर आप के हितैषी कितने बैठे हैं? आप के देश के लोगों की जो स्थिति है, पार्टियों की जो स्थिति है वह आप से छिपी नहीं है। मैं आप से प्रबल शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भी हो सके, भारत की सुरक्षा करो। जैसा महात्मा गांधी हम को देश दे कर गये हैं, आप भी अपनी औलाद को उसी तरह दे कर जाइये। नहीं तो यह कलंक आप के माथे से कभी नहीं जा सकेगा। आने वाली पीढ़ियां आप को किस बुरी तरह से कोसा करेंगी यह आप लोगों से छिपा नहीं है। इस लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी तरह की ढील न करें। देश में ढील नहीं है।

मैंने देखा है कि हमारे यहां की जनता में कोई कमी नहीं है। जनता के लोग सेना में भरती होने के लिये हजारों की संख्या में नित्य आते हैं। लेकिन आप के लेने वाले हजारों में से गिने चुने दो चार लोगों को लेते हैं। आप ने देखा होगा कि जनता के लोग दान भी बहुत देते रहे हैं और आप ने लिया। यह दुर्भाग्य देश का है और शासकों का कि वह उसे स्थिर नहीं रख सके। आप टैक्स लगा कर बैठ गये। टैक्स से ज्यादा तो जनता आप को दान के रूप में दे सकती थी, लेकिन आप ने किसी प्रकार से जनता से सहयोग नहीं किया है?

मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे भाव को समझें। इस समय भारत की सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर आप केवल यह सोचें कि आप कानून पास कर लें, तो कानून तो आप पास कर लेंगे जरूर, लेकिन उससे देश की सुरक्षा हो यह अनिवार्य बात नहीं है।

†**सभापति महोदय** : प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कल जारी रहेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

†**श्री हमराज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से जो ३ अप्रैल १९६३ को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है।"

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से जो ३ अप्रैल १९६३ को सभा में प्रस्तुत किया गया था सपमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

समुद्री बीमा विधेयक

†**सभापति महोदय :** सभा श्री दी० चं० शर्मा द्वारा २२ मार्च, १९६३ को पेश किये गये निम्न-लिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि समुद्री बीमा संबंधी विधि को संहिताबद्ध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाए ।"

श्री द्वारका दास मंत्री अपना भाषण जारी रखे ।

श्री द्वारका दास मंत्री (भीर) : सभापति महोदय, मैं मैरीन इंश्योरेन्स बिल में जो कमियां रह गई हैं उनका जिक्र कर रहा था। आज कल शिपिंग ट्रांस्पोर्ट बढ़ता जा रहा है और जितनी ज्यादा चीज उसमें आती हैं उतनी ही असुरक्षा बढ़ती जा रही है उन के मामले में। ऐसे समय चाहे कारपोरेशन कहिये, इंडिविजुअल कहिये या कम्पनी कहिये, जो कि इंश्योरेन्स का काम करने वाली हैं, उनके संबंध में रजिस्ट्रेशन के कुछ तांत्रिक नियम बनाने की आवश्यकता रहती है। वह जो नियम हैं या जो कायदे कानून हैं वह इस बिल में कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। वे भी इसमें सम्मिलित कर दिये जाते तो अधिक अच्छा रहता।

इसके साथ साथ, जैसा कहा गया है, अभी भी कम्पनियां अपने ऊपर इतना बोझ नहीं उठा सकती हैं। इस लिये इंश्योरेन्स सिस्टम बहुत कुछ अमल में आता है। मगर मैं देखता हूं कि इस बिल में रि-इंश्योरेंस का कहीं उल्लेख नहीं है। यह एक लैकुना रह जायेगा। रिइंश्योरेन्स के संबंध में कुछ न कुछ सेक्शन इसमें रखने आवश्यक हैं। अगर कोई घटनाएं घट जायें तो उस के रिइंश्योरेन्स करने के संबंध में स्पष्टीकरण न रहने से बहुत कुछ यह बिल असफल रहेगा।

इसमें ब्रोकरेज का भी कहीं उल्लेख नहीं है। यह कहा जाता है कि हमारे पास यह सिस्टम नहीं रहेगा। किन्तु कम्पनियां अब भी रिइंश्योरेन्स करती जा रही हैं और वहां पर यह सिस्टम लागू है। वहां पर इस पर अमल हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री द्वारका दास मंत्री]

इसलिये अगर हम इस बिल में यह दो चार चीजें अधिक स्पष्ट रूप से रख दें तो कोई हानि नहीं है। भले ही इससे कुछ सेक्शन्स और बढ़ जायेंगे लेकिन लैकुना रह जाने की या जो अस्पष्ट चीज रह जाने की बात है, वह तो कम से कम दूर हो जायेगी। यह सुझाव देते हुए मैं चाहूंगा कि यह जो बिल है उसको चैप्टरवाइज भी बना दिया जाय, उस का अरेंजमेंट चैप्टरवाइज कर दिया जाय और इन संशोधनों के साथ इस बिल को हाउस के सामने रक्खा जाय।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : यह बड़ी अच्छी बात है कि राज्य सभा के गैर-सरकारी सदस्य का यह विधेयक सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है, क्योंकि सामान्यतः गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को स्वीकार नहीं किया जाता।

इस विधेयक में प्रवर समिति ने बहुत अच्छे परिवर्तन किये हैं।

यह बात समझ में नहीं आती कि समुद्री बीमा विधेयक सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बाद लाया जाना चाहिए था। यदि यह देश के लिये लाभदायक है तो इसे देश के लिए इस्तेमाल करना चाहिये।

श्री घोष ने कहा है कि इस अवसर पर व्यापार के इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में विदेशी शोषण को समाप्त कर देना चाहिये था। यह इस बीमा को केवल भारतीयों तक सीमित करने से किया जा सकता है। इसे केवल भारतीयों तक सीमित करने के लिए देश में संसाधन भी हैं। समुद्री बीमा की उन्नति से पूर्व हमें भारतीय नौवहम का भी निर्माण करना चाहिये। इस संबंध में जो कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है वह सराहनीय है। हमें काफी प्रगति करनी चाहिये। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री ब० कु० दास** (कंटाई) : समुद्री बीमा के रास्ते में सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न भी होना चाहिये।

जितनी जल्दी यह विधेयक पारित हो जाए अच्छा है। इस से नौबहन उद्योग के विस्तार में सहायता मिलेगी।

पिछले वर्षों में जहाजों द्वारा माल के ले जाये जाने में भी वृद्धि हुई है। आशा है कि हम तृतीय योजना का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे।

सब पहलुओं से इस विधेयक को पारित करना उचित है।

†**सभापति महोदय** : श्री शर्मा के उत्तर से पूर्व सभा सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहेगी। क्या मंत्री महोदय कुछ बोलेंगे ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : हर्ष है कि यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित हो कर अब लोक सभा के सामने है। हम ने सिद्धांत रूप से इसे मान लिया है और प्रवर समिति ने एक मत से इस विधेयक पर निर्णय किया। प्रवर समिति ने "नौपरिवहन" (शिपिंग) की परिभाषा और अन्य विभिन्न बातों म सुधार किया है।

में श्री भार्गव और श्री शर्मा को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक के लिए समय और शक्ति का प्रयोग किया है। आशा है कि सारी सभा विधेयक को स्वीकार कर लेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): विधेयक का यह रूप वित्त मंत्रालय, विधि मंत्रालय के परामर्श से बना। इसे दो अध्यायों में बांटने और इसमें पुनर्बीमा की व्यवस्था करने की आवश्यकता भी हैं।

यह हर्ष है कि गैर सरकारी सदस्य का विधेयक सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसका श्रेय वित्त मंत्रालय को प्राप्त है।

विमति टिप्पण में बड़े अच्छे नियम का जिक्र है, परन्तु उसे अभी अपनाया नहीं जा सकता। इस विचार का स्वागत है कि भारत में नौपरिवहन उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाए।

नौपरिवहन में प्रगति अधिक होनी चाहिये। पत्तनों के बनाने में भी तेजी होनी चाहिए। यह बड़े हर्ष की बात है कि सरकार बड़े और छोटे पत्तनों के विकास की ओर ध्यान दे रही है।

समुद्र से संबंधित सभी मामलों में खतरे को कम करने के लिए इस विधेयक से काफी सहायता मिलेगी।

यह विधेयक बड़े उचित समय पर लाया गया है। इस समय हम नौपरिवहन पत्तनों और जहाज चलाने वालों के प्रशिक्षण में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इस विधेयक से यह पता चलता है कि सरकार इस मामले में कितनी दिलचस्पी लेती है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं उन समस्त मित्रों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया है। और सदन से सिफारिश करता हूं कि वह इस विधेयक को पारित कर दें। मैं पुरःस्थापित करता हूं।

†उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :—

"कि समुद्री बीमा संबंधी विधि को संहिताबद्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†उपाध्यक्ष महोदय: अब खंडवार चर्चा होगी। संशोधन कोई नहीं है, मैं सभी संशोधनों को एक साथ प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न यह है :—

"कि खंड दो से ९२ तक, अनुसूची, खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से ९२, अनुसूची, खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिये गये।

†श्री दी० चं० शर्मा: मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

†उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तिरुमल राव** : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं । मेरे विचार में इस बात को देखते हुए कि हमारे नौवहन उद्योग का बड़े पैमाने पर विस्तार और विकास हो रहा है इस विधेयक में जो उपाय बताया गया है वह महत्वपूर्ण बात है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक): मुझे ही नहीं, मेरे विचार में दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को इस बात का हर्ष है कि एक गैर सरकारी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा रहा है । इस विधेयक में सरकार को इसको लागू करने की तिथि घोषित करने का अधिकार दिया गया है । आशा करनी चाहिए कि यह उपाय लागू करने में देरी नहीं करनी चहिए । सरकार को गैर सरकारी विधेयकों के प्रति इसी प्रकार का स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेद १५५-क का रखा जाना और अनुच्छेद १६७ का संशोधन)

†**श्री पालीवाल** (हिंडौन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

इससे पूर्व सदन ने संविधान में संशोधन करने वाले १४ विधेयकों को पारित किया है । संविधान को बनाने वाले उस समय इन परिस्थितियों की कल्पना नहीं कर सके, जो कि आज निर्माण हो रही हैं ।

दो संशोधन विधेयक, जो कि बहुत ही महत्व के हैं अभी सभा के समक्ष लाये जाने हैं । मेरा निवेदन यह है कि गत कुछ वर्षों में हमारे सामान्य जीवन में कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का विकास हुआ है जिससे आम लोगों को बहुत अधिक धक्का लगा है । विखंडन तथा पृथकल की भावना देश भर में किस प्रकार अपना दुष्प्रभाव दिखाती रही है वह तो सब के सामने ही प्रकट है । यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि इससे हमारे राष्ट्रीय जीवन की एकता को भारी खतरा पैदा हो गया है । सारा देश ही इससे चिन्तित है और हमारे नेताओं का ध्यान भी इसकी ओर गया है । इस बढ़ रहे खतरे का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय एकता परिषद् की भी स्थापना की गयी थी । इसी परिषद् द्वारा एक राष्ट्रीय एकता समिति की नियुक्ति भी की गई । इस समिति ने सब सम्भव उपायों पर विचार किया । सभी दृष्टिकोणों का विश्लेषण किया, और इस बात की सिफारिश की कि संविधान के अनुच्छेद १९ में ऐसा संशोधन किया जाय जिससे भारत की अखंडता और सार्वभौमसत्ता बनाये रखने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त हो जाय । इसके अनुसार ही सरकार ने संविधान में संशोधन करने का एक विधेयक प्रस्तुत किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह १६ वां संशोधन विधेयक है, जो कि सदन के सामने हैं। परन्तु जिस ढंग का विधेयक मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, इस प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत करने की सरकार ने अभी जरूरत नहीं समझी मेरे विचार में इससे आज की कठिनाई दूर हो जायेगी।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि एक चिन्ताजनक बात यह है कि हमारे प्रशासन की क्षमता और प्रमाणों में भी भारी गिरावट आ गयी है। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। इस दृष्टि से तो जैसे मैंने कहा कि सरकार को स्वयं ही यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए, परन्तु उन्होंने ऐसा करना ठीक नहीं समझा। इस विधेयक में राष्ट्रपति को विशेष परिस्थिति में यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य के राज्यपाल को कुछ समय के लिए सम्बद्ध राज्य में कुछ काम करने का उत्तरदायित्व डाल दे। इसका यह लाभ होगा कि वह राष्ट्रीय एकता के हितों में तथा साफ और पक्षपात से रहित सरकारी प्रशासन के लिए लाभप्रद मार्ग का अनुसरण कर सके। मुझे इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य है कि सरकार का रुख इस संशोधन विधेयक के प्रति स्वस्थ नहीं है।

एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा ऐसी किसी बात को लाने का मैंने प्रयत्न नहीं किया जो कि संविधान की भावनाओं के विरुद्ध हो। यह शक्ति राष्ट्रपति की होगी कि वह अपने विवेक से यह निश्चय करे कि किसी राज्य में कोई परिस्थिति विशेष विधमान है कि नहीं। राज्य का राज्यपाल तो केवल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रुप में ही उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। वैसे देखा जाय केरल में यह स्थिति दो वर्ष तक रही है।

†**श्रीरघुनाथ सिंह** : श्रीमान् जी, मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक के लिये निर्धारित समय में एक घंटे की वृद्धि की जाय।"

यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोलने के इच्छुक हैं।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : इस विधेयक के अन्तर्गत कुछ मूलभूत समस्यायें हैं अतः माननीय सदस्य को खुल कर बोलने की अनुमति दी जानी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं मामला सदन पर छोड़ता हूं, और श्री रघुनाथ सिंह का प्रस्ताव मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक के लिए निर्धारित समय में एक घंटे की वृद्धि की जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री पालीवाल** : अनुच्छेद १६३ (१) के अन्तर्गत यह सिद्धान्त विद्यमान है कि राज्यपाल अपने विवेक द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इस विधेयक में केवल इतनी ही और अधिक व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है कि किसी अन्य परिस्थिति में भी वह उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। १९५६ में जो सातवां संशोधन संविधान में पारित किया गया था, उसमें भी मूल रूप में दी गयी शक्तियों में वृद्धि की गयी थी।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

केरल में भी लगभग ऐसी ही स्थिति थी। राज्यपाल के प्रतिवेदन में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के उदाहरण दिये गये थे, जिसके आधार पर २८ मास के बाद, काफी

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री पालीवाल]

कठिनाइयों का सामना करते हुए राष्ट्रपति का शासन हुआ। बात यह है कि अनुच्छेद ३५५ के अन्तर्गत अन्तर्देशीय उपद्रव आदि में केन्द्र पर किसी राज्य को रक्षण देने का दायित्व पहले से है तो केन्द्र पर लोगों के लिए राज्य में अच्छे प्रशासन को सुनिश्चित करने का दायित्व भी आता है। किसी भी राज्य में कभी भी असाधारण स्थिति पैदा हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

दो संशोधन हैं, एक श्री सिद्धेश्वर प्रसाद का है और एक श्री काशी राम गुप्त का है। माननीय सदस्य उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं।

†**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** (नालंदा): मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री काशी राम गुप्त** (अलवर): मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री काशी राम गुप्त**: प्रस्तावक महोदय ने जिस साहस के साथ यह विधेयक प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि अन्ततोगत्वा वह इसे वापिस न लें। इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं के सामने लोकतंत्र का वह स्वरूप नहीं था जो कि आज प्रचलित है। अन्यथा वह यह अपेक्षित व्यवस्था उसी समय कर देते। मेरे विचार में जो स्थिति आज विभिन्न राज्यों में चल रही है, उसे देखते हुए, यह विधेयक ठीक दिशा की ओर एक कदम है।

राज्यों में आज जो परिस्थिति विद्यमान है, वह तो निश्चित तौर पर लोक तंत्र को खोखला करने वाली है। न अधिकारी वर्ग ही ठीक ढंग पर काम कर रहे हैं। और न ही जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि ही देश के भविष्य के लिए चिन्तित हैं। विधान मंडलों के सदस्य विधान मंडलों में अपना कर्त्तव्यपालन करने के स्थान पर, दूसरों के लिए कार्यों के सम्पादन में लगे हुए हैं। और तो और न्यायपालिका को भी प्रभावित करने का यत्न किया गया है। सर्वत्र प्रशासन व्यवस्था बहुत ही शिथिल हो गयी है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि हालात बहुत ही खराब हैं। आज देश में आपात की स्थिति चल रही है परन्तु वही गति चल रही है। मेरा निवेदन है कि हमें उपाय की वैधता पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए जितना इस बात पर देना चाहिए कि वस्तु स्थिति में सुधार लाया जाय। यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे पहिले लोक मत संग्रह करने के लिए परिचालित किया जाय। यह विधेयक को आज की विकट स्थिति का मुकाबला करने की अच्छी व्यवस्था है। अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालौर): विधेयक के प्रस्तावक महोदय के लिए मेरे हृदय में श्रद्धा है। अतः में विस्तार की बातें न करके कुछ मुख्य बातों के बारे में ही कुछ कहूंगा। यद्यपि मैं यह स्वीकार करता हू कि प्रस्तावक महोदय ने सारी बातों का विचार करके ही ऐसा किया है, परन्तु मेरा मत यह है कि विधेयक प्रजातंत्र और वर्तमान संविधान की उपेक्षा करता है। मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूं कि कुछ राज्यों में स्थिति ठीक नहीं है वहां कानून को ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि यदि कहीं राज्यों में स्थिति ठीक नहीं और जिम्मेदार लोग अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहे तो इस से यह परिणाम तो नहीं निकाल लेना चाहिए कि हम प्रजातंत्र, प्रजातंत्रीय संस्थाओं तथा अपने पवित्र संविधान के प्रति हमारा विश्वास तथा आस्था ही

---

†मूल अंग्रेजी में

समाप्त हो जाये । यह तो कभी भी नहीं होना चाहिए । वैसे भी आज आम किसी भी देश को देख लें सारे संसार का, इस मामले में एक मत है कि कार्यपालिका के हाथों में बहुत अधिक शक्ति को केन्द्रित नहीं किया जाना चाहिए ।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि देश में विकार है, भ्रष्टाचार है और कुप्रशासन भी है । इन सब से हमें घबरा नहीं जाना चाहिए । ऐसे उपचार भी तो किये जा सकते हैं जो कि प्रजातंत्रीय ढांचे के अनुकूल हों । संसार में कई ऐसे देश हैं, जिन में इग्लैंड भी है, जो इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करने की सोच रहे हैं । स्वीडन में भी "ओम्बिमैन" नाम की एक संस्था इसी प्रकार के लक्ष्यों के लिये कार्य कर रही है । हम भी भारत में इस प्रकार के कुछ ढंग सोच सकते हैं । जहां तक हमारे राज्यों का सम्बंध है हम कुछ ऐसे उपाय सोच सकते हैं । संस्थाओं की स्थापना भी की जा सकती है । ऐसी संस्थायें कुप्रशासन पर वास्तविक नियंत्रण रख सकती हैं । और यह समस्या हल हो सकती है ।

प्रशासन की बुराइयां दूर हों उसके लिए प्रभावशाली कदम उठाये ही जाने चाहिए । परन्तु हमें यह नहीं करना चाहिए कि संविधान में दिये हुए प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धान्त और मूल्य ही बिगड़ जाये, लोगों का विश्वास ही इन सिद्धान्तों पर से उठ जाए । इस दृष्टि से मैं अपने माननीय मित्र से अनुरोध करूंगा कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करें अथवा न करें उन्हें यह विधेयक वापिस ले लेना चाहिए । मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं श्री टीका राम पालीवाल को मुबारकवाद देता हूं कि उन्होंने जनता की दिक्कतों को समझा और ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो इनकन्वीनिएंस हैं उन का ख्याल किया । श्री पालीवाल का सारा जीवन देश की सेवा के लिए गया है और यहां भी आ कर उन्होंने बड़ी सेवा की और इस बिल के लिये मैं उन को फिर मुबारकबाद देता हूं ।

हालांकि उनके दिल में देशभक्ति की भावना है और ऐडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की भावना है, लेकिन जो दिक्कत मेरी अपनी है वह मैं आप से अर्ज करूं कि कांस्टिट्यूशन में बार बार अमेंडमेंट करना कांस्टिट्यूशन को हलका करता है । हमारे लिये कांस्टिट्यूशन मोस्ट सैक्रेड है । मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि अगर जूता पैर में फिट न होता हो तो जूते को सही कराया जाय, पैर को ही न काट दिया जाय । हम को कांस्टिट्यूशन के मुताबिक अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को करना होगा, कांस्टिट्यूशन जिस तरीके से हमें गाइड करता है उसके मुताबिक हम को चलना पड़ेगा ।

सबसे बड़ी दिक्कत हमारी यह है कि राष्ट्रपति जो हमारा है वह इलैक्टिड है, उस को जनता ने चुना है, उसे लेजिस्लेटर्स ने चुना है, लेकिन गवर्नर जो हैं वे गवर्नमेंट आफिशल्स हैं । उन को किसी जनता ने नहीं चुना है । ऐसी हालत में यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जिस राष्ट्रपति को कोटि कोटि जनता का विश्वास प्राप्त है जब वह सुधार नहीं कर सकता तो पेड गवर्नर्स किस तरह से सुधार कर सकते हैं । कांस्टिट्यूशनली यह चीज है कि जब राष्ट्रपति का हमारे हृदय में सम्मान है, करोड़ों जनता का वह नुमाइन्दा है, तो हम को उसके हाथ मजबूत करने चाहियें न कि कमजोर करने चाहियें ।

दूसरी बात यह है कि किसी ऐसे कमिश्नर का ऐप्वाइंट करना जो पार्लियामेंट के मेम्बरों की शिकायतें सुने, यह भी कोई अच्छा नहीं लगता । मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि जब हम अपनी कांस्टिट्यूएंसी में जाते हैं तो हमारी मीटिंगों पर एक एस०डी०ओ०प्रेजाइड करता है। मुझे अपने अन्दर किसी तरह का ख्याल नहीं है, मेरे अन्दर कोई सेल्फ कंसीट नहीं होती है जब मैं जनता से हाथ जोड़ कर वोट मांगता हूं, लेकिन मुझे हंसी आती है कि जहां पर एम० पी० बैठते हैं वहां एस० डी० ओ०

[श्री यशपाल सिंह]

प्रेजाइड करता है। मुझे पता नहीं कि यह कहां तक कांस्टिट्यूशनल है, कहां तक युक्तिसंगत है, कहां तक लाजिकल है, लेकिन जहां पर लाखों लाखों लोंगो के नुमाइन्दे चार चार एम० पी० बैठते हैं उस मीटिंग पर प्रेजाइड करने के लिये एस० डी० ओ०, एस० डी० एम० या इसी तरह का कोई आदमी आ जाता है। एलेक्शन की हालत ऐसी है कि एलेक्शन की अभी तक जनता को ट्रेनिंग नहीं दी गई, जनता ने समझा नहीं कि एलेक्शन किस चीज को कहते हैं। कोई भी जनता को खरीद लेता है। कोई सीमेंट के परमिट दे कर, कोई रुपया बांट कर, कोई शराब पिलाकर या कोई झूठे वादे करके खरीद लेता है। ऐसी हालत में हमें राष्ट्रपति के हाथ मजबूत करने चाहियें न कि कमजोर करने चाहियें।

यहां पर कमिश्नर के अप्वाइंट करने की बात भी कही गई है। मैं श्री माथुर का बड़ा ऋणी हूं, उन का बड़ा आभारी हू, मैं उन्हें अपना गुरु भी मानता हूं और उन की लर्निंग और एजुकेशन से मुझे बड़ा इन्स्पिरेशन मिलता है, लेकिन जिस काम को हमारे मिनिस्टर भी नहीं कर सकते उसे इस तरह के आफिशल्स कैसे कर सकते हैं? हमारे यहां एक मिनिस्टर हैं मिनिस्टर फार पार्लियामेंटरी अफेअर्स, जिन के साथ लाखों जनता का विश्वास है, सद्भावना है, सहयोग है, प्रेम है। जब वह उन दिक्कतों को दूर नहीं कर सके तो एक बाकायदा पेड आफिशल किस तरह से उन दिक्कतों को दूर कर सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है तो हमें मारल एजुकेशन देनी होगी, नैतिक शिक्षा देनी होगी। एक आदमी को अधिकार सौंप देने से, अधिकार बदल देने से या किसी को भेज देने से यह मसला हल नहीं हो सकता है। यह दिक्कतें तभी दूर होंगी जब हम जनतन्त्र की सही स्पिरिट को समझेंगे। दूसरे मुल्कों ने जनतन्त्र को सही स्पिरिट को समझा है। अगर वहां पर देश का प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा हुआ हो और लाइन से टिकट खरीद रहा हो तो जो उस का नम्बर है उसी नम्बर पर उसे टिकट मिलेगा। यह नहीं हो सकता कि कोई बाहर से खुशामद करे कि उन्हें आउट आफ वे या आउट आफ टर्न टिकट इश्यू हो जाय। इस जनतंत्र को समझने के लिये हमें अपने कांस्टिटयूशन के प्रति निष्ठा रखनी पड़ेगी। अपने राष्ट्रपति के अधिकार को ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, उस के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा।

गवर्नर के लिये समाजवादी स्टेट में हजारों दफे कहा गया कि यह सफेद हाथी क्यों बांध रक्खे हैं, यह बेकार क्यों खड़े किये गये हैं, यह करोंड़ो रुपये का खर्च क्यों पैदा कर रक्खा है। गवर्नर्स के लिये इस हाउस में हजारों दफे समाजवादी सदस्यों ने और कांग्रेस में जो समाजवादी एलिमेंट है, उस ने कहा कि इस बेकार के ओहदे को, सफेद हाथी को खत्म किया जाय। जिन को व्हाइट इलिफेंट कहा जाता है उनके हाथों में अधिकार देना अपने संविधान का और भी उपहास करना होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि जिस स्पिरिट में पालीवाल जो ने यह बिल रक्खा है उसके सामने मैं सिरनिगूं हूं, नतमस्तक हूं कि उन्होंने ऐडमिनिस्ट्रेशन की दिक्कतों को देखा और समझा और इस बिल को यहां पेश किया, लेकिन यह तरीका जो है वह मुझे पसन्द नहीं है कि राष्ट्रपति से ले कर अधिकारों को गवर्नरों के हाथ में सौंपा जाय या किसी पेड मनुष्य के हाथों में, जिस को हम बाकायदा नौकरी देते हैं, बाकायदा तन्ख्वाह देते हैं, सौंपा जाय जब कि वह जनता का नुमाइन्दा नहीं है, उस को तो सिर्फ सरकार ऐप्वाइंट करती है।

इन शब्दों के साथ साथ हालांकि मैं श्री पालीवाल की स्पिरिट का बड़ा भारी आदर करता हूं और श्री हरिश्चन्द्र माथुर की भावना का भी बड़ा आदर करता हूं क्योंकि मैं उन को गुरु मानता हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि वह तरीका गलत है। इस तरीके से राष्ट्रपति के अधिकारों को कम न किया जाय, उनके हाथों को कमजोर न किया जाय।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करना चाहता हूं। यह जो बिल है वह एक प्रतिक्रियावादी बिल है, इससे जनतंत्र का विनाश हो रहा है।

एक तो आप यह देखिये कि गवर्नर कैसे चुना जाता है। जिस स्टेट का गवर्नर चुना जाना होता है उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से पूछा जाता है और उस के बाद गवर्नर की बहाली होती है। गवर्नर को चुन लिया गया। अब मान लेते हैं कि साहब स्टेट में काम ठीक से नहीं चलता है। अगर स्टेट में काम ठीक से नहीं चल रहा है तो वह गवर्नर के ठीक करने से ठीक होने वाला नहीं है। स्टेट में लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर में बहुमत पार्टी होती है, वह अपना लीडर चुनती है, वह लीडर अपनी कौंसिल आफ मिनिस्टर्स बनाता है और वह स्टेट का संचालन करता है। अगर उस स्टेट में कोई खराबी है तो उस को गवर्नर कैसे दुरुस्त कर सकता है ? अगर सारी स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स खराब हो जायें तो गवर्नर उन को कैसे दुरुस्त कर सकता है ?

इसी तरह से मान लीजिये कि पार्लियामेंट है। उसमें हम लोग ५०० मेम्बर चुन कर आते हैं, बाकायदा वोट ले कर आते हैं, हमारी जिम्मेदारी है। आप कहें कि राष्ट्रपति हमें दुरुस्त कर दें, तो यह तो सम्भव नहीं है। इस के माने हैं कि एक आदमी के हाथ में आप चाहते हैं कि पूरे अधिकार दे दिये जायें। इस तरह से तो रोज झगडा हुआ करेगा। आपने देखा होगा कि पहले जब हम लोगों को अंग्रेजों ने कुछ अधिकार दिये थे तो उस समय डायर्की सिस्टम था। गवर्नर को सारा अधिकार था। कौंसिल आफ मिनिस्टर्स होती थी। श्री सी० वाई० चिन्तामणि उत्तर प्रदेश में थे तब रोज झगड़ा होता था। नतीजा यह हुआ कि डायर्की के बारे में लोगों ने कहा कि वह फेल हो गई। डायर्की वास्तव में फेल हो गई। आपने इस देश की जनता को अधिकार दिया, बालिग मताधिकार दिया, उन से चुनी जा कर सरकार बनती है, लेकिन अब भी आप को संतोष नहीं है और चाहते हैं कि यहां पर प्रेजिडेंट साहब गवर्नर की बहाली करें और बहाली के बाद उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट आफ इंस्ट्रक्शन दें कि इस तरह से काम कीजिये तब काम होगा। आप को याद होगा कि जिस जमाने में अंग्रेज यहां थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे कहा था तुम अपने गवर्नर रक्खो, वह जा कर इत्मीनान से पार्टियां खायें, लेक्चर दे दें, और गवर्नमेंट हमारे हाथ में दे दो। सरदार पटेल ने जब यह कहा था उसी जमाने में हमारा संविधान बना। जो हमारे बड़े बड़े मेधावी आदमी थे उन्होंने उस संविधान को बनाया और अब हमारे पालीवाल जी को यह सूझ गई कि संविधान प्रेजिडेंट को अधिकार दे दे और प्रेजिडेंट गवर्नर को अधिकार दे दें कि वे रोज नुक्ता चीनी किया करें। जिन आदमियों का चुनाव हुआ उनके ऊपर आपने एक गवर्नर रख दिया। मालूम होता है कि गवर्नर की बुद्धि ब्रह्मा की बुद्धि से भी ज्यादा हो गई। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बिल जो है वह एक दम प्रतिक्रियावादी है और उस को सरकार को मंजूर नहीं करना चाहिये, इस को पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिये।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं प्रान्तीय स्वतंत्रता तथा संघवाद का विरोधी हूं। यह बात बिल्कुल गलत है कि संविधान सभा के सदस्यों ने इस प्रकार की स्थिति की कल्पना ही नहीं की थी। बात यह है कि इस प्रकार की चीजें तो परम्परा से चलती आ रही हैं।

मेरा निवेदन यह है कि इस समय भारत सरकार को देश में प्रान्तीय स्वतंत्रता के कार्य का अनुमान करने के लिए एक आयोग की स्थापना करनी चाहिए। वास्तविकता यह है कि प्रान्तीय स्वतंत्रता से भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद तथा पृथक वाद फैलेगा। इसे समाप्त कर देना चाहिए और इस के स्थान पर संघीय सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। मेरा मत तो यही है कि यह विधेयक एक उचित दिशा की ओर एक कदम है। मैं इस का समर्थन करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस विधेयक को देखा तो मुझे अंग्रेजी राज्य के सन् १९१९ और १९३५ के विधान याद आ गए। उन्ही दोनों में "इंस्ट्रूमेंट आफ इंस्ट्रक्शन" ये शब्द दिए गए हैं। हमारे पालीवाल जी का यह विधेयक कितना भी अच्छा हो लेकिन इंस्ट्रूमेंट आफ वे इन शब्दों को आज १९३६ में फिर अपने विधेयक में ला रहे हैं। उस समय यह इंस्ट्रूमट आफ इंस्ट्रक्शन सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया की तरफ से गवर्नर को आता था, अब इस को प्रेसीडेंट साहब देंगे। लेकिन अगर इस विधेयक को पालीवाल जी गौर से देखें तो उन को पता चलेगा कि जो दवा वह तजबीज कर रहे हैं वह अपनी जगह पर सफल नहीं होगी। हमारे संविधान के अनुसार हमारे राष्ट्रपति भी मंत्रियों की सलाह के बगैर काम नहीं कर सकते। इस विधेयक को देखने से मालूम हुआ कि हम आज तक त्रुटि कर रहे थे और उस को पालीवाल जी इस विधेयक द्वारा दूर करना चाहते हैं। लेकिन उनके केवल दो आर्टिकिल्स में अमेंडमेंट करने से यह त्रुटि दूर होने वाली नहीं। गवर्नर एपाइंट होता है राष्ट्रपति द्वारा और राष्ट्रपति गवर्नर को नियुक्त करेंगे होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की राय से। तो इस प्रकार गवर्नर होम मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का नामिनी होगा। अब इस विधेयक में उनके नामिनी को अलग से इंस्ट्रक्शन देने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाने वाला है। पर इसइंस्ट्रक्शन को लिखेगा कौन। बहुत सम्भव है कि उस को होम मिनिस्टर लिखेगा। अगर प्रेसीडेंट को अपनी तरफ से अलग से गवर्नर को इंस्ट्रक्शन देने का अधिकार देना चाहते हैं तो आप को संविधान की धारा ७४ में भी संशोधन करना होगा, क्योंकि उस धारा के अनुसार राष्ट्रपति को प्राइम मिनिस्टर की राय से काम करना चाहिए।

पालीवाल जी जो यह विधेयक लाए हैं उसमें उन का मंशा करप्शन को दूर करने का है। यह दुःख की बात है कि देश में करप्शन है। अभी कल परसों सदन में करप्शन की काफी चर्चा हुई थी और ऊंचे ऊंचे लोगों पर करप्शन के मामले में अगुंली उठायी गयी थी। यह बहुत बुरी अवस्था है देश के लिए। लेकिन क्या यह चीज इस विधेयक से दूर हो सकेगी। जो गवर्नर होगा वह भी हम में से ही होगा। उसे हम बाहर से तो लाएंगे नहीं। अभी तक तो हमारे कुछ हारे हुए भाई गवर्नर बनते थे। अब अगर दूसरे को बनाया जाएगा तो वह भी हम में से ही होगा। और जब यह बात है तो अवस्था में कोई बड़ा अन्तर होने वाला नहीं है। हम को देखना चाहिए कि हमारे मूल में तो कोई खराबी नहीं है। और उस को दूर करने के लिए यह विधेयक दवा नहीं है। हमारा प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वास है। हम को देखना चाहिए कि कहीं उस प्रणाली में तो कोई खराबी नहीं है। लेकिन इस विधेयक के द्वारा हम सन् १९३५ के समय में नहीं जाना चाहते। हमें तो आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने में हमारे पालीवाल जी को यह देखना चाहिए कि हमारा कदम क्या हो। वह भी एगक राज्य के मुख्य मंत्री रह चुके हैं और उन को अपना अनुभव होगा। यदि उन के राज्यकाल में इस प्रकार का विधेयक आता तो क्या वह इस को पसन्द करते। इस को कोई मुख्य मंत्री पसन्द नहीं कर सकता। तो उन का जो अनुभव है उन को उस के आधार पर रास्ता बतलाना चाहिए।

अभी आपने केरल का जिक्र किया। इस संविधान में राष्ट्रपति को किसी राज्य की सरकार को ससपेंड करने का अधिकार है यदि वहां संविधान के अनुसार काम न होता हो। और केरल के मामले में राष्ट्रपति ने ऐसा किया भी। उड़ीसा में ऐसा किया। जहां कहीं संविधान का फल्यार होता है राष्ट्रपति वहां की सरकार को ससपेंड कर सकते हैं।

लेकिन अगर हमारे यहां चारों तरफ ही गोलमाल है और खराबी है तो हम को उसके मूल को खोजना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि पालीवाल जी की भावना बहुत अच्छी है। मैं भी चाहता हूं कि देश से करप्शन दूर हो। हम उन के साथ हैं इस मामले में, और यदि वे कोई

और इस को दूर करने का विधेयक लायेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे । अभी तो अगर सरकार किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाई करना चाहे तो उस को संविधान की धारा ३११ के अन्तर्गत उस को पहले नोटिस देना होता है । उस पर विचार होने वाला था । लेकिन जब ऊपर वालों की तरफ उंगली उठायी जाती है और उन के लिए निपोटिज्म की बात कही जाती है, तो उस को कौन रोकने वाला है । दुःख के साथ कहना पड़ता है कि नमक ही जब अपना नमकीनपन छोड़ दे तो न्याय के लिए किस के पास जाया जाये । इसलिए इस विधेयक के द्वारा इस रोग की दवा नहीं हो सकेगी । अगर हम को इस की दवा करना है तो हम को अपने आचरण में परिवर्तन करना होगा और उस के लिए पालीवाल जी कोई रास्ता सोचें और उसमें हम उन का साथ देंगे ।

†**श्री कृ० चं० शर्मा** (सरधना) : संविधान में कहा तो यही गया था कि वास्तविक शक्ति जनता के हाथ होगी, परन्तु आज देश की स्थिति बिल्कुल दूसरी हो रही है । संविधान के अनुच्छेद ३५२, ३५३ तथा ३५६ में राष्ट्रपति को काफी व्यापक अधिकार दिये गये हैं । इसके अनुसार राज्यों के अच्छे प्रशासन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति पर आती है । इन उपबन्धों की दृष्टि से तो वर्तमान विधान की कोई आवश्यकता ही नहीं । यह तो मूल रूप में हमारी विचारधारा के विरुद्ध है । हमने तो ईमानदारी से यह घोषणा कर रखी है कि शक्ति जनता को दी जाय और यह जनता में ही रहनी भी चाहिए ।

†**श्री मा० श्री अणे** (नागपुर) : मेरे विचार में मेरे कुछ माननीय मित्रों का लोकतंत्र के सिद्धांतों से विश्वास उठ रहा है । संविधान का संशोधन करने वाला वर्तमान विधेयक स्वयं प्रजातन्त्र पर एक गुप्त प्रहार है । ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के मस्तिष्क में स्वयं प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के प्रति अविश्वास की भावना है । उनका शायद यही विचार है कि लोगों के मनोभावों को बदलना सम्भव नहीं है । यदि यही विचार है तो यह विधेयक ठीक नहीं लगता । मेरे विचार में इसके स्थान पर सरकार से सलाह करके कोई नया विधेयक प्रारूपित करना चाहिए । प्रस्तावक महोदय को स्वयं ही सोचना चाहिए कि क्या विधेयक को पारित करना ठीक है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** कोरम नहीं है, मैं सभा स्थगित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक सभा शनिवार, ६ अप्रैल १९६३/१६ चैत्र, १८८५ (शक) के **ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।**

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, ५ अप्रैल, १९६३

१५ चैत्र, १८८५ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३४६१—८८
तारांकित प्रश्न संख्या		
७२१	पेनिसिलीन का निर्यात	३४६१-६२
७२२	आन्ध्र प्रदेश को सीमेंट का कोटा	३४६२—६४
७२५	असैनिक तथा प्रतिरक्षा उत्पादन का समन्वय	३४६४—६८
७२६	मिलों में रुई की खपत	३४६८—७०
७२८	आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार	३४७०-७१
७२९	जापान के साथ व्यापार	३४७१—७३
७३०	रूस के साथ व्यापार करार	३४७३-७४
७३१	चैकोस्लोवाकिया के साथ वस्तु विनियम	३४७५-७६
७३२	संश्लिष्ट औषधि निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण	३४७६-७७
७३३	दिल्ली के लिए व्यापार मन्त्रणा बोर्ड	३४७७-७८
७३४	चाय का ग्रेजुएट कोर्स	३४७८—८०
७३५	राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशी को ऋण सुविधायें	३४८०-८१
७३६	पटसन उद्योग	३४८१-८२
७३७	कन्फैक्शनरी का निर्यात	३४८२—८४
७३८	हैदराबाद में कांच का कारखाना	३४८४-८५
७३९	रद्दी लोहे से कच्चा लोहा तैयार करना	३४८५-८६
७४०	औद्योगिक एकक	३४८६—८८

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३४८८—३५१५
तारांकित प्रश्न संख्या		
७२३	कच्चे लोहे का उत्पादन	३४८८–८९
७२४	वाणिज्यिक प्रचार	३४८९
७२७	बारबिल में कच्चे लोहे का कारखाना	३४८९–९०
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४५९	लंका को बीड़ी का निर्यात	३४९०
१४६०	ग्वार के बीज	३४९०
१४६१	उत्तर प्रदेश से औद्योगिक लाइसेंसों के लिए प्रार्थना-पत्र	३४९१
१४६२	उत्तर प्रदेश को अलोह धातुओं का आवंटन	३४९१–९२
१४६३	लकड़ी का अभाव	३४९२
१४६४	आन्ध्र प्रदेश में लोहा तथा इस्पात सन्यन्त्र	३४९२
१४६५	आन्ध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग	३४९२–९३
१४६६	आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना	३४९३
१४६७	आन्ध्र प्रदेश में रूसी सहायता वाली परियोजनाएं	३४९३
१४६८	साइकिल टायरों और ट्यूबों की कीमत	३४९३–९४
१४६९	साइकिल टायरों और ट्यूबों की कमी	३४९४
१४७०	इस्पात का प्रतिधारण मूल्य	३४९४–९५
१४७१	उत्तर प्रदेश में मंसूरपुर में कागज कारखाना	९३४५
१४७२	औद्योगिक सहकारी संस्थाएं	३४९५–९६
१४७३	औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र	३४९६
१४७४	उड़ीसा में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	३४९६
१४७५	उड़ीसा में अम्बर चर्खा	३४९६
१४७६	उड़ीसा में कपड़ा मिलों के लिए लाइसेंस	३४९७
१४७७	सूत की कीमतें	३४९७
१४७८	इन्सुलेटिंग पेपर बनाने का कारखाना	३४९७–९८
१४७९	तेल सर्किट ब्रेकर	३४९८
१४८१	संविधान सभा के प्रलेख	३४९८–९९
१४८२	संघ राज्य क्षेत्रों में छोटे पैमाने में उद्योग	३४९९
१४८३	समवाय विधि प्रशासन	३४९९–३५००
१४८४	लोहे और इस्पात का उत्पादन	३५००–०१

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४८५	रूसी सहयोग से चलचित्रों का निर्माण	३५०१
१४८६	लघु उद्योग	३५०१
१४८७	उत्पादकता परिषद्	३५०२–०३
१४८८	रूरकेला इस्पात कारखाना	३५०३
१४८९	चुनाव	३५०३
१४९०	ओखला में आधरूप (प्रोटोटाइप) उत्पादन का प्रशिक्षण केन्द्र	३५०३–०४
१४९१	मैंगनीज तथा लौह अयस्क का निर्यात	३५०४
१४९२	उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग	३५०४–०५
१४९३	उत्तर प्रदेश में तेल मिलें	३५०५–०६
१४९४	पंजाब के पिछड़े क्षेत्रों का उद्योगीकरण	३५०६
१४९५	रेशम का उत्पादन	३५०७
१४९६	ऊन के निर्यात में कमी	३५०७
१४९७	भेषजिक अनुसन्धान प्रयोगशाला	३५०७–०८
१४९८	साइकलें और सिलाई की मशीनें	३५०८
१४९९	बाल बेयरिंग के कारखाने	३५०८–०९
१५००	मनीपुर में सूत कताई कारखाना	३५०९
१५०१	केरल में रबड़ निकालने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण स्कूल	३५०९–१०
१५०२	डायनेमो शीट	३५१०
१५०३	चाय उगाने के तरीकों में सुधार	३५१०–११
१५०४	काली और हरी चाय का उत्पादन	३५११
१५०५	कोठागुडियम में बेरियम केमीकल्स सन्यन्त्र	३५११–१२
१५०६	वाइंडिंग इंजन	३५१२
१५०७	पानी के मीटरों का निर्माण	३५१२
१५०८	खाद्य तेलों में वायदा व्यापार	३५१३
१५०९	कटिंग मशीन का कारखाना	३५१३
१५१०	भारत और यूनान के बीच व्यापार करार	३५१३–१४
१५११	वरजीनिया तम्बाखू की कीमतें	३५१४
१५१२	वरजीनिया तम्बाखू का निर्यात	३५१५

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५१५-१६

(१) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४९२ में प्रकाशित नारियल जटा उद्योग (पंजीयन तथा लाइसेंस देना) दूसरा संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४९६ में प्रकाशित सूती वस्त्र (नियन्त्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६३।

(ख) दिनांक २३ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ६९० में प्रकाशित ऊनी वस्त्र (उत्पादन तथा वितरण नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६३।

(३) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६१-६२ के लिये नाहन फाउण्ड्री लिमिटेड, नाहन (हिमाचल प्रदेश) के वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त कम्पनी के कार्य-संचालन के बारे में सरकार की समीक्षा।

(४) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत, वर्ष १९६१-६२ के लिये हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त कम्पनी के कार्य-संचालन के बारे में सरकार की समीक्षा।

(५) राज्यों की विधान परिषदों की रचना और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक के बारे में, जिसे ८ जून, १९६२ को सभा के निदेश से उस पर राय जानने के प्रयोजन के लिये परिचालित किया गया था, पत्र संख्या २।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १५१६-१७

उन्नीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

विषय	पृष्ठ
समिति के लिये निर्वाचन	३५१७

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) ने प्रस्ताव किया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले आगामी कार्यकाल के लिये नारियल जट. बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये लोक-सभा अपने में से दो सदस्य चुने। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुदानों की मांगें	३५१८–४६

प्रतिरक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत	३५४७

अट्ठारहवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक पारित . . .	३५४७–५०

श्री दी० चं० शर्मा द्वारा २२ दिसम्बर, १९६३ को प्रस्तुत समुद्री बीमा विधेयक, १९६३ पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, अग्रेतर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक विचाराधीन . . .	३५५०–५७

श्री पालीवाल ने प्रस्ताव किया कि संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६२ (नये अनुच्छेद १५५–क का रखा जाना और अनुच्छेद १६७ का संशोधन) पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शनिवार, ६ अप्रैल, १९६३/१६ चैत्र, १८८५ (शक) के लिए कार्यावलि

प्रतिरक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा।

GIPND—LS III—199 (Ai) LS—29-5-63 —160.

विषय-सूची--जारी

पृष्ठ

समुद्री बीमा विधेयक . ३५४७--५०

विचार करने का प्रस्ताव---

श्री द्वारका दास मंत्री ३५४७-४८

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ३५४८

श्री ब० कु० दास . ३५४८

श्री ब० रा० भगत ३५४८

श्री दी० चं० शर्मा ३५४९

खंड २ से ९२ और १ तथा अनुसूची ३५४९

पारित करने का प्रस्ताव --

श्री तिरुमल राव ३५५०

श्री स० चं० सामन्त ३५५०

संविधान संशोधन विधेयक, १९६२--

(नये अनुच्छेद १५५-क का रखा जाना और अनुच्छेद १६७ का संशोधन)

[श्री पालोवाल का]

विचार करने का प्रस्ताव . . ३५५०--५७

श्री पालोवाल . . ३५५०--५२

श्री काशीराम गुप्त . . ३५५२

श्री हरिश्चन्द्र माथुर . . ३५५२-५३

श्री यशपाल सिंह . . ३५५३-५४

श्री विभूति मिश्र ३५५५

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ३५५५

श्री सिंहासन सिंह ३५५६-५७

श्री कु० चं० शर्मा . . . ३५५७

डा० मा० श्री अणे . ३५५७

दैनिक संक्षेपिका ३५५८--६२

PLS. 41. XVI. 35. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।